

पूर्वोत्तर रेलवे

लखनऊ मंडल

स्टेशन संचालन नियमावली संख्या एल०जे०एन०/184

स्टेशन संचालन नियम जारी होने की तिथि: 14.05.22

स्टेशन संचालन नियम लागू होने की तिथि: 08.06.22

गोण्डा जं० के स्टेशन संचालन नियम

बी०जी०

टिप्पणी: i) दि० 08.06.22 से लागू स्टेशन संचालन नियम सं० एल.जे.एन./184 में शुद्धि पर्ची सं० 2 को समाहित किया जायेगा।

ii) इस स्टेशन संचालन नियम की एक प्रति स्टेशन मास्टर के कार्यालय में संदर्भ के लिए सदैव उपलब्ध रहेगी तथा इनका अध्ययन पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ किया जायेगा यह स्टेशन संचालन नियम किसी भी रूप में साधारण एवं सहायक नियमों का किसी भी स्थिति में अतिक्रमण नहीं करते हैं।

iii) संदर्भ हेतु इस संचालन नियमावली की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में सदैव उपलब्ध रहेगी :-

स्टेशन प्रबन्धक/अधीक्षक	1 प्रति
स्टेशन अधीक्षक/स्टे०मास्टर (प्लेटफार्म)	1 प्रति
स्टेशन अधीक्षक/स्टे०मास्टर/आर.आर.आई(पावर केबिन)	1 प्रति
मुख्य यार्ड मास्टर/क्षेत्रीय नियन्त्रक	1 प्रति

1. स्टेशन संचालन नियमारेख

मुसिदूङ/नि./गोरखपुर/पूर्वोत्तर रेलवे के सिगनल अन्तर्पाशन योजना संख्या एन.ई.आर./एल.जे.एन./जी.डी./एस.आई.पी./2016/वी.ई.आर.-जीरो/24 संशोधन 'जी' पर आधारित नियमारेख संख्या उपमुसिदूङ/नि०/ल०जं०/2023 (आर०डी०)/04 दि. 09.02.23 एवं गोण्डा जं०-बरुआचक आई.बी.एस. के एस.आई.पी. सं० एन.ई.आर./एल.जे.एन./जीडी-बीआरसीके/आई.बी.एस/2016 संशोधन 'ई' पर आधारित नियमारेख सं०: उपमुसिदूङ/नि०/ल०जं०/2021 (आर०डी०)/21 दि. 07.10.21 तथा Traction Diagram. No. CON/LJN/EL/GD/TSWR/2021 दि. 08.10.21 संलग्न है जिसमें इस स्टेशन के कांटों, सिगनलों और लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है, दुर्घटना आदि की रिपोर्ट करते समय व संदर्भ के सभी मामलों में इसका उल्लेख करे तथा इसमें दिये कांटों, सिगनलों व लाइनों के नम्बर अवश्य अंकित करें।

2. स्टेशन का विवरण2.1 सामान्य स्थिति

गोण्डा जं० स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जं०-गोण्डा जं०-गोरखपुर जं० विद्युतीकृत मेन मार्ग पर दोहरी लाइन तथा गोण्डा जं०-आनन्दनगर जं०-गोरखपुर जं० विद्युतीकृत लूप मार्ग पर एवं गोण्डा जं०-बहराइच विद्युतीकृत ब्रान्च मार्ग पर इकहरी लाइन "बी" श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन मानक-II(R) अन्तर्पाशित बहुसंकेतीय रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित आर.आर.आई पैनल से सुसज्जित है। यह गोरखपुर जं० स्टेशन से 153.70 कि०मी०, लखनऊ जं० स्टेशन से 126.02 कि०मी० तथा आनन्दनगर जं० स्टेशन से 179.67 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

2.2 ब्लाक स्टेशन, किसी भी ओर आई.बी.एच., आई.बी.एस. तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें2.2.1 ब्लाक स्टेशन

गोण्डा जं० स्टेशन के पूरब में बरुआचक स्टेशन 7.87 कि०मी० की दूरी पर, उत्तर पूरब में सुभागपुर स्टेशन 6.03 कि०मी० की दूरी पर, पश्चिम में गोण्डा कचहरी स्टेशन 4.89 कि०मी० की दूरी पर तथा उत्तर पश्चिम में गंगाधाम स्टेशन 7.32 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

2.2.2 आई.बी.एस.:

गोण्डा जं० –बरुआचक ब्लाक सेक्शन के मध्य डाउन एवं अप लाइन पर इण्टरमीडिएट ब्लाक सिगनलिंग (आई.बी.एस.) का प्रावधान है। गोण्डा जं०–बरुआचक डाउन लाइन पर इण्टरमीडिएट ब्लाक स्टाप सिगनल (आई.बी.एस.) गोण्डा जं० स्टेशन से 04.10 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

2.2.3 नान ब्लाक स्टेशन :

- (क) गोण्डा कचहरी छोर :- कोई नहीं
(ख) गंगाधाम छोर : –कोई नहीं
(ग) बरुआचक छोर : –कोई नहीं
(घ) सुभागपुर छोर : –कोई नहीं

2.3 विभिन्न दिशाओं में स्टेशन के किसी भी ओर ब्लाक खंड सीमा :

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहां से "ब्लाक खंड" शुरू होता है	वह स्थान जहां "ब्लाक खंड" समाप्त होता है
गोण्डा जं० – गोण्डा कचहरी		
अप लाइन	इस स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 से ।	गोण्डा कचहरी स्टेशन के अप होम सिगनल के आगे बी०एस०एल०बी० तक ।
डाउन लाइन	इस स्टेशन के डाउन होम सिगनल सं० एस-1 के आगे बी०एस०एल०बी० से	गोण्डा कचहरी स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक ।
गोण्डा जं० – बरुआचक		
अप लाइन	i) बरुआचक स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल से। ii) बरुआचक स्टेशन के अप IBS सिगनल सं० एस-8 से।	i) बरुआचक स्टेशन के अप IBS सिगनल सं० एस-8 से 400 मी० आगे तक। ii) गोण्डा जं० स्टेशन के अप होम सिगनल सं० एस-108 के आगे कांटा सं० 494ए तक।
डाउन लाइन	i) गोण्डा जं० स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-107 से। ii) गोण्डा जं० स्टेशन के डाउन IBS सिगनल सं० एस-109 से।	i) गोण्डा जं० स्टेशन के डाउन IBS सिगनल सं० एस-109 से 400 मी० आगे तक। ii) बरुआचक स्टेशन के डाउन होम सिगनल के आगे बी.एस.एल.बी. तक।
गोण्डा जं० – सुभागपुर		
इस स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-111 से।	सुभागपुर स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक।	
गोण्डा जं० – गंगाधाम		
इस स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-6 से।	गंगाधाम स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक।	

नोट:- गोण्डा जं० स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-107 से डाउन IBS सिगनल सं० एस-109 के 400 मी० (ट्रैक सर्किटेड) आगे तक का सेक्शन एक्सल काउन्टरों द्वारा नियन्त्रित है।
(विस्तृत विवरण हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "एफ" देखें।)

2.4 ढलान, यदि कोई हो –

स्टेशन भवन की मध्य रेखा से बरुआचक स्टेशन छोर पर चेनेज 40.00 तक समतल व उसके आगे चेनेज 452.00 तक 1000 में 1 की चढ़ाई व उसके आगे चेनेज 490.00 तक समतल व उसके आगे चेनेज 639.00 तक 800 में 1 की ढलान व उसके आगे चेनेज 1933.00 तक 1400 में 1 की चढ़ाई व उसके आगे चेनेज 2072.00 तक 2500 में 1 ढलान, व उसके आगे चेनेज 2733.00 तक 1000 में 1 की चढ़ाई, व उसके आगे 1500 में 1 की ढलान तथा गोण्डा कचहरी

स्टेशन छोर पर चेनेज 1114.00 तक समतल, व उसके आगे 1120 में 1 की चढ़ाई है एवं गंगाधाम स्टेशन छोर पर चेनेज 545.00 तक समतल, व उसके आगे 600 में 1 की चढ़ाई है।

कमशः पृष्ठ 3 पर

2.5 ले आउट –

इस स्टेशन का ले आउट 62 लाइनों का है, लाइन सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, IIIrd लाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25 व 35 ट्रैक सर्किटेड रनिंग लाइनें हैं। शेष सभी लाइने नान-रनिंग लाइनें हैं।

2.5.1 (क) चालू लाइने, संचलन की दिशा और सी.एस.आर. में वाहन क्षमता –

लाइन संख्या	क्लीयर स्टैंडिंग रुम (मीटरमें) (सी०एस०आर०)	वाहन क्षमता (कोच)		अभ्युक्तियाँ	विद्युतीकृत या अविद्युतीकृत
		ICF	LHB		
1	697.00 मी०	31	29	कामन लूप लाइन उच्चतल यात्री प्लेटफार्म सुविधा युक्त ।	विद्युतीकृत
2	697.00 मी०	31	29	कामन लाइन ।	
3	639.70 मी०	28	26	कामन लाइन उच्चतल आईलैंड यात्री प्लेटफार्म सुविधा युक्त ।	
4	745.00 मी०	33	31	कामन लूप लाइन उच्चतल आईलैंड यात्री प्लेटफार्म ।	
5	735.00 मी०	32	30	कामन लूप लाइन ।	
6	715.00 मी०	32	29	कामन लूप लाइन ।	
7	715.00 मी०	32	29	कामन लूप लाइन ।	
8	715.00 मी०	32	29	कामन लूप लाइन उच्चतल आईलैंड यात्री प्लेटफार्म ।	
9	715.00 मी०	32	29	कामन लूप लाइन उच्चतल आईलैंड यात्री प्लेटफार्म ।	
IIIrd लाइन	686.00 मी०	30	28	कामन लूप लाइन ।	
10	686.00 मी०	—	—	कामन लूप गुड्स लाइन ।	
11	686.00 मी०	—	—	कामन लूप गुड्स लाइन ।	
12	686.00 मी०	—	—	कामन लूप गुड्स लाइन ।	
13	625.00 मी०	—	—	कामन लूप गुड्स लाइन ।	
14	614.00 मी०	—	—	कामन लूप गुड्स लाइन ।	
22	720.00 मी०	—	—	रनिंग एकजामिनेशन लाइन ।	
23	640.00 मी०	28	26	पैसेन्जर रनिंग लाइन ।	
24	715.00 मी०	—	—	गुड्स रनिंग लाइन ।	
25	—	—	—	सुभागपुर मेन लाइन ।	
35	280.00 मी०	12	11	डेमू/मेमू नान यात्री प्लेटफार्म रनिंग लाइन (बढ़नी व गोरखपुर) ।	

नोट –

(क) बरुआचक छोर से आने वाली अप गाड़ियों हेतु रनिंग लाइन सं० 2 मेन लाइन, गोण्डा कचहरी छोर से आने वाली डाउन गाड़ियों हेतु रनिंग लाइन सं० 3 मेन लाइन, सुभागपुर छोर से आने वाली अप गाड़ियों हेतु लाइन सं० 25 मेन लाइन तथा गंगाधाम छोर से आने वाली डाउन गाड़ियों हेतु रनिंग लाइन सं० 7 मेन लाइन है।

क्रमशः पृष्ठ 4 पर

(ख) अप/डाउन गाड़ियों रनिंग लाइन सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, IIIrd लाइन, 22, व 23 पर/से, ली/भेजी जा सकती है।

(ग) अप/डाउन गाड़ियों का आवागमन रनिंग लाइन सं० 24 व 25 द्वारा बरुआचक स्टेशन से/को नहीं होगा।

(घ) रनिंग लाइन सं० 35 पर गाड़ी का आवागमन रनिंग लाइन सं० 1/2/3 द्वारा होगा।

(ङ) रनिंग लाइन सं० 35 से यात्री गाड़ी का संचालन नहीं होगा।

2.5.2 गैर चालू लाइने और सी०एस०आर० में उनकी क्षमता :-

लाइन संख्या	क्लीयर स्टैंडिंग रुम (मीटरमें) (सी०एस०आर०)	वाहन क्षमता (कोच)		अभ्युक्तियाँ	विद्युतीकृत या अविद्युतीकृत
		ICF	LHB		
15	686.00 मी०	—	—	मार्शलिंग लाइन।	विद्युतीकृत
16	686.00 मी०	—	—	मार्शलिंग लाइन।	
17	686.00 मी०	—	—	मार्शलिंग लाइन।	
18	686.00 मी०	—	—	मार्शलिंग लाइन।	
19	686.00 मी०	—	—	मार्शलिंग लाइन।	
20	615.00 मी०	—	—	नान रनिंग एकजामिनेशन लाइन।	
21	690.00 मी०	—	—	नान रनिंग एकजामिनेशन लाइन।	
26	90.00 मी०	04	03	मेडिकल वान साइडिंग।	
27	230.00 मी०	10	09	कोच स्टेबलिंग लाइन।	अविद्युतीकृत
28	140.00 मी०	—	—	लूकस वान साइडिंग।	
29	50.00 मी०	—	—	इन्जिन स्टेबलिंग लाइन।	विद्युतीकृत
30	50.00 मी०	—	—	इन्जिन स्टेबलिंग लाइन।	
31	—	—	—	विखंडित	—
32	50.00 मी०	—	—	इन्जिन स्टेबलिंग लाइन।	विद्युतीकृत
33	286.00 मी०	12	11	साइडिंग लाइन।	
34	260.00 मी०	11	10	साइडिंग लाइन।	
36	310.00 मी०	13	12	साइडिंग लाइन।	
37	100.00 मी०	—	—	टावर वैगन साइडिंग।	अविद्युतीकृत
38	259.00 मी०	—	—	डीजल शेड लाइन।	विद्युतीकृत
39	240.00 मी०	—	—	डीजल शेड लाइन।	
40	270.00 मी०	—	—	डीजल शेड लाइन।	
41	400.00 मी०	17	16	स्टेबलिंग लाइन।	

42	320.00 मी०	14	13	शंटिंग नेक डेड एण्ड लाइन।	विद्युतीकृत
43	670.00 मी०	30	27	शंटिंग नेक लाइन गोण्डा कचहरी छोर।	
44	—	—	—	साइडिंग लाइन।	
45	600.00 मी०	—	—	बोल्डर/आर.एम.सी. साइडिंग।	
46	193.00 मी०	—	—	डीजल शेड लाइन।	

क्रमशः पृष्ठ 5 पर

47	—	—	—	विखंडित	विद्युतीकृत
48	—	—	—	विखंडित	
49	50.00 मी०	—	—	इन्जिन स्टेब्लिंग लाइन।	
50	—	—	—	आर०ओ०एच० लाइनें।	
51	—	—	—		
52	—	—	—		
53	—	—	—		
54	—	—	—		
55	—	—	—		
56	—	—	—		
57	—	—	—	सी०आर०डी० लाइन।	
58	750.00 मी०	33	31	शंटिंग नेक लाइन बरुआचक छोर।	
59	701.00 मी०	31	29	शंटिंग नेक लाइन सुभागपुर छोर।	
60	252.00 मी०	11	10	पार्सल/सैलून साइडिंग।	
61	70.00 मी०	03	02	कोच स्टेब्लिंग लाइन।	

2.5.3 ले आउट की कोई मुख्य विशेषता —

अप/डाउन गाड़ियों का आवागमन रनिंग लाइन सं० 24 व 25 द्वारा बरुआचक स्टेशन से/को नहीं होगा।

रनिंग लाइन सं० 35 पर गाड़ी का आवागमन रनिंग लाइन सं० 1/2/3 द्वारा होगा।

गोण्डा जं० व गोण्डा कचहरी स्टेशनों की सीमायें एक दूसरे में सम्मिलित हैं।

2.6 समपार —

2.6.1 स्टेशन सीमा के भीतर स्थित समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है —

फाटक संख्या	श्रेणी	स्थिति	सामान्य स्थिति	परिचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्-प्राप्त है या नहीं	संचार साधन	क्या गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली (टी.ए.डब्ल्यू.डी.) उपलब्ध है
257 इन्जी०	विशेष	अप गेट सिगनल सं० 2 एवं डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-107 के मध्य कि०मी० 654/ 5-6 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिए खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	पावर केबिन गोण्डा से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

261 ट्राफिक	ए	डाउन होम सिगनल सं० एस-1 एवं अप गेट सिगनल सं० 2 के मध्य कि.मी. 658/9 – 659/0 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिए खुला	कार्यरत फाटक वाला	हैं	पावर केबिन गोण्डा से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं
1 इन्जी०	सी	डाउन डिस्टेन्ट सिगनल सं. ए-5 एवं डाउन होम सिगनल सं० एस-5 के मध्य कि०मी० 1/6-7 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिए खुला	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	पावर केबिन गोण्डा से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं
1ए ट्राफिक	बी	डाउन होम सिगनल सं० एस-5 एवं अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-6 के मध्य कि.मी. 1/0-1 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिए खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	पावर केबिन गोण्डा से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं
262 इन्जी०	विशेष	डाउन गेट सिगनल सं० 1 एवं अप गेट/ डिस्टेन्ट (जी.डी.के.) सिगनल सं० 2 के मध्य कि०मी० 659/5-6 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिए खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	पावर केबिन गोण्डा से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं

2.6.2 स्टेशन सीमा के बाहर स्थित इस स्टेशन से टेलीफोन द्वारा जुड़े समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है –

फाटक संख्या	श्रेणी	स्थिति	सामान्य स्थिति	परिचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी	अन्त-प्राप्ति है या नहीं	संचार साधन	क्या गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली (टी.ए.डब्लू.डी.) उपलब्ध है
3 इन्जी०	विशेष	गोण्डा – गंगाधाम स्टेशनों के मध्य कि०मी० 4/4-5 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिए खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	पावर केबिन गोण्डा से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं

टिप्पणी – समपार फाटक के संचालन की पद्धति हेतु इस स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "ए" भाग 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 देखें।

कमशः पृष्ठ 7 पर

3 संचालन की प्रणाली और साधन -

अगल-बगल के स्टेशनों के मध्य "पूर्ण ब्लाक पद्धति" लागू है। इस स्टेशन पर लगाये गये ब्लाक उपकरणों का प्रकार निम्नवत् है -

लगे ब्लाक उपकरणों के प्रकार	सहकारी/असहकारी	परिचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाभी जिसके पास रखी जाती है	टिप्पणी
गोण्डा जं० स्टेशन के आर.आर.आई/पैनल एवं गोण्डा कचहरी स्टेशन के स्टेशन मास्टर कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के टेलीफोन युक्त दोहरी लाइन लॉक एवं ब्लाक यन्त्र के साथ HASSDAC से सम्बद्ध है।	असहकारी	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	एक्सल काउन्टर ब्लाक यन्त्र के साथ सम्बन्धित ब्लाक खण्ड के मध्य गाड़ियों के आवागमन को नियन्त्रित करता है।
गोण्डा जं० स्टेशन के आर.आर.आई/पैनल एवं बरुआचक स्टेशन के स्टेशन मास्टर कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के टेलीफोन युक्त दोहरी लाइन लाक एवं ब्लाक यन्त्र के साथ HASSDAC से सम्बद्ध है।	असहकारी	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	एक्सल काउन्टर ब्लाक यन्त्र के साथ सम्बन्धित ब्लाक खण्ड के मध्य गाड़ियों के आवागमन को नियन्त्रित करता है।
गोण्डा जं० स्टेशन के आर.आर.आई/पैनल एवं सुभागपुर स्टेशन के स्टेशन मास्टर कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के टेलीफोन युक्त इकहरी लाइन पर बी.पी.ए.सी ब्लाक पैनल के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) द्वारा आपस में सम्बद्ध हैं।	असहकारी	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	एक्सल काउन्टर ब्लाक यन्त्र के साथ सम्बन्धित ब्लाक खण्ड के मध्य गाड़ियों के आवागमन को नियन्त्रित करता है।
गोण्डा जं० स्टेशन के आर.आर.आई/पैनल एवं गंगाधाम स्टेशन के स्टेशन मास्टर कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के टेलीफोन युक्त इकहरी लाइन पर बी.पी.ए.सी ब्लाक पैनल के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) द्वारा आपस में सम्बद्ध हैं।	असहकारी	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	एक्सल काउन्टर ब्लाक यन्त्र के साथ सम्बन्धित ब्लाक खण्ड के मध्य गाड़ियों के आवागमन को नियन्त्रित करता है।

टिप्पणी: कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपर्युक्त "विद्युत ब्लाक यंत्र" को परिचालित नहीं कर रहा है। विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का अध्याय 14 तथा स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" का अनुलग्नक-III, IV, V एवं VI देखें।

क्रमशः पृष्ठ 8 पर

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन पद्धति :

4.1 यह स्टेशन मानक-IIR अन्तर्पाशित बहुसंकेतीय रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित आर.आर.आई पैनल से सुसज्जित है। मोटर चालित कांटों एवं सिगनलों को पावर केबिन में कार्यरत स्टेशन मास्टर/पैनल, स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" के अनुलग्नक-VII के अनुसार पैनल पर प्रदत्त सिगनल बटन एवं रूट बटन द्वारा परिचालित किया जायेगा।

आर.आर.आई पैनल पर कार्यरत स्टेशन मास्टर/पैनल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्टेशन के समस्त कलर लाइट/पोजीशन लाइट सिगनल अनवरत दिन-रात साधारण एवं सहायक नियम 3.49(2)(बी) के अनुसार जलते रहेंगे।

इस स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' का अनुलग्नक-II देखें।

(i) सिगनल/प्वाइंट को लीवर फ़ेम/कंट्रोल पैनल/वी०डी०यू०/सी०टी०सी० से संचालन विधि :-

पावर केबिन के नियन्त्रण के अधीन यार्ड में प्वाइन्ट्स एवं सिगनलों के सभी आपरेशन पावर केबिन सुपरवाइजर के निर्देशानुसार स्टेशन मास्टर/पैनल द्वारा आपरेंटिंग पैनल पर किया जायेगा।

पावर केबिन सुपरवाइजर लॉग रजिस्टर में सभी प्रकार के मूवमेन्ट्स की प्रविष्टियाँ दर्ज करेगा तथा ब्लाक वर्किंग के लिये उत्तरदायी कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर, पावर केबिन सुपरवाइजर के निर्देशानुसार ट्रेन सिगनल रजिस्टर में ट्रेन के सभी ट्रान्जेक्शनों को दर्ज करेगा।

(ii) एक्सिल काउन्टर/ट्रैक सर्किट का रनिंग लाइनों में प्रावधान -

गोण्डा जं०-बरुआचक, गोण्डा जं०-गोण्डा कचहरी, गोण्डा जं०-सुभागपुर एवं गोण्डा जं०-गंगाधाम खंड में एक्सिल काउन्टरों का प्रावधान है। रनिंग ला० सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 व 22 पर MSDAC का प्रावधान है। सभी रनिंग लाइनें ट्रैक सर्किटेड है।

(iii) कालिंग आन सिगनल/आई.बी.एस. -

क्र० सं०	कालिंग आन सिगनल सं०	विवरण
1	अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-110 (SUBR छोर)	यह अप होम सिगनल सं० एस-112 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है तथा अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-104/एस-96/एस-100/एस-92 तक आने हेतु।
2	अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-106 (BRCK छोर)	यह अप होम सिगनल सं० एस-108 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है तथा अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-100/एस-96/एस-56/एस-92 तक आने हेतु।
3	अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-102 (SUBR छोर)	यह अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-104 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है तथा लाइन सं० 24 में या अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-84(लाइन सं.25) तक आने हेतु।
4	अप कालिंग आन सिगनल	यह अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-100 के नीचे उसी खम्भे

	सं० सी-98	पर लगा है तथा लाइन सं० 10 में या अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-60(IIIrd लाइन) तक आने हेतु।
5	अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-94	यह अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-96 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है तथा लाइन सं० 11/12/13/14 में आने हेतु।
6	अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-90	यह अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-92 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है तथा लाइन सं० 22/23 में आने हेतु।
7	अप कालिंग आन सिगनल संख्या सी-82	यह अप रूटिंग होम सिगनल संख्या एस-84 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है तथा लाइन सं० 8/9 में आने हेतु। ।

कमश: पृष्ठ 9 पर

8	अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-58	यह अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-60 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है तथा लाइन सं० 1/2/3/7/8 में या अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-52 तक आने हेतु।
9	अप कालिंग आन सिगनल संख्या सी-54 (BRCK छोर)	यह अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-56 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है तथा लाइन सं० 1/2/3/4/5 में आने हेतु।
10	अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-50	यह अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-52 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है तथा लाइन सं० 4/5/6 में आने हेतु।
11	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-19 (GADM छोर)	यह डाउन रूटिंग होम सिगनल सं० एस-17 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है तथा लाइन सं० 7/8/9 में आने हेतु।
12	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-15	यह डाउन रूटिंग होम सिगनल सं० एस-13 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है तथा लाइन सं० 3/4/5/6 में आने हेतु।
13	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-11 (GDK छोर)	यह डाउन इनर रूटिंग होम सिगनल सं० एस-9 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है तथा लाइन सं० 1/2 में या डाउन रूटिंग होम सिगनल सं० एस-13/एस-17 तक आने हेतु।
14	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-7 (GADM छोर)	यह डाउन होम सिगनल सं० एस-5 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है तथा लाइन सं० 1/2 में या डाउन रूटिंग होम सिगनल सं० एस-13/एस-17 तक आने हेतु।
15	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-3 (GDK छोर)	यह डाउन होम सिगनल सं० एस-1 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है तथा डाउन इनर रूटिंग होम सिगनल सं० एस-9 तक आने हेतु।
16	डाउन आई.बी.एस. सिगनल सं० एस-109	यह गोण्डा-बरुआचक डाउन लाइन पर गोण्डा स्टेशन से 04. 10 कि.मी. दूर स्थित है। यह बरुआचक छोर के दोहरी लाइन लाक एवं ब्लाक यंत्र के साथ एक्सल काउन्टर से नियंत्रित है।

(iv) फिक्सड वार्नर एवं स्टेशनों पर स्टाप बोर्ड -

इस स्टेशन पर फिक्सड वार्नर सिगनल का प्रावधान नहीं है। समपार सं० 261 हेतु लाइन सं० 43 पर दोनों तरफ से एक-एक स्टाप बोर्ड, समपार सं० 262 हेतु लाइन सं० 43 पर दोनों तरफ से एक-एक स्टाप बोर्ड, समपार सं० 1ए हेतु लाइन सं० 42 पर दोनों तरफ से एक-एक स्टाप बोर्ड व कांटा सं० 494ए के पहले अप लाइन पर एक डाउन स्टाप बोर्ड तथा समपार सं० 257 हेतु लाइन सं० 58 पर दोनों तरफ से एक-एक स्टाप बोर्ड प्रदत्त है।

(v) आपात कास ओवर/सीजर्स कास ओवर/डायमण्ड कासिंग -(क) आपात कास ओवर :-

गोण्डा कचहरी छोर से डाउन लाइन को अप लाइन से जोड़ने हेतु पश्चिम छोर पर कांटा सं. 305ए-305बी नार्मल ट्रेन वर्किंग के लिए है परन्तु गोण्डा कचहरी छोर को जाने हेतु कांटा सं. 305ए-305बी आपात कास ओवर का कार्य करेगा। इसी प्रकार बरुआचक छोर से अप लाइन को डाउन लाइन से जोड़ने हेतु पूर्वी छोर पर कांटा सं. 367ए-367बी व 494ए-494बी नार्मल ट्रेन वर्किंग के लिए है परन्तु बरुआचक छोर को जाने हेतु कांटा सं. 367ए-367बी व 494ए-494बी आपात कास ओवर का कार्य करेगा। सुभागपुर एवं गंगाधाम छोर पर कोई आपात कास ओवर का प्रावधान नहीं है।

(ख) सीजर्स कास ओवर -

इस स्टेशन पर सीजर्स कास ओवर का प्रावधान नहीं है।

कमशः पृष्ठ सं० 10 पर

(ग) डायमण्ड कासिंग –

इस स्टेशन पर डायमण्ड कासिंग का प्रावधान नहीं है।

(vi) स्थाई रूप से लाक किये गये कांटे
– कोई नहीं

(vii) यांत्रिक रूप से संचालित स्टेशनों पर मोटर द्वारा परिचालित कांटे –
इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

(viii) आपात/कैंक हैण्डल चाभियों और उनकी अभिरक्षा –

आपात/कैंक हैण्डल चाभियों का विवरण और उनकी अभिरक्षा स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट “बी” में दिया गया है।

(ix) कांटे/ट्रैप कांटे/सिगनल/एक्सल काउन्टर/ट्रैक सर्किट के संकेत (इलेक्ट्रिक/बैनर किस्म के) –

(अ) सिगनल इंडीकेशन –

पैनल पर फील्ड में लगे प्रत्येक सिगनल के लिये स्थल पर लगे सिगनल सूचक द्वारा दर्शाये गये हैं। ये सूचक फील्ड पर लगे सिगनलों द्वारा दर्शाये जाने वाले आस्पेक्ट के अनुरूप लाल/हरे/पीले रंग की लघु प्रकाश इंडीकेशन (सूचक बत्ती) का प्रावधान है।

होम सिगनल पर लगे जंक्शन इंडीकेटर के लिये पैनल पर एक लघु सफेद प्रकाश इंडीकेशन प्रकाशित होकर होम सिगनल का लूप लाइन के लिए “आफ” होना दर्शाती है।

आश्रित शंट सिगनल जो मुख्य सिगनल के खम्भे पर स्थित होते हैं, उनके इंडीकेशन के लिए एक लघु सफेद प्रकाश इंडीकेशन “आफ” स्थिति में प्रकाशित होगी। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है।

अनाश्रित शंट सिगनल (स्वतंत्र खम्भे पर स्थित) की आन स्थिति में एक सीधी लघु प्रकाश इंडीकेशन तथा आफ स्थिति में 45 डिग्री के कोण पर लघु सफेद प्रकाश पट्टी प्रकाशित होगी।

कालिंग आन सिगनल के आस्पेक्ट का इंडिकेशन पैनल पर होम सिगनल के नीचे छोटे पीले प्रकाश के रूप में दिया गया है। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है। यह तभी प्रकाशित होता है जब कालिंग आन सिगनल आफ किया जाता है।

(ब) ट्रैक सर्किट इंडीकेशन –

पैनल पर ट्रैक सर्किटों के ऊपर प्रकाश पट्टियों (स्टिप) का प्रावधान है, जो ट्रैक सर्किट पर गाड़ी नहीं रहने पर प्रकाशित नहीं होती है। जब कोई सिगनल “आफ” किया जाता है तो उसके मार्ग में पड़ने वाले तथा ओवर लैप की ट्रैक सर्किटों की सफेद प्रकाश पट्टियां प्रकाशित हो जाती हैं। जब गाड़ी ट्रैक सर्किट पर आती है तब प्रकाश पट्टियों का सफेद प्रकाश बुझ जाता है और लाल प्रकाश जल जाता है। गाड़ी जब ट्रैक सर्किट को पार कर जाती है तब लाल प्रकाश बुझकर पुनः सफेद प्रकाश जल जाता है। ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में ये प्रकाश पट्टियां लाल प्रकाश से प्रकाशित हो जाती हैं।

क्रमशः पृष्ठ 11 पर

टिप्पणी: गाड़ी ट्रैक पर आने पर यदि लाल प्रकाश पट्टी प्रकाशित नहीं हो तो इसका अर्थ यह है कि लघु प्रकाश बत्ती फ्यूज हो गयी है, इसके मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें। यदि सफेद प्रकाश पट्टी का प्रकाशित होना अपेक्षित हो और वह न जलती हो तो पैनल सुपरवाइजर व्यक्तिगत रूप से जांच करायेगा कि ट्रैक साफ है अथवा नहीं। यदि साफ है तो ट्रैक सर्किट को सही कार्यशील समझा जाये तथापि बत्ती मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें।

(स) कांटो का संकेत –

एक सफेद प्रकाश स्टिप (पट्टी) प्रत्येक कांटे के ट्रैक सर्किट पर कांटे की नार्मल/रिवर्स स्थिति के अनुसार प्रकाशित रहता है। जब सम्बन्धित कांटा बटन एवं **डब्लू.डब्लू.एन.** बटन कांटो को संचालित करने के लिए दबाते हैं तो कांटे के नार्मल/रिवर्स स्थिति में सेट एवं लाक होने पर सफेद प्रकाश का स्टिप पलेश करना प्रारम्भ कर देती है, फिर सफेद प्रकाश स्टिप स्थिर हो जाती है। विफलता की स्थिति में सफेद स्टिप पलेश करती रहती है।

टिप्पणी: मोटर कांटे पर नान सिगनल मूवमेन्ट के पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर/पैनल को चाहिए कि वह सम्बन्धित मोटर कांटो को नार्मल/रिवर्स स्थिति में चलाकर उसकी जांच कर ले तथा उनके सम्बन्धित सूचकों को पैनल पर सुनिश्चित कर ले तथा इस जांच की प्रविष्टि स्टेशन मास्टर डायरी में अवश्य करें।

(द) ट्रैक सर्किट/एक्सल काउन्टर:-

डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० **एस-107** तथा डाउन आई.बी.एस. सिगनल सं० **एस-109** के बीच ट्रैक का भाग डिजिटल एक्सल काउन्टरों द्वारा रक्षित है तथा आई.बी.एस. सिगनल के आगे ट्रैक का 400 मी. भाग ट्रैक सर्किट द्वारा रक्षित है।

गोण्डा जं०-बरुआचक खण्ड में डाउन लाइन पर गोण्डा जं० व डाउन आई.बी.एस. एवं डाउन आई.बी.एस. व बरुआचक के मध्य तथा अप लाइन पर बरुआचक व अप आई.बी.एस. एवं अप आई.बी.एस. व गोण्डा के मध्य डिजिटल एक्सल काउन्टरों का प्रावधान है। गोण्डा जं० - गोण्डा कचहरी, गोण्डा जं०- सुभागपुर तथा गोण्डा जं०- गंगाधाम खण्ड में एक्सल काउन्टर का प्रावधान है। रनिंग ला० सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 व 22 पर **MSDAC** का प्रावधान है। सभी रनिंग लाइने ट्रैक सर्किटेड है।

(विस्तृत विवरण हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" देखें।)

(x) कांटे/सिगनल/गेट कंट्रोल स्विचों का उपयोग करते हुए रुट सेंटिंग के लिये लीवर फ्रेम/नियंत्रण पैनल वीडियो डिसप्ले यूनिट –

स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया गया है।

(xi) कांटों का पृथक परिचालन –

स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया गया है।

(xii) **स्टेशन सीमा के भीतर गेटों का परिचालन –**

स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "ए" में दिया गया है।

कमशः पृष्ठ 12 पर

(xiii) **कैंक हैण्डिल का उपयोग करते हुए कांटों की सेटिंग –**

जब कभी किसी प्वाइन्ट को आपेक्षित पोजीशन में रूट आपरेशन सिस्टम या इमरजेन्सी प्वाइन्ट आपरेशन द्वारा सेट करना सम्भव न हो तो यह निष्कर्ष होगा कि प्वाइन्ट को कन्ट्रोल पैनल से इलेक्ट्रिकली सेट नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले में स्टेशन मास्टर/पैनल पावर कैबिन पर इलेक्ट्रिकली लाकड रखे गये सम्बन्धित कैंक हैण्डिल को रिलीज करके जैसा कि इस स्टेशन कि स्टेशन संचालन नियमों में संलग्न परिशिष्ट "बी" के अनुसार प्वाइन्ट को सेट करायेगा।

टिप्पणी :

(i) प्रत्येक बार जब विद्युत कांटा मशीन से संचालित कांटों का हाथ द्वारा संचालन करने के लिए अथवा टेस्टिंग हेतु **के.एल.सी.आर.** चाभी निकाला जाये तो इस आशय की प्रविष्टि कार्यरत स्टेशन मास्टर/पैनल द्वारा इस उद्देश्य से बनाये गये रजिस्टर में स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" अनुलग्नक- I में दिये गये प्रोफार्मा के अनुसार किया जायेगा।

(ii) जब भी **के.एल.सी.आर.** चाभी संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी को अनुरक्षण या टेस्टिंग इत्यादि हेतु दिया जाये तो सम्बन्धित कांटे का वियोजन निर्धारित प्रारूप पर अवश्य लिया जाये, जिसका रख रखाव अलग से रखा जाये।

(iii) सम्बन्धित सिगनल विभाग के कर्मचारी से रीकनेक्शन मेमों के साथ कैंक हैण्डिल प्राप्त होने पर सामान्य कार्य प्रणाली अपनायी जाये।

(iv) डिस्कनेक्शन की अवधि में गाड़ियों का परिचालन साधारण एवं सहायक नियम 3.69(1)(3) एवं 3.70(1)(2) के अनुसार करें।

(xiv) **आपातकालीन संचालन के लिये उपलब्ध वीडर काउन्टर के रख रखाव हेतु –**

1.	आपातकालीन सिगनल रिप्लेसमेन्ट वीडर गणक (ईजीजीएन)
2.	आगमन सिगनलों के लिये आपातकालीन सिगनल निरस्तीकरण संयुक्त वीडर गणक (EUYN)।
3.	आपातकालीन प्वाइन्ट आपरेशन संयुक्त वीडर गणक (EWN)।
4.	आपातकालीन रूट रिलीज संयुक्त वीडर गणक (EUUYN)।
5.	बुलावा सिगनलों के लिये संयुक्त वीडर गणक (COGGN)।
6.	ओवरलैप रिलीज वीडर गणक (OYN)।
7.	कैंक हैण्डिलों के लिये संयुक्त वीडर गणक (CHYN)।
8.	समपार फाटकों के लिये संयुक्त वीडर गणक (CHGZ)।
9.	लाइन क्लीयर कैंसीलेशन वीडर काउन्टर (गंगाधाम UFSBI ब्लॉक यन्त्र में)
10.	लाइन क्लीयर कैंसीलेशन वीडर काउन्टर (सुभागपुर UFSBI ब्लॉक यन्त्र में)
11.	अप आई.बी.एस. सिगनल को-आपरेशन काउन्टर
12.	डाउन सी०आर०आर० काउन्टर (आई.बी.एस. सिगनल रीसेट)
13.	आई.बी.एस. सिगनल कैंसीलेशन काउन्टर
14.	एक्सल काउन्टर का वीडर काउन्टर (रिसेट बाक्स में) बरुआचक छोर।
15.	एक्सल काउन्टर का वीडर काउन्टर (रिसेट बाक्स में) सुभागपुर छोर।

16	एक्सल काउन्टर का वीडर काउन्टर (रिसेट बाक्स में) गंगाधाम छोर।
17	एक्सल काउन्टर का वीडर काउन्टर (रिसेट बाक्स में) गोण्डा कचहरी छोर।
18	लाइन सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 व 22 के रिसेट यूनिट में वीडर गणक।

टिप्पणी :- सम्बन्धित स्टेशन मास्टर वीडर काउन्टर रजिस्टर को वीडर काउन्टर द्वारा दर्शायी गयी सं० के अनुसार अद्यतन रखेंगे।

कमशः पृष्ठ 13 पर

- (xv) गाड़ी बचाव और चेतावनी प्रणाली (टी.पी.डब्ल्यू.एस.) तथा टक्कर रोधी उपकरण(ए.सी.डी) की कार्य विधि –
स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।
- (xvi) बर्थिंग पोर्शन और आई.बी.एस. सेक्शन पर एक्सल काउन्टर की खराबी के मामले में रीसेटिंग की पद्धति –
स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट “बी” में दिया गया है।
- (xvii) कांटो का आपात संचालन –
स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट “बी” में दिया गया है।
- (xviii) आपात मार्ग रद्दीकरण –
स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट “बी” में दिया गया है।
- (xix) ब्लॉक की क्लियरिंग –
स्टेशन मास्टर/पैनल, बरुआचक व गोण्डा कचहरी छोर के ब्लॉक खण्ड हेतु एक्सल काउन्टर की लघु हरी प्रकाश बत्ती के द्वारा तथा गंगाधाम व सुभागपुर छोर के बी.पी.ए.सी के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इन्टरसेफ(यू.एफ.एस.बी.आई) ब्लॉक पैनल पर ब्लॉक सेक्शन क्लीयर इंडीकेशन द्वारा ब्लॉक की क्लियरिंग सुनिश्चित करेगा। इण्डीकेशन की विफलता की दशा में गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही ब्लॉक की क्लीयरिंग सुनिश्चित करेंगे।

4.1.1 डाउन आगमन/प्रस्थान सिगनल –

(I) डाउन आगमन सिगनल (गोण्डा कचहरी से) –

- (क) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल/डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (गोण्डा कचहरी) सं० 11 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है इसका एक पीला आस्पेक्ट सम्बन्धित छोर के दोहरी लाइन लाक एवं ब्लॉक यंत्र व एक्सल काउन्टर द्वारा नियन्त्रित है।
इसका दो पीला आस्पेक्ट सम्बन्धित छोर के दोहरी लाइन लाक एवं ब्लॉक यंत्र व एक्सल काउन्टर तथा गेट सिगनल सं० 1 (समपार सं० 262) के दो पीला आस्पेक्ट द्वारा नियन्त्रित है।
इसका हरा आस्पेक्ट सम्बन्धित छोर के दोहरी लाइन लाक एवं ब्लॉक यंत्र व एक्सल काउन्टर तथा गेट सिगनल सं० 1 (समपार सं० 262) के हरा आस्पेक्ट द्वारा नियन्त्रित है।
- (ख) डाउन गेट सिगनल(समपार सं. 262) सं० 1 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। एक पीला आस्पेक्ट समपार सं० 262 की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियन्त्रित है। दो पीला/हरा आस्पेक्ट समपार सं० 262 की बन्द व लाक स्थिति तथा डाउन होम सिगनल सं० एस-1 के आफ आस्पेक्ट द्वारा नियन्त्रित है।

- (ग) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। एक पीला आस्पेक्ट समपार सं० 261 की बन्द व लाक स्थिति में गेट स्लाट स्विच सं. 1 द्वारा नियन्त्रित है। दो पीला/हरा आस्पेक्ट समपार सं० 261 की बन्द व लाक स्थिति में गेट स्लाट स्विच सं. 1 एवं डाउन इनर रूटिंग होम सिगनल सं० एस-9 के आफ आस्पेक्ट द्वारा नियन्त्रित है।

कमशः पृष्ठ 14 पर

- (घ) डाउन इनर रूटिंग होम सिगनल सं. एस-9 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। जंक्शन इंडिकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये –
- (i) डाउन इनर रूटिंग होम सिगनल सं. एस-9 (बांया जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं. 7/8/9 के लिए डाउन रूटिंग होम सिगनल सं. एस-17 तक जाने हेतु।
 - (ii) डाउन इनर रूटिंग होम सिगनल सं. एस-9 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं. 3/4/5/6 के लिए डाउन रूटिंग होम सिगनल सं. एस-13 तक जाने हेतु।
 - (iii) डाउन इनर रूटिंग होम सिगनल सं. एस-9 (दांये से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं. 1 के लिए।
 - (iv) डाउन इनर रूटिंग होम सिगनल सं. एस-9 (दांये से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं. 2 के लिए।
- (ङ) डाउन रूटिंग होम सिगनल सं. एस-13 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। जंक्शन इंडिकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये –
- (i) डाउन रूटिंग होम सिगनल सं. एस-13 (बांये से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं. 6 के लिए।
 - (ii) डाउन रूटिंग होम सिगनल सं. एस-13 (बांये से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं. 5 के लिए।
 - (iii) डाउन रूटिंग होम सिगनल सं. एस-13 (बांये से तीसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं. 4 के लिए।
 - (iv) डाउन रूटिंग होम सिगनल सं. एस-13 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं. 3 के लिए।
- (च) डाउन रूटिंग होम सिगनल सं एस-17 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। जंक्शन इंडिकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये –
- (i) डाउन रूटिंग होम सिगनल सं. एस-17 (बांये से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं. 9 के लिए।
 - (ii) डाउन रूटिंग होम सिगनल सं. एस-17 (बांये से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं. 8 के लिए।
 - (iii) डाउन रूटिंग होम सिगनल सं. एस-17 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं. 7 के लिए।

(II) डाउन आगमन सिगनल (गंगाधाम से) –

- (क) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल सं० ए-5 का नार्मल आस्पेक्ट पीला है। दो पीला आस्पेक्ट डाउन होम सिगनल सं० एस-5 के आफ आस्पेक्ट द्वारा नियन्त्रित है।
- (ख) डाउन होम सिगनल सं. एस-5 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। जंक्शन इंडिकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये -
- (i) डाउन होम सिगनल सं. एस-5 (दांये से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं. 1 के लिए।
- (ii) डाउन होम सिगनल सं. एस-5 (दांये से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं. 2 के लिए।

क्रमशः पृष्ठ संख्या 15 पर

- (iii) डाउन होम सिगनल सं. एस-5 (दांये से तीसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं. 3/4/5/6 के लिए डाउन रुटिंग होम सिगनल सं. एस-13 तक जाने हेतु।
- (iv) डाउन होम सिगनल सं. एस-5 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं. 7/8/9 के लिए डाउन रुटिंग होम सिगनल सं. एस-17 तक जाने हेतु।

(III) डाउन प्रस्थान सिगनलों का विवरण -

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-25 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं. 2 से डाउन मेन लाइन पर इण्टरमीडिएट स्टार्टर सिगनल सं० एस-85 तक जाने के लिये।
- (ii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-25 (बांये से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 2 से गुड्स लाइन सं. 10/11/12 पर जाने के लिये।
- (iii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-25 (बांये से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं. 2 से IIIrd लाइन पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-61 तक जाने के लिये।
- (iv) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-27 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं. 1 से डाउन मेन लाइन पर इण्टरमीडिएट स्टार्टर सिगनल सं० एस-85 तक जाने के लिये।
- (v) डाउन प्रस्थान सिगनल सं. एस-27 (बांया जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 1 से IIIrd लाइन पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं. एस-61 तक जाने के लिये।
- (vi) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-29 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं. 3 से डाउन मेन लाइन पर इण्टरमीडिएट स्टार्टर सिगनल सं० एस-85 तक जाने के लिये।
- (vii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-29 (बांया जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 3 से IIIrd लाइन पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-61 तक जाने के लिये।
- (viii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-31 (दांया जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 4 से डाउन मेन लाइन पर इण्टरमीडिएट स्टार्टर सिगनल सं० एस-85 तक जाने के लिये।
- (ix) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-31 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं. 4 से IIIrd लाइन पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-61 तक जाने के लिये।

- (x) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-33 (दांये से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं. 5 से डाउन मेन लाइन पर इण्टरमीडिएट स्टार्टर सिगनल सं० एस-85 तक जाने के लिये।
- (xi) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-33 (दांये से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं. 5 से IIIrd लाइन पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-61 तक जाने के लिये।
- (xii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-33 (दांये से तीसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 5 से गुड्स लाइन सं. 10/11/12/13/14 पर जाने के लिये।
- (xiii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-33 (बांये से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं. 5 से लाइन सं० 24 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-81 तक जाने के लिये।

कमशः पृष्ठ संख्या 16 पर

- (xiv) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-33 (बांये से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 5 से लाइन सं० 23 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-79 तक जाने के लिये।
- (xv) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-33 (बांये से तीसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 5 से लाइन सं० 22 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-77 तक जाने के लिये।
- (xvi) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-35 (दांये से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 6 से IIIrd लाइन पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-61 तक जाने के लिये।
- (xvii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-35 (दांये से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 6 से गुड्स लाइन संख्या 10/11/12/13/14 पर जाने के लिये।
- (xviii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-35 (बांये से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 6 से लाइन सं० 24 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-81 तक जाने के लिये।
- (xix) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-35 (बांये से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 6 से लाइन सं० 23 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-79 तक जाने के लिये।
- (xx) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-35 (बांये से तीसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 6 से लाइन सं० 22 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-77 तक जाने के लिये।
- (xxi) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-37 (दांये से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 7 से IIIrd लाइन पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-61 तक जाने के लिये।
- (xxii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-37 (दांये से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 7 से गुड्स लाइन संख्या 10/11/12/13/14 पर जाने के लिये।
- (xxiii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-37 (बांये से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 7 से लाइन सं० 24 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-81 तक जाने के लिये।

- (xxiv) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-37 (बांये से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 7 से लाइन सं० 23 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-79 तक जाने के लिये।
- (xxv) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-37 (बांये से तीसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 7 से लाइन सं० 22 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-77 तक जाने के लिये।
- (xxvi) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (दांया जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 8 से IIIrd लाइन पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-61 तक जाने के लिये।
- (xxvii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (बांये से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 8 से लाइन सं० 25 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-83 तक जाने के लिये।
- (xxviii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (बांये से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 8 से लाइन सं० 24 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-81 तक जाने के लिये।

कमशः पृष्ठ संख्या 17 पर

- (xxix) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (बांये से तीसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 8 से लाइन सं० 23 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-79 तक जाने के लिये।
- (xxx) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-41 (दांये से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 9 से लाइन सं० 23 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-79 तक जाने के लिये।
- (xxxi) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-41 (दांये से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 9 से लाइन संख्या 24 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-81 तक जाने के लिये।
- (xxxii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-41 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन संख्या 9 से लाइन संख्या 25 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-83 तक जाने के लिये।

(IV) डाउन प्रस्थान सिगनल (बहुआचक जाने के लिये) –

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-61 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) IIIrd लाइन से प्रस्थान के लिये।
- (ii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-63 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) गुड्स रनिंग लाइन संख्या 10 से प्रस्थान के लिये।
- (iii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-65 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) गुड्स रनिंग लाइन संख्या 11 से प्रस्थान के लिये।
- (iv) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-67 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) गुड्स रनिंग लाइन संख्या 12 से प्रस्थान के लिये।
- (v) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-69 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) गुड्स रनिंग लाइन संख्या 13 से प्रस्थान के लिये।
- (vi) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-71 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) गुड्स रनिंग लाइन संख्या 14 से प्रस्थान के लिये।

- (vii) डाउन कामन प्रस्थान सिगनल सं० एस-73 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) मार्शलिंग रनिंग लाइन संख्या 15/16/17 से प्रस्थान के लिये।
- (viii) डाउन कामन प्रस्थान सिगनल सं० एस-75 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) मार्शलिंग लाइन संख्या 18/19 से प्रस्थान के लिये।
- (ix) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-77 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) रनिंग एकजामिनेशन लाइन संख्या 22 से प्रस्थान के लिये।
- (x) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-79 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) रनिंग लाइन संख्या 23 से प्रस्थान के लिये।
- (xi) डाउन इण्टरमीडिएट प्रस्थान सिगनल सं० एस-85 डाउन मेन लाइन से प्रस्थान के लिये।
- (xii) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-107 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। इसका आफ आस्पेक्ट, समपार सं० 257 की बन्द व लाक स्थिति में गेट स्लाट स्विच सं. 3 तथा डाउन लाइन के गोण्डा-आई.बी.एस. सिगनल सं० एस-109 खण्ड के एक्सल काउन्टर एवं आई.बी.एस. सिगनल ट्रेक सर्किट सं० 109टी व 109एटी के क्लीयर इन्डीकेशन द्वारा नियन्त्रित है।

कमशः पृष्ठ संख्या 18 पर

- (xiii) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल (आई.बी.एस) सं० ए-109 का आफ आस्पेक्ट डाउन आई.बी.एस. सिगनल सं० एस-109 द्वारा नियन्त्रित है।
- (xiv) डाउन इण्टरमीडिएट ब्लाक स्टाप सिगनल (आई.बी.एस) सं० एस-109 का आफ आस्पेक्ट बरुआचक छोर के दोहरी लाइन लाक एवं ब्लाक यंत्र तथा एक्सल काउन्टर द्वारा नियन्त्रित है।

(V) डाउन प्रस्थान सिगनल (सुभागपुर जाने के लिये) -

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-61 (जंक्शन इंडिकेटर सहित) IIIrd लाइन से प्रस्थान के लिये।
- (ii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-63 (जंक्शन इंडिकेटर सहित) गुड्स रनिंग लाइन संख्या 10 से प्रस्थान के लिये।
- (iii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-65 (जंक्शन इंडिकेटर सहित) गुड्स रनिंग लाइन संख्या 11 से प्रस्थान के लिये।
- (iv) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-67 (जंक्शन इंडिकेटर सहित) गुड्स रनिंग लाइन संख्या 12 से प्रस्थान के लिये।
- (v) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-69 (जंक्शन इंडिकेटर सहित) गुड्स रनिंग लाइन संख्या 13 से प्रस्थान के लिये।
- (vi) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-71 (जंक्शन इंडिकेटर सहित) गुड्स रनिंग लाइन संख्या 14 से प्रस्थान के लिये।
- (vii) डाउन कामन प्रस्थान सिगनल सं० एस-73 (जंक्शन इंडिकेटर सहित) मार्शलिंग लाइन संख्या 15/16/17 से प्रस्थान के लिये।
- (viii) डाउन कामन प्रस्थान सिगनल सं० एस-75 (जंक्शन इंडिकेटर सहित) मार्शलिंग लाइन संख्या 18/19 से प्रस्थान के लिये।
- (ix) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-77 (जंक्शन इंडिकेटर सहित) रनिंग एकजामिनेशन लाइन संख्या 22 से प्रस्थान के लिये।

- (x) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-79 (जंक्शन इंडिकेटर सहित) रनिंग लाइन संख्या 23 से प्रस्थान के लिये।
- (xi) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-81 गुड्स रनिंग लाइन संख्या 24 से प्रस्थान के लिये।
- (xii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-83 लाइन संख्या 25 से प्रस्थान के लिये।
- (xiii) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-111 का आफ आस्पेक्ट सुभागपुर छोर के बी.पी.ए.सी के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इन्टरफेस(यू.एफ.एस.बी.आई) ब्लॉक पैनल द्वारा नियंत्रित है।

(VI) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-23 मेमू/डेमू लाइन से प्रस्थान हेतु।

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-23 (जंक्शन इन्डीकेटर रहित) लाइन संख्या 35 से लाइन संख्या 2 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-25 तक जाने हेतु।
- (ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-23 (दायां जंक्शन इन्डीकेटर सहित) लाइन संख्या 35 से लाइन संख्या 1 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-27 तक जाने हेतु।
- (iii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-23 (बायां जंक्शन इन्डीकेटर सहित) लाइन संख्या 35 से लाइन संख्या 3 पर डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-29 तक जाने हेतु।

क्रमशः पृष्ठ संख्या 19 पर

4.1.2 अप आगमन/प्रस्थान सिगनल –

(I) अप आगमन सिगनल (बरूआचक से) –

- (क) अप डिस्टेन्ट सिगनल/अप आई.बी.एस.(बरूआचक) सिगनल सं. एस-8 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। इसका एक पीला आस्पेक्ट सम्बन्धित छोर के दोहरी लाइन लाक एवं ब्लॉक यंत्र व एक्सल काउन्टर द्वारा नियंत्रित है। इसका दो पीला आस्पेक्ट सम्बन्धित छोर के दोहरी लाइन लाक एवं ब्लॉक यंत्र व एक्सल काउन्टर तथा गेट सिगनल सं० 2 (समपार सं० 257) के पीला आस्पेक्ट द्वारा नियंत्रित है। इसका हरा आस्पेक्ट सम्बन्धित छोर के दोहरी लाइन लाक एवं ब्लॉक यंत्र व एक्सल काउन्टर तथा गेट सिगनल सं० 2 (समपार सं० 257) के दो पीला/हरा आस्पेक्ट द्वारा नियंत्रित है।
- (ख) अप गेट सिगनल सं० 2 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। एक पीला आस्पेक्ट समपार सं० 257 की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है। दो पीला/हरा आस्पेक्ट समपार सं० 257 की बन्द व लाक स्थिति तथा अप होम सिगनल सं० एस-108 के आफ आस्पेक्ट द्वारा नियंत्रित है।
- (ग) अप होम सिगनल सं० एस-108 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। जंक्शन इंडिकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये –
 - (i) अप होम सिगनल संख्या एस-108 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) का पीला आस्पेक्ट अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-56 तक आने के लिए तथा दो पीला/हरा आस्पेक्ट अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-56 के आफ आस्पेक्ट द्वारा नियंत्रित है।

- (ii) अप होम सिगनल सं० एस-108 (दाहिने से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 22/23 के लिए अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-92 तक आने के लिये ।
- (iii) अप होम सिगनल सं० एस-108 (दाहिने से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 11/12/13/14 के लिए अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-96 तक आने के लिये ।
- (iv) अप होम सिगनल सं० एस-108 (दाहिने से तीसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) IIIrd लाइन एवं लाइन सं० 10 के लिए अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-100 तक आने के लिये ।
- (ग) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-56 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। जंक्शन इंडिकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये –
- (i) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-56 (बायां जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 1 पर आने के लिए।
- (ii) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-56 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं० 2 पर आने के लिये।
- (iii) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-56 (दाहिने से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 5 पर आने के लिये।
- (iv) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-56 (दाहिने से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 4 पर आने के लिये।
- (v) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-56 (दाहिने से तीसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 3 पर आने के लिये।
- कमशः पृष्ठ सं० 20 पर**

(II) अप आगमन सिगनल (सुभागपुर से) –

- (क) अप डिस्टेन्ट सिगनल सं० ए-112 का नार्मल आस्पेक्ट पीला है। दो पीला आस्पेक्ट अप होम सिगनल सं० एस-112 के आफ आस्पेक्ट द्वारा नियन्त्रित है।
- (ख) अप होम सिगनल सं० एस-112 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। जंक्शन इंडिकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये –
- (i) अप होम सिगनल संख्या एस-112 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं० 24/25 के लिए अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-104 तक आने के लिए।
- (ii) अप होम सिगनल सं० एस-112 (बांये से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० IIIrd लाइन एवं लाइन सं० 10 के लिए अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-100 तक आने के लिये।
- (iii) अप होम सिगनल सं० एस-112 (बांये से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 11/12/13/14 के लिए अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-96 तक आने के लिये।
- (iv) अप होम सिगनल सं० एस-112 (बांये से तीसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 22/23 के लिए अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-92 तक आने के लिये।

- (ग) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-104 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। जंक्शन इंडिकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये –
- अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-104 (दाया जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 25 पर आने के लिए।
 - अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-104 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं० 24 पर आने के लिये।
- (घ) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-84 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। जंक्शन इंडिकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये –
- अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-84 (बाया जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 8 पर आने के लिए।
 - अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-84 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं० 9 पर आने के लिये।
- (III) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-100 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। जंक्शन इंडिकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये –
- अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-100 (दाया जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 10 पर आने के लिए।
 - अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-100 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) IIIrd लाइन पर जाने के लिये।
- (IV) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-96 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। जंक्शन इंडिकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये –
- अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-96 (बाया जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 11 पर आने के लिए।
 - अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-96 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं० 12 पर जाने के लिये।

क्रमशः पृष्ठ सं० 21 पर

- अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-96 (दाहिने से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 14 पर आने के लिए।
 - अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-96 (दाहिने से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 13 पर आने के लिए।
- (V) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-92 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। जंक्शन इंडिकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये –
- अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-92 (दाया जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 23 पर आने के लिए।
 - अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-92 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं० 22 पर जाने के लिये।
- (VI) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-60 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। जंक्शन इंडिकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये –
- अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-60 (दाहिने से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 8 पर आने के लिए।
 - अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-60 (दाहिने से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 7 पर जाने के लिये।

- (iii) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-60 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं० 4/5/6 के लिए अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-52 तक आने के लिये।
 - (iv) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-60 (बांया से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 1 पर आने के लिए।
 - (v) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-60 (बांया से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 2 पर आने के लिए।
 - (vi) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-60 (बांया से तीसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 3 पर आने के लिए।
- (VII) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-52 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। जंक्शन इंडिकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये –
- (i) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-52 (दाहिने से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 6 पर आने के लिए।
 - (ii) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-52 (दाहिने से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन सं० 5 पर आने के लिए।
 - (iii) अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-52 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन सं० 4 पर आने के लिये।
- (VIII) अप प्रस्थान सिगनलों का विवरण –
- (i) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-62 गुड्स रनिंग लाइन संख्या 10 से लाइन सं० 2/5/6/7 पर जाने के लिये।
 - (ii) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-64 गुड्स रनिंग लाइन संख्या 11 से लाइन सं० 2/5/6/7 पर जाने के लिये।
 - (iii) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-66 गुड्स रनिंग लाइन संख्या 12 से लाइन सं० 2/5/6/7 पर जाने के लिये।
 - (iv) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-68 गुड्स रनिंग लाइन संख्या 13 से लाइन सं० 5/6/7 पर जाने के लिये।

क्रमशः पृष्ठ सं० 22 पर

- (v) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-70 गुड्स रनिंग लाइन संख्या 14 से लाइन सं० 5/6/7 पर जाने के लिये।
 - (vi) अप कामन प्रस्थान सिगनल सं० एस-72 मार्शलिंग लाइन सं० 15/16/17 से लाइन सं० 5/6/7 पर जाने के लिये।
 - (vii) अप कामन प्रस्थान सिगनल सं० एस-74 मार्शलिंग लाइन सं० 18/19 से लाइन सं० 5/6/7 पर जाने के लिये।
 - (viii) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-76 रनिंग एक्जामिनेशन लाइन संख्या 22 से लाइन सं० 5/6/7 पर जाने के लिये।
 - (ix) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-78 (जंक्शन इंडिकेटर सहित) रनिंग लाइन संख्या 23 से लाइन सं० 8 पर जाने के लिये।
 - (x) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-78 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) रनिंग लाइन संख्या 23 से लाइन सं० 9 पर जाने के लिये।
 - (xi) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-80 लाइन संख्या 24 से लाइन सं० 5/6/7/8/9 पर जाने के लिये।
- (IX) अप प्रस्थान सिगनल (गोण्डा कचहरी छोरे) –

- (i) अप स्टाप सिगनल संख्या एस-22 (फिक्स एट आन) मेमू/डेमू लाइन संख्या 35 पर।
- (ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-24 (जंक्शन इन्डीकेटर रहित) लाइन संख्या 2 से गोण्डा कचहरी जाने हेतु।
- (iii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-24 (बांया जंक्शन इन्डीकेटर सहित) लाइन संख्या 2 से मेमू/डेमू लाइन संख्या 35 पर जाने हेतु।
- (iv) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-26 (जंक्शन इन्डीकेटर रहित) लाइन संख्या 1 से गोण्डा कचहरी जाने हेतु।
- (v) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-26 (बांया जंक्शन इन्डीकेटर सहित) लाइन संख्या 1 से मेमू/डेमू लाइन संख्या 35 पर जाने हेतु।
- (vi) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-28 (जंक्शन इन्डीकेटर रहित) लाइन संख्या 3 से गोण्डा कचहरी जाने हेतु।
- (vii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-28 (बांया जंक्शन इन्डीकेटर सहित) लाइन संख्या 3 से मेमू/डेमू लाइन संख्या 35 पर जाने हेतु।
- (viii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-30 (जंक्शन इन्डीकेटर रहित) लाइन संख्या 4 गोण्डा कचहरी जाने हेतु।
- (ix) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-32 (जंक्शन इन्डीकेटर रहित) लाइन संख्या 5 गोण्डा कचहरी जाने हेतु।
- (x) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-34 (जंक्शन इन्डीकेटर रहित) लाइन संख्या 6 गोण्डा कचहरी जाने हेतु।
- (xi) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-36 (जंक्शन इन्डीकेटर रहित) लाइन संख्या 7 गोण्डा कचहरी जाने हेतु।
- (xii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-38 (जंक्शन इन्डीकेटर रहित) लाइन संख्या 8 गोण्डा कचहरी जाने हेतु।
- (xiii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-40 (जंक्शन इन्डीकेटर रहित) लाइन संख्या 9 गोण्डा कचहरी जाने हेतु।
- (xiv) अप अग्रिम प्रस्थान/अप गेट डिस्टेन्ट(समपार सं. 262) सिगनल सं० एस-2 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। पीला संकेती, गोण्डा कचहरी छोर के लाक एवं ब्लाक यन्त्र व एक्सल काउन्टर तथा समपार सं० 261 के अप गेट सिगनल सं० 2 के 'पीला' या 'लाल' संकेती द्वारा नियंत्रित है। हरा संकेती, गोण्डा कचहरी छोर के लाक एवं ब्लाक यन्त्र व एक्सल काउन्टर तथा समपार सं० 261 के अप गेट सिगनल सं० 2 के 'हरे' संकेती द्वारा नियंत्रित है।

कमशः पृष्ठ सं० 23 पर

- (xv) अप गेट सिगनल (समपार सं० 261) सं० 2 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। पीला संकेती, समपार सं० 261 के बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है। हरा संकेती, समपार सं० 261 के बन्द व लाक स्थिति तथा अप गेट सिगनल (समपार सं० 262)/अप डिस्टेन्ट सिगनल (गोण्डा कचहरी) सं० (2) के आफ संकेती द्वारा नियंत्रित है।
- (xvi) अप गेट(समपार सं० 262)/अप डिस्टेन्ट सिगनल (गोण्डा कचहरी) सं० (2) का नार्मल आस्पेक्ट लाल है। आफ संकेती, समपार सं० 262 के बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।

(X) अप प्रस्थान सिगनल (गंगाधाम को) -

- (i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-24 (दांया जंक्शन इन्डीकेटर सहित) लाइन संख्या 2 से गंगाधाम जाने हेतु।

- (ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-26 (दांया जंक्शन इन्डीकेटर सहित) लाइन संख्या 1 से गंगाधाम जाने हेतु।
- (iii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-28 (दांया जंक्शन इन्डीकेटर सहित) लाइन संख्या 3 से गंगाधाम जाने हेतु।
- (iv) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-30 (दांया जंक्शन इन्डीकेटर सहित) लाइन संख्या 4 से गंगाधाम जाने हेतु।
- (v) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-32 (दांया जंक्शन इन्डीकेटर सहित) लाइन संख्या 5 से गंगाधाम जाने हेतु।
- (vi) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-34 (दांया जंक्शन इन्डीकेटर सहित) लाइन संख्या 6 से गंगाधाम जाने हेतु।
- (vii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-36 (दांया जंक्शन इन्डीकेटर सहित) लाइन संख्या 7 से गंगाधाम जाने हेतु।
- (viii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-38 (दांया जंक्शन इन्डीकेटर सहित) लाइन संख्या 8 से गंगाधाम जाने हेतु।
- (ix) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-40 (दांया जंक्शन इन्डीकेटर सहित) लाइन संख्या 9 से गंगाधाम जाने हेतु।
- (x) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-6 का आफ आस्पेक्ट गंगाधाम छोर के बी.पी.ए.सी के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) ब्लाक पैनल एवं समपार सं० 1ए के बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।

4.1.3 अतिरिक्त सिगनल –

(क) आश्रित शंट सिगनल

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
डाउन शंट सिगनल संख्या एस.एच-133 डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस-13 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	गोण्डा कचहरी/गंगाधाम छोर से लाइन सं० 3/4 /5/6 पर शंटिंग हेतु आने के लिये।
डाउन शंट सिगनल संख्या एस.एच-137 डाउन रूटिंग होम सिगनल सं. एस-17 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	गोण्डा कचहरी/गंगाधाम छोर से लाइन सं० 7/8/9 पर शंटिंग हेतु आने के लिये।
अप शंट सिगनल संख्या एस.एच-142 अप स्टाप सिगनल सं. एस-22 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	मेमू/डेमू लाइन सं० 35 से शंटिंग नेक लाइन संख्या 43 में शंटिंग के लिये आने हेतु।

कमशः पृष्ठ सं० 24 पर

डाउन शंट सिगनल संख्या एस.एच-143 डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-23 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	मेमू/डेमू लाइन सं० 35 से लाइन सं० 1/2/3 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एस.एच-144 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-24 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 2 से मेमू/डेमू लाइन सं० 35 या लाइन सं० 36 या डीजल शेड साइडिंग या शंटिंग नेक लाइन सं. 42 में या गोण्डा कचहरी छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 या गंगाधाम छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-6 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं० एस.एच-145 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-25 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 2 से बरुआचक छोर पर डाउन मेन लाइन पर इण्टरमीडिएट प्रस्थान सिगनल सं० एस-85 तक या अप मेन लाइन पर स्टाप बोर्ड तक या III rd लाइन पर प्रस्थान सिगनल सं० एस-61 तक या गुड्स लाइन सं० 10/11/12 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एस.एच-146 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-26 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 1 से मेमू/डेमू लाइन सं० 35 या लाइन सं० 36 या डीजल शेड साइडिंग या शंटिंग नेक लाइन संख्या 42 में या गोण्डा कचहरी छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 या गंगाधाम छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-6 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं० एस.एच-147 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-27 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 1 से बरुआचक छोर पर डाउन मेन लाइन पर इण्टरमीडिएट प्रस्थान सिगनल सं० एस-85 तक या अप मेन लाइन पर स्टाप बोर्ड तक या III rd लाइन पर प्रस्थान सिगनल सं० एस-61 तक या गुड्स लाइन सं० 10/11/12 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एस.एच-148 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-28 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 3 से मेमू/डेमू लाइन सं० 35 या लाइन सं० 36 या डीजल शेड साइडिंग या शंटिंग नेक लाइन संख्या 42 में या गोण्डा कचहरी छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 या गंगाधाम छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-6 तक शंटिंग हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं० एस.एच-149 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-29 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 3 से बरुआचक छोर पर डाउन मेन लाइन पर इण्टरमीडिएट प्रस्थान सिगनल सं० एस-85 तक या अप मेन लाइन पर स्टाप बोर्ड तक या III rd लाइन पर प्रस्थान सिगनल सं० एस-61 तक या लाइन सं. 26 मेडिकल यान साइडिंग या गुड्स लाइन सं० 10/11/12 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एस.एच-150 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-30 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 4 से लाइन सं० 36 या डीजल शेड साइडिंग या शंटिंग नेक लाइन संख्या 42 में या गोण्डा कचहरी छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 या गंगाधाम छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-6 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं० एस.एच-151 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-31 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं. 4 से लाइन सं. 28/29/एस.एच-253/एस-85 तक या अप मेन लाइन पर स्टाप बोर्ड तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।

कमश: पृष्ठ सं० 25 पर

अप शंट सिगनल संख्या एस.एच-152 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-32 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 5 से लाइन सं० 36 या डीजल शेड साइडिंग या शंटिंग नेक लाइन संख्या 42 में या गोण्डा कचहरी छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 या गंगाधाम छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-6 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं० एस.एच-153 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-33 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 5 से एस-85 तक या अप मेन लाइन पर स्टाप बोर्ड तक या एस.एच-253/लाइन सं० 13/14 /15/16/17/18/19/20/21/22/23/24 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एस.एच-154 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-34 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 6 से लाइन सं० 36 या डीजल शेड साइडिंग या शंटिंग नेक लाइन संख्या 42 में या गोण्डा कचहरी छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 या गंगाधाम छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-6 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं० एस.एच-155 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-35 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 6 से एस-85 तक या अप मेन लाइन पर स्टाप बोर्ड तक या एस.एच-253/लाइन सं० 13/14/ 15/16/17/18/19/20/21/22/23/24 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एस.एच-156 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-36 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 7 से लाइन सं० 36 या डीजल शेड साइडिंग या शंटिंग नेक लाइन संख्या 42 में या गोण्डा कचहरी छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 या गंगाधाम छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-6 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं० एस.एच-157 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-37 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 7 से III rd लाइन/लाइन सं० 10/11 /12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 /22/23/24 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एस.एच-158 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-38 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 8 से लाइन सं० 30/36/डीजल शेड साइडिंग या शंटिंग नेक लाइन संख्या 42 में या गोण्डा कचहरी छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 या गंगाधाम छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-6 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं० एस.एच-159 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 8 से III rd लाइन/लाइन सं० 10/11 /12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 /22/23/24/25/49 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एस.एच-160 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-40 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 9 से लाइन सं० 30/32/36/डीजल शेड साइडिंग या शंटिंग नेक लाइन संख्या 42 में या गोण्डा कचहरी छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 या गंगाधाम छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-6 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं० एस.एच-161 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-41 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 9 से लाइन सं० 23/24/25 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एस.एच-172 अप रुटिंग होम सिगनल संख्या एस-52 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	III rd लाइन या गुड्स लाइन सं० 10/11/12 से लाइन सं० 4/5/6 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।

कमश: पृष्ठ सं० 26 पर

अप शंट सिगनल सं0 एस.एच-200 अप प्रस्थान सिगनल सं0 एस-80 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	रनिंग लाइन सं0 24 से लाइन सं0 5/6/8/9 में या शंट सिगनल सं0 एस.एच-248 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं0 एस.एच-201 डाउन प्रस्थान सिगनल सं0 एस-81 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं0 24 से फलस बट साइडिंग में या सुभागपुर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस-111 तक या शंटिंग नेक लाइन सं0 59 में शंटिंग हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं0 एस.एच-203 डाउन प्रस्थान सिगनल सं0 एस-83 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं0 25 से फलस बट साइडिंग में या सुभागपुर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस-111 तक या शंटिंग नेक लाइन सं0 59 में शंटिंग हेतु।
अप शंट सिगनल सं0 एस.एच-204 अप रुटिंग होम सिगनल सं0 एस-84 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	सुभागपुर मेन लाइन पर लाइन सं0 25 से लाइन सं0 8/9 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं0 एस.एच-205 डाउन इण्टरमीडिएट प्रस्थान सिगनल सं0 एस-85 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	डाउन मेन लाइन से बरुआचक छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस-107 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल सं0 एस.एच-212 अप रुटिंग होम सिगनल सं0 एस-92 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	सुभागपुर/बरुआचक छोर से लाइन सं0 20/21/22/23 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल सं0 एस.एच-216 अप रुटिंग होम सिगनल सं0 एस-96 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	सुभागपुर/बरुआचक छोर से गुड्स रनिंग लाइन सं0 11/12/13/14 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल सं0 एस.एच-220 अप रुटिंग होम सिगनल सं0 एस-100 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	सुभागपुर/बरुआचक छोर से गुड्स रनिंग लाइन सं0 10 या III rd लाइन में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल सं0 एस.एच-224 अप रुटिंग होम सिगनल सं0 एस-104 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	सुभागपुर छोर से गुड्स रनिंग लाइन सं0 24 या लाइन सं0 25 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।

(ख) अनाश्रित शंट सिगनल

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
डाउन शंट सिगनल संख्या एस.एच-225 कांटा संख्या 301एक्स के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	गोण्डा कचहरी छोर पर शंटिंग नेक लाइन संख्या 43 से लाइन संख्या 35/36/41 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एस.एच-226 कांटा संख्या 304एक्स के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	गोण्डा कचहरी छोर पर लाइन संख्या 36 से शंटिंग नेक लाइन संख्या 43 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एस.एच-227 कांटा संख्या 309ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	गंगाधाम छोर से लाइन संख्या 1/2 में या रुटिंग होम सिगनल सं0 एस-13 या रुटिंग होम सिगनल सं0 एस-17 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एस.एच-228 कांटा संख्या 303एक्स के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	गोण्डा कचहरी छोर पर लाइन संख्या 41 से शंटिंग नेक लाइन संख्या 43 में शंटिंग के लिये आने हेतु।

क्रमशः पृष्ठ सं0 29 पर

डाउन शंट सिगनल संख्या एस.एच-229 कांटा संख्या 309बी के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	गंगाधाम छोर पर शंटिंग नेक लाइन संख्या 42 से लाइन संख्या 1/2 में या रुटिंग होम सिगनल सं० एस-13 या रुटिंग होम सिगनल सं० एस-17 या लाइन संख्या 33/34/37/44/45 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एस.एच-230 कांटा संख्या 309बी के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	गंगाधाम छोर पर लाइन संख्या 33/34/37/44/45 से शंटिंग नेक लाइन संख्या 42 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एस.एच-231 कांटा संख्या 310एक्स के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	डीजल शेड साइडिंग से लाइन संख्या 1/2 में या रुटिंग होम सिगनल सं० एस-13 या रुटिंग होम सिगनल सं० एस-17 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एस.एच-233 कांटा संख्या 305बी के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	गोण्डा कचहरी छोर पर अप लाइन से लाइन संख्या 1/2/3 में या रुटिंग होम सिगनल सं० एस-13 या रुटिंग होम सिगनल सं० एस-17 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एस.एच-235 कांटा संख्या 306बी के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	गोण्डा कचहरी छोर पर लाइन सं० 36 से लाइन संख्या 1/2/3 में या रुटिंग होम सिगनल सं० एस-13 या रुटिंग होम सिगनल सं० एस-17 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एस.एच-239 कांटा संख्या 323एक्स के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	इंजन स्टेब्लिंग लाइन सं० 30 से लाइन संख्या 8/9 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एस.एच-241 कांटा संख्या 325एक्स के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	इंजन स्टेब्लिंग लाइन सं० 32 से लाइन संख्या 9 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं० एस.एच-243 कांटा सं० 335एक्स के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	साइडिंग लाइन सं० 60 से अप मेन लाइन या डाउन मेन लाइन या III rd लाइन या गुड्स रनिंग लाइन सं० 10/11/12 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल सं० एस.एच-244 कांटा सं० 336ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	अप मेन लाइन से रनिंग लाइन सं० 1/2/3 या साइडिंग लाइन सं० 60 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं० एस.एच-245 कांटा सं० 337बी से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	साइडिंग लाइन सं० 61 से मेडिकल साइडिंग लाइन सं० 26 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल सं० एस.एच-246 कांटा सं० 337बी से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	मेडिकल साइडिंग लाइन सं० 26 से साइडिंग लाइन सं० 61/रनिंग लाइन सं. 3 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं० एस.एच-247 कांटा सं० 339 से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	मेडिकल साइडिंग लाइन सं० 26 से अप मेन लाइन या डाउन मेन लाइन या III rd लाइन या गुड्स रनिंग लाइन सं० 10/11/12 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल सं० एस.एच-248 कांटा सं० 353एक्स से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	अप शंट सिगनल सं० एस.एच-248 से लाइन सं० 7 या 8 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं० एस.एच-249 कांटा सं० 339 से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	कोच स्टेबलिंग लाइन सं० 27 से अप मेन लाइन या डाउन मेन लाइन या III rd लाइन या गुड्स रनिंग लाइन सं० 10/11/12 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।

कमश: पृष्ठ सं० 30 पर

अप शंट सिगनल सं0 एस.एच-250 कांटा सं0 340एक्स से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	लूकसवान साइडिंग लाइन सं0 28 से लाइन सं0 4 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं0 एस.एच-251 कांटा सं0 346एक्स से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	लूकसवान साइडिंग लाइन सं0 28 से अप मेन लाइन या डाउन मेन लाइन या III rd लाइन या गुड्स रनिंग लाइन सं0 10/11/12 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल सं0 एस.एच-252 कांटा सं0 342एक्स से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	इन्जिन साइडिंग लाइन सं0 29 से लाइन सं0 4 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं0 एस.एच-253 कांटा सं0 358बी से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	शंट सिगनल सं0 एस.एच-253 से III rd लाइन या गुड्स रनिंग लाइन सं0 10/11/12 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल सं0 एस.एच-254 कांटा सं0 369एक्स से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	इन्जिन स्टेब्लिंग लाइन सं0 49 से लाइन सं0 8 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं0 एस.एच-255 कांटा सं0 367बी से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	अप मेन लाइन पर स्टाप बोर्ड तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल सं0 एस.एच-256 कांटा सं0 373एक्स से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	नान रनिंग एक्जामिनेशन लाइन सं0 20/21 से लाइन सं0 5/6 में या शंट सिगनल सं0 एस.एच-248 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं0 एस.एच-257 कांटा सं0 480बी से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	नान रनिंग एक्जामिनेशन लाइन सं0 20/21 से पलस बट साइडिंग में या सुभागपुर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस-111 तक या बरुआचक छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस-107 या शंटिंग नेक लाइन सं0 58/59 में शंटिंग हेतु।
अप शंट सिगनल सं0 एस.एच-258 कांटा सं0 367ए से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	डाउन मेन लाइन से लाइन सं0 60/1/2/3/4/5/6/26/27/28 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल सं0 एस.एच-260 कांटा सं0 494बी से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	डाउन मेन लाइन से मार्शलिंग लाइन सं0 15/16/17/18/19/20/21 में या डाउन मेन लाइन पर शंट सिगनल सं0 एस.एच-258 या अप रूटिंग होम सिगनल सं. एस-92/एस-96/एस-100 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल सं0 एस.एच-262 कांटा सं0 475एक्स से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	बरुआचक छोर पर शंटिंग नेक लाइन सं0 58 से मार्शलिंग लाइन सं0 15/16/17/18/19 या नान रनिंग एक्जामिनेशन लाइन सं0 20/21 में या अप रूटिंग होम सिगनल सं. एस-92/एस-96/एस-100 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं0 एस.एच-263 कांटा सं0 495एक्स से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	सीआरडी लाइन सं0 57 से सुभागपुर छोर पर शंटिंग नेक लाइन सं0 59 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल सं0 एस.एच-264 कांटा सं0 497एक्स से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	सुभागपुर छोर पर शंटिंग नेक लाइन सं0 59 से सीआरडी लाइन सं0 57 या मार्शलिंग लाइन सं0 15/16/17/18/19 में या अप रूटिंग होम सिगनल सं0 एस-92/एस-96/एस-104 तक शंटिंग हेतु।

कमश: पृष्ठ सं0 31 पर

अप शंट सिगनल सं० एस.एच-266 कांटा सं० 499ए से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	सुभागपुर छोर पर मेन लाइन से मार्शलिंग लाइन सं० 15/16/17/18/19 में या अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-92/एस-96/एस-100/एस-104 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल सं० एस.एच-268 कांटा सं० 500एक्स से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	पलस बट साइडिंग से मार्शलिंग लाइन सं० 15/16/17/18/19 में या नान रनिंग एक्जामिनेशन लाइन सं० 20/21 या अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-92/एस-96/एस-100/एस-104 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।

टिप्पणी (i) विस्तृत जानकारी हेतु इस स्टे.सं.नियमावली में संलग्न परिशिष्ट 'बी' देखें।

- (ii) सिगनल की विफलता की स्थिति में गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान सा० एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.71, 3.75, 3.78, 3.80, 3.81 एवं सहायक नियम सं० 3.39(i)(ii) के अनुसार किया जायेगा। स्टेशन मास्टर/पावर केबिन सुपरवाइजर सभी सिगनल विफलताओं की प्रविष्टि सिगनल विफलता पंजिका (एस०ई०-32) में करने हेतु उत्तरदायी होंगे। स्टेशन मास्टर/पैनल खराब सिगनल एडवाइस टी-369(3बी) जारी करने अथवा प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके स्टेशन मास्टर/इन्डोर(स्टेशन) द्वारा खराब सिगनल परिपत्र टी-369(3बी) जारी कराने के लिये जिम्मेदार होगा। कॉटो को कैंन्क हैन्डिल द्वारा सेट किये जाने व क्लैम्प पैड लाक किये जाने का कार्य स्टेशन मास्टर/आर.आर.आई (जी.ए.) के पर्यवेक्षण में होगा।
- (iii) इकहरी लाइन के ब्लाक यन्त्र विफल होने पर स्टे० मास्टर/ब्लाक, पेपर लाइन क्लीयर टिकट जारी करेगा, इसके साथ ही पेपर लाइन क्लीयर की किताब में अंकित करेगा कि किस टेलीफोन पर लाइन क्लीयर लिया गया है। प्रस्थान सिगनल विफलता स्थिति में प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने हेतु टी-369(3बी) जारी करेगा।

(देखेंस०नियम 14.13 (3)(ii))

- (iv) गोण्डा कचहरी छोर दोहरी लाइन के ब्लाक यन्त्र के विफल होने पर स्टेशन मास्टर/पैनल द्वारा स्टेशन मास्टर/इन्डोर(स्टेशन) को अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 के विफल होने की सूचना प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके देने पर स्टेशन मास्टर/इन्डोर(स्टेशन) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं. एस-2 को 'आन' स्थिति में पार करने हेतु टी-369(3बी) जारी करेगा तथा इसके साथ में संयुक्त अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल/गेट डिस्टेन्ट(समपार सं. 262) सिगनल सं० एस-2 की विफलता के कारण सम्बन्धित अप गेट सिगनल सं. 2 के दिखाई देने तक सतर्कता पूर्वक जाने हेतु सतर्कता आदेश भी जारी किया जायेगा। प्रस्थान सिगनल विफलता स्थिति में प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने हेतु टी-369(3बी) जारी करेगा।

(देखेंस०नियम 14.13 (3)(i))

बरूआचक छोर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-107 के विफल होने की दशा में स्टेशन मास्टर/पैनल डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं. एस-107 को 'आन' स्थिति में पार करने हेतु टी-369(3बी) जारी करेगा। प्रस्थान सिगनल विफलता स्थिति में प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने हेतु टी-369(3बी) जारी करेगा।

कमशः पृष्ठ 32 पर

- (v) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-107 विफल हो, परन्तु सम्बन्धित एक्सल काउन्टर सेक्शन क्लीयर संकेत प्रदर्शित करे तो स्टे.मा./पैनल अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने हेतु टी-369(3बी) जारी करेगा।
(विस्तृत विवरण हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'एफ' देखें।)
- (vi) सम्बन्धित स्टेशन मास्टर सहायक नियम 3.69(2)(3) के अनुसार मार्ग की सही सेटिंग सुनिश्चित करने के बाद ही टी-369(3बी) जारी करेगा।
- (vii) सिगनल 'आफ' होने पर ट्रैक सर्किट के क्लीयरेंस के सम्बन्ध में पैनल पर जलने वाले सफेद बल्ब के फ्यूज होने अथवा ट्रैक सर्किट को अवरुद्ध (आक्यूपाइड)/विफल दर्शाने वाले लाल बल्ब के फ्यूज होने पर कार्यरत **पावर केबिन सुपरवाइजर** द्वारा इस लाइन के व्यक्तिगत सत्यापन करने/कराने के बाद ही बाधा रहित होना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) कांटों, सिगनलों, ब्लाक उपकरणों, नियंत्रक टेलीफोन इत्यादि की विफलता और उससे सम्बंधित रख-रखाव/मरम्मत हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों की एक सूची (उनके मुख्यालय सहित) परिशिष्ट "बी" में दी गयी है।
- (ix) यदि इण्टरमीडिएट ब्लाक पोस्ट के दोनो ओर के स्टेशनों पर लगे विद्युत ब्लाक यन्त्र या अन्तिम रोक सिगनल के बाद लगाये गये ट्रैक सर्किट या ब्लाक सेक्शन के दोनो ओर लगे एक्सल काउन्टर खराब हो जाते हैं तो इण्टरमीडिएट ब्लाक स्टाप सिगनल को भी खराब माना जायेगा और उस इण्टरमीडिएट ब्लाक पोस्ट को बन्द समझा जायेगा, और उस इण्टरमीडिएट ब्लाक पोस्ट के दोनो ओर स्टेशनों के बीच का सेक्शन, एक ब्लाक सेक्शन माना जायेगा।

(देखें सामान्य नियम 14.14)

- (x) यदि सम्बन्धित एक्सल काउन्टर व ट्रैक सर्किट विफलता के कारण डाउन एडवांस स्टार्टर सिगनल विफल हो जाता है तब डाउन आई.बी.एस. सिगनल को भी खराब माना जायेगा और दोनो ओर स्टेशनों के बीच का सेक्शन एक ब्लाक सेक्शन माना जायेगा। किसी भी गाड़ी को लिखित प्राधिकार टी/369-3बी जारी करके एडवांस स्टार्टर सिगनल को पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि अगली गाड़ी अगले ब्लाक स्टेशन पर पूरी पहुँच न गई हो तथा गाड़ी लेने वाले स्टेशन मास्टर द्वारा प्राइवेट नम्बर के साथ गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित न कर दिया गया हो। गाड़ी प्रस्थान करने से पहले स्टेशन मास्टर/ब्लाक, आई.बी.एस. सिगनल एवं अगले ब्लाक स्टेशन के बीच के ब्लाक सेक्शन के लिए अगले ब्लाक स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करेगा तथा तब वह एडवांस स्टार्टर सिगनल एवं आई.बी.एस. सिगनल को ऑन स्थिति में पास करने के लिए लोको पायलेट को लिखित प्राधिकार टी/369-3बी जारी करेगा। इस प्राधिकार पर यह भी दर्ज करेगा कि अगले ब्लाक स्टेशन (स्टेशन का नाम) से लाइन क्लीयर प्राइवेट नम्बर के साथ प्राप्त हो गया है। लाइन क्लीयर के लिए अगले ब्लाक स्टेशन से प्राप्त प्राइवेट नम्बर को भी इस प्राधिकार पर दर्ज करेगा। इस विधि का तब तक अनुपालन किया जायेगा, जब तक कि सिगनल अनुरक्षक द्वारा एडवांस स्टार्टर की विफलता को ठीक न कर दिया जाये।

(विस्तृत विवरण हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "एफ" देखें।)

क्रमशः पृष्ठ 33 पर

4.2 रिले कक्ष की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने देने की कार्य पद्धति –

रिले कक्ष के प्रवेश द्वार में दो तालों (एस.एम. लॉक एवं सिगनल लॉक) का प्रावधान है जिनमें से एक ताले की चाभी कार्यरत सिगनल कर्मचारी {जो टेक्निशियन (सिगनल) से कम पद पर न हो} के पास एवं दूसरे ताले की चाभी कार्यरत पावर केबिन सुपरवाइजर के पास रहती है। रिले रूम की चाभी पावर केबिन के चाभी बॉक्स में लॉक करके रखी जाती है। जब कभी फेलियर/खराबी/रख-रखाव के लिये रिले रूम खोलने की आवश्यकता होती है तो रिले रूम की चाभी की विधिवत् इन्ट्री रजिस्टर में की जानी चाहिये तभी चाभी सिगनल कर्मचारी {जो टेक्निशियन (सिगनल) से कम पद पर न हो} को दिया जाना चाहिये। निरीक्षण, अनुरक्षण अथवा विफलता की स्थिति में कार्यरत ई०एस०एम०, पावर केबिन सुपरवाइजर के पास उपलब्ध रिले रूम रजिस्टर में हस्ताक्षर कर रिले रूम की चाभी प्राप्त करेंगे तथा कार्य समाप्त होने के पश्चात रिले रूम की चाभी ई०एस०एम० द्वारा रिले रूम रजिस्टर में हस्ताक्षर कर पावर केबिन सुपरवाइजर को वापस कर देगा। निरीक्षणों के दौरान इसकी जाँच की जायेगी।

4.3 पावर सप्लाई –

स्टेशन में पावर सप्लाई हेतु अप ए०टी०, डाउन ए०टी०, कामर्शियल सप्लाई के अतिरिक्त आई०पी०एस० सिस्टम व डी०जी० सेटों का प्रावधान है। अप ए०टी०, डाउन ए०टी० व कामर्शियल सप्लाई की विफलता की स्थिति में आई०पी०एस० सिस्टम की चार्जिंग के लिये सिगनल विभाग द्वारा डी०जी० सेट चला दिया जायेगा।

(स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परि० “बी” के अनुलग्नक-II देखें)

5. दूर संचार –

स्टेशन पर उपलब्ध दूर संचार के साधन की सूची के लिए स्टे.सं.नियमावली का परिशिष्ट बी' देखें।

5.1 सेक्शन कंट्रोल/डिप्टी कंट्रोल/कर्षण पावर कंट्रोल–

सेक्शन ट्रेन कंट्रोलर व कर्षण पावर कंट्रोलर से स्टेशन मास्टर/इनडोर व पावर केबिन/आर.आर.आई के कंट्रोल फोन जुड़े हैं।

5.2 आटो/डी०ओ०टी० टेलीफोन:–

स्टेशन पर आटो टेलीफोन स्टे० मास्टर/इनडोर, पावर केबिन/आर.आर.आई, क्षेत्रीय नियन्त्रक एवं मुख्य यार्ड मास्टर के कार्यालय में उपलब्ध है। स्टेशन मास्टर/इनडोर व पावर केबिन/आर.आर.आई पर डी०ओ०टी० टेलीफोन की भी व्यवस्था है।

5.3 केबिन/गेटो पर मैगनेटो टेलीफोन:–

स्टे.मा./इनडोर तथा पावर केबिन/आर.आर.आई आपस में एक दूसरे से टेलीफोन द्वारा जुड़े हैं। पावर केबिन/आर.आर.आई से समपार सं० 1, 1ए, 3, 257, 261 व 262 के टेलीफोन, इस स्टेशन से टेलीफोन द्वारा जुड़े हैं।

5.4 आई०बी०एस० का आई०बी०एस० टेलीफोन–

आई.बी.एस. सिगनल सं० एस-109 के पोस्ट पर लगा टेलीफोन, आर.आर.आई पैनल पर स्टेशन मास्टर/ब्लाक से जुड़ा है।

5.5 एक्सल काउन्टर रीसेट बाक्स का टेलीफोन:–

लाइन सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 व 22 हेतु लाइन वैरिफिकेशन बाक्स पर लगा टेलीफोन, पावर केबिन/आर.आर.आई से जुड़ा है।

5.6 यार्ड में संचार हेतु टेलीफोन–

स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

5.7 वी०एच०एफ० सेट—

स्टे.मा./इनडोर/आउटडोर तथा स्टे.मा./पावर केबिन/आर.आर.आई के कार्यालय में उपलब्ध है।

क्रमशः पृष्ठ 34 पर

5.8 संचल गाड़ी रेडियों संचार (एम.टी.आर.सी.)—

स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

नोट — उक्त संचार व्यवस्था में खराबी आ जाने पर स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट—बी के अनुसार सूचित करें।

6. गाड़ी संचालन —

गाड़ियों का आवागमन साधा. एवं सहा.नि. 8.01, 8.03 व अध्याय 17 के अनुसार होगा। आगमन व प्रस्थान सिगनल साधारण एवं सहायक नियम 3.38, 3.39, 3.40, 3.42, 3.45, 3.47, 4.35, 5.01, 8.09, 8.10 तथा 8.12 से 8.15 तक के अनुसार 'आफ' किये जायेंगे। इस स्टेशन के कांटों व सिगनलों के संचालन हेतु स्टेशन मास्टर आर.आर.आई पैनल की व्यवस्था है जिसके इन्डीकेशन पैनल डायग्राम सं० SG/IP/NER/LJN/GD/2016/VER-ZERO/24 संशोधन "एफ" दिनांक: 30.03.23 एवं आपरेटिंग पैनल डायग्राम सं० NER/LJN/GD/OPTG.PD/2016/VER-ZERO/25 संशोधन "एफ" दिनांक: 30.03.23 संलग्न है। पावर केबिन पर उपलब्ध उपकरणों का विवरण स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया गया है।

6.1 गाड़ी संचालन कर्मचारियों के कर्तव्य —

गाड़ी संचालन कर्मचारी जैसे स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर, मुख्य यार्ड मास्टर/यार्ड मास्टर, क्षेत्रीय नियन्त्रक, गाड़ी लिपिक, शन्टिंग मास्टर, कांटावाला, फाटकवाला के गाड़ी संचालन के कर्तव्यों का विवरण परिशिष्ट "डी" में दिया गया है। सभी कर्मचारीगण मंडल द्वारा निर्धारित रोस्टर में अपने-अपने शिफ्ट के अनुसार कार्य करेंगे।

6.1.1 कार्यरत गाड़ी संचालन कर्मचारी :**स्टेशन पर :—**

- क. स्टेशन अधीक्षक (पर्यवेक्षक)
- ख. स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर/इनडोर
- ग. स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर/आउटडोर
- घ. कांटावाला
- ड. गाड़ी लिपिक

पावर केबिन पर:—

- क. पावर केबिन सुपरवाइजर
- ख. स्टेशन मास्टर/ब्लॉक
- ग. स्टेशन मास्टर/पैनल
- घ. स्टेशन मास्टर/सामान्य सहायक (जी०ए०)
- ड. कांटावाला

क्षेत्रीय नियन्त्रक कार्यालय पर :—

- क. मुख्य यार्ड मास्टर/यार्ड मास्टर
- ख. क्षेत्रीय नियन्त्रक
- ग. गाड़ी लिपिक
- घ. शन्टिंग मास्टर
- ड. कांटावाला

ट्राफिक फाटक पर

क. फाटकवाला

नोट-(i) स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन के इन्चार्ज होंगे तथा सभी कर्मचारी उनके वैध आदेशों एवं अनुदेशों का पालन करेंगे।

(ii) गाड़ी संचालन से सम्बन्धित कर्मचारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वों का विवरण स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट "डी" में देखें।

कमशः पृष्ठ 35 पर

- 6.1.2 लाइनों की क्लीयरेंस सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायित्व तथा उत्तर दायित्व के क्षेत्र-**
कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल का दायित्व है कि वह नार्मल वर्किंग के दौरान रनिंग गाड़ियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी लाइनों का इण्डिकेशन पैनल पर ट्रैक सर्किट इण्डिकेशन देखकर यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस लाइन पर/से गाड़ी का आगमन/प्रस्थान होना है वह लाइन बाधारहित है। ट्रैक सर्किट की विफलता या ट्रैक सर्किट का इण्डिकेशन बल्ब फ्यूज कर जाने की दशा में स्टेशन मास्टर पैनल, पावर केबिन सुपरवाइजर को विफल ट्रैक सर्किट की जानकारी तुरन्त देंगे। पावर केबिन सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि ट्रैक सर्किट वास्तव में विफल हो गये हैं कार्यरत ई. एस.एम./एस.आई को सूचित करेगा। ट्रैक सर्किट विफलता की स्थिति में पावर केबिन सुपरवाइजर, पश्चिम छोर पर स्टेशन मास्टर/आउटडोर से व्यक्तिगत निरीक्षण कराकर व प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके एवं पूर्वी छोर पर स्टेशन मास्टर/सामान्य सहायक (जी०ए०) से व्यक्तिगत निरीक्षण कराकर व प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके लाइन का बाधा रहित होना सुनिश्चित करने के बाद स्टेशन मास्टर/पैनल को सूचित करेंगे।
सहायक नियम सं० 3.69(ii)(iii) और सहायक नियम 3.39(i)(ii) के अनुसार कांटे सेट किये जायेंगे और उनके क्लैम्प और ताले लगाये जायेंगे।
(विस्तृत विवरण के लिए सा० नियम 3.38, 3.40 व 8.02(2) तथा ट्रैक सर्किट की पूर्ण जानकारी हेतु संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट "बी" को देखें)

- 6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन -**
प्रत्येक गाड़ी पासिंग कर्मचारी जिसकी स्टेशन पर नयी तैनाती हुई है या स्टेशन पर 15 दिन या 15 दिनों से अधिक की नियमित अनुपस्थिति के उपरान्त ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले नियमित कर्मचारियों को प्रचलित स्टेशन संचालन नियमों को अवश्य पढ़ना चाहिए और निर्धारित आश्वासन पंजिका में अपना आश्वासन दर्ज करना चाहिए। जब कभी कोई शुद्धि पर्ची स्टेशन संचालन नियम में जारी की जाती है तो स्टेशन मास्टर द्वारा सभी कर्मचारियों का पुनः आश्वासन अवश्य लिया जाए।
(सामान्य नियम 5.01(16) देखें।)

6.2 लाइन क्लीयर देने के लिए शर्त -

पावर केबिन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर/ब्लाक, कार्यरत पावर केबिन सुपरवाइजर से अनुमति मिलने के बाद ही लाइन क्लीयर देगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर/ब्लाक लाइन क्लीयर तब तक नहीं देगा जब तक कि -

1. पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी तरह न पहुँच गयी हो।
2. उक्त गाड़ी के पीछे के सभी आवश्यक सिगनल फिर से "आन" न कर दिये गये हो,
3. आने वाली गाड़ी के छोर पर पडने वाली लाइन निम्न पर्याप्त दूरी तक साफ न हो -

- (क) बरुआचक छोर से अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल सं० एस-108 के आगे काँटा सं० 494ए तक।
- (ख) सुभागपुर छोर से अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल सं० एस-112 के आगे डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-111 तक।
- (ग) गोण्डा कचहरी छोर से डाउन गाड़ी के आगमन हेतु डाउन होम सिगनल सं० एस-1 के आगे बी.एस.एल.बी. तक।
- (घ) गंगाधाम छोर से डाउन गाड़ी के आगमन हेतु डाउन होम सिगनल सं० एस-5 के आगे समपार सं० 1ए तक।

क्रमशः पृष्ठ 36 पर

4. निम्न समपार फाटक पर कार्यरत फाटकवाले को समपार संचालन अनुदेश के अनुरूप सूचित/प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान न कर लिया हो:-

(क) डाउन गाड़ियों हेतु :

- (i) गोण्डा कचहरी छोर:- समपार सं० 262
- (ii) गंगाधाम छोर:- समपार सं० 1 व 3

(ख) अप गाड़ियों हेतु :

- (i) बरुआचक छोर:- समपार सं० 257
- (ii) सुभागपुर छोर:- कोई नहीं-

- नोट - (i) कार्यरत पावर केबिन सुपरवाइजर खण्ड गाड़ी नियन्त्रक से अनुमति लेकर तथा मालगाड़ी हेतु क्षेत्रीय नियन्त्रक से भी परामर्श कर पावर केबिन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर/ब्लाक को सम्बन्धित गाड़ी का लाइन क्लियर देने/लेने की अनुमति देंगे।
- (ii) पावर केबिन पर कार्यरत सुपरवाइजर स्टेशन मास्टर/इनडोर(स्टेशन) को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके गाड़ी का लाइन क्लियर होने की सूचना देंगे तथा इसकी इन्ट्री अपने-अपने लाग बुक में करेंगे।
- (उपरोक्त के साथ सामान्य नियम 8.03 (1) एवं सहायक नियम 8.03 (i), (ii), (iii) व (iv) भी देखें)

6.2.1 गाड़ी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्त :-

- 6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध प्वाइंटों को अन्य लाइन के लिये सेट करना
सहायक नियम 5.19 (2) देखें ।
- 6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन -
सामान्य एवं सहायक नियम 5.09 देखें ।
- 6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन -
सामान्य एवं सहायक नियम 5.10 देखें ।
- 6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करना-
सामान्य एवं सहायक नियम 5.11 देखें ।
- 6.2.1.5 कामन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करना -
सामान्य एवं सहायक नियम 5.12 देखें ।
- 6.2.1.6 कोई अन्य विशेष शर्त -

(क) स्टेशन मास्टर/आउटडोर(स्टेशन) वी.टी.ओ. देखकर कोहरे का मौसम होना सुनिश्चित कर सम्बन्धित को सूचित करेंगे।

(ख) सतर्कता आदेश (टी-409) जारी करने के लिये यह स्टेशन नोटिस स्टेशन है अतः स्टेशन मास्टर/इनडोर(स्टेशन) सतर्कता आदेश तैयार कर प्रत्येक गाड़ी को इस स्टेशन से प्रस्थान से पहले सभी सम्बन्धित गार्ड एवं लोको पायलट का प्रति हस्ताक्षर लेकर जारी करेंगे।

(ग) लाइन सं० 26 में मेडिकल रिलीफ वान तथा लाइन सं० 28 में दुर्घटना सहायता गाड़ी के अलावा कोई दूसरा अन्य वैहिकल नहीं रखा जायेगा। इन लाइनो पर दोनों ओर शंट सिगनल प्रदत्त है ताकि मेडिकल रिलीफ वान/दुर्घटना सहायता गाड़ी सीधे आपात्कालीन स्थिति में निकाला जा सके।

क्रमशः पृष्ठ 37 पर

6.3 आगमन सिगनलों को आफ करने की शर्तें –

पावर केबिन सुपरवाइजर की अनुमति मिलने के बाद भी पावर केबिन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर/पैनल, आगमन सिगनलों का तब तक 'आफ' नहीं करेगा जब तक कि :-

(क) सभी फेसिंग कॉटे जिन पर गाड़ी को गुजरना है सही तरह से सेट व लाक न हो जैसा कि स्टेशन पैनल पर दिखें।

(ख) सभी ट्रेलिंग कॉटे जिन पर गाड़ी को गुजरना है सही तरह से सेट व लाक न हो जैसा कि स्टेशन पैनल पर दिखें।

(ग) लाइन जिस पर गाड़ी को गुजरना है वह साफ व यार्ड के ट्रेलिंग छोर की तरफ पर्याप्त दूरी तक कोई अवरोध न हो जैसा कि स्टेशन पैनल पर दिखें।

(घ) निम्न समपार फाटको को सड़क यातायात हेतु बन्द व लाक न कर दिया गया हो:-

(क) डाउन गाड़ियो हेतु :-

(i) गोण्डा कचहरी छोर पर समपार सं० 261

(ii) गंगाधाम छोर पर समपार सं० 1ए

(ख) अप गाड़ियो हेतु :-

(i) सुभागपुर छोर पर कोई नहीं।

(ii) बरुआचक छोर पर कोई नहीं।

नोट: गाड़ियों को आने/जाने हेतु कांटे एवं सिगनल पुश बटनों के परिचालन के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट बी' के पुलशीट को देखें।

(साधारण एवं सहायक नियम 3.38 एवं 3.40 को देखें)

6.3.1 सिगनल को पुनः "आन" करने के लिए स्टेशन मास्टर का दायित्व –

सामान्य एवं सहायक नियम 3.36 के अनुसार स्टेशन मास्टर/पैनल सिगनल का पुनः आन करना सुनिश्चित करे।

6.3.2 चालू लाइन पर गाड़ियों का आगमन –

गाड़ियों के आगमन के साथ स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' अवश्य पढ़ा जाय। जिस गाड़ी का लाइन क्लियर दिया जा चुका है उस गाड़ी के आगमन के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर/पैनल को चाहिये कि :

क. स्टेशन पैनल पर देख लें कि जिन ट्रैक सर्किटों पर आने वाली गाड़ी को गुजरना है उनपर तथा ओवर लैप की ट्रैक सर्किटों पर 'लाल बत्तियां' तो नहीं जल रही हैं।

- ख. पैनल कंट्रोल चाभी पैनल लाक में लगाकर घुमायें ताकि पैनल संचालन की स्थिति में आ जाये।
- ग. आने वाली गाड़ी के लिए वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' के अनुलग्नक-VII अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- घ. सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- ङ. सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेंगी।
- च. स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट लघु सफेद बत्ती जल गई है जो संबंधित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि संबंधित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों का आफ होने का सूचक है।

कमशः पृष्ठ 38 पर

- छ. स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल "आन" स्थिति में हो गये हैं।
- ज. स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे-जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती-जाती है वैसे-वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियाँ बुझकर लाल बत्तियाँ जल जाती है। और जैसे-जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे-वैसे लाल बत्तियाँ बुझ कर सफेद बत्तियाँ फिर जल जाती हैं।
- झ. गाड़ी आगमन के पश्चात कांटों को सामान्य व सहायक नियम 3.38 के अनुसार संरक्षित करेंगे।
- ञ. कांटो का अलग-अलग संचालन केवल गाड़ियों को कालिंग आन सिगनल पर लेने के लिए किया जायेगा। बाकी सभी सिगनलों का, उनके सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबाने से रूट सेटिंग स्वतः हो जायेगी।

6.4 एक साथ दो गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान, गाड़ियों की कासिंग व गाड़ियों को प्राथमिकता देना-

यार्ड में गाड़ियों के साइमलटेनियस आगमन एवं प्रस्थान की निम्नलिखित सुविधा दी गई है-

- (i) अप गाड़ी का बरुआचक से लाइन सं० 1 पर डेड एण्ड बनाकर आगमन और
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 3/4/5/6/7/8/9 पर गोण्डा कचहरी से आगमन या
अप गाड़ी का लाइन सं० 2/3/4/5/6/7/8/9 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 3/4/5/6/7/8/9 पर गंगाधाम से आगमन या
अप गाड़ी का लाइन सं० 2/3/4/5/6/7/8/9 से गंगाधाम को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड
से सुभागपुर को प्रस्थान या
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड
से बरुआचक को प्रस्थान।
- (ii) अप गाड़ी का लाइन सं० 2 पर बरुआचक से आगमन और
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 3/4/5/6/7/8/9 पर गोण्डा कचहरी से आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 3/4/5/6/7/8/9 पर गंगाधाम से आगमन या

अप गाड़ी का लाइन संख्या 1/2/3/4/5/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक से आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान।

(xviii) अप गाड़ी का लाइन सं० 24 पर सुभागपुर से डेड एण्ड बनाकर आगमन और
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7/8/9 पर गोण्डा कचहरी से आगमन या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7/8/9 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान या
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 1/2/3/4/5/6/7/8/9 पर गंगाधाम से आगमन या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7/8/9 से गंगाधाम को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 1/2/3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक से आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान।

(xix) अप गाड़ी का लाइन सं० 25 पर सुभागपुर से आगमन और
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7/8/9 पर गोण्डा कचहरी से आगमन या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7/8/9 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान या
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 1/2/3/4/5/6/7/8/9 पर गंगाधाम से आगमन या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7/8/9 से गंगाधाम को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 1/2/3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक से आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान।

कमश: पृष्ठ 42 पर

(xx) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1 पर गोण्डा कचहरी से डेड एण्ड बनाकर आगमन और
अप गाड़ी का लाइन सं० 3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक से आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 2/3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से सुभागपुर को प्रस्थान या
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 3/4/5/6/7/8/9 में गंगाधाम से आगमन या
अप गाड़ी का लाइन सं० 3/4/5/6/7/8/9 से गंगाधाम को प्रस्थान।

(xxi) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 2 पर गोण्डा कचहरी से आगमन और
अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक से आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से सुभागपुर को प्रस्थान या

डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 3/4/5/6/7/8/9 में गंगाधाम से आगमन या
अप गाड़ी का लाइन सं० 3/4/5/6/7/8/9 से गंगाधाम को प्रस्थान।

- (xxii) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 3 पर गोण्डा कचहरी से डेड एण्ड बनाकर आगमन। और
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक से या
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से या
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से सुभागपुर को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान। या
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 7/8/9 में गंगाधाम से आगमन या
अप गाड़ी का लाइन सं० 7/8/9 से गंगाधाम को प्रस्थान।
- (xxiii) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 4 पर गोण्डा कचहरी से ओवरलैप लगाकर आगमन। और
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक से या
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से या
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से सुभागपुर को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान। या
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 7/8/9 में गंगाधाम से आगमन या
अप गाड़ी का लाइन सं० 7/8/9 से गंगाधाम को प्रस्थान।

कमश: पृष्ठ 43 पर

- (xxiv) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 5 पर गोण्डा कचहरी पर आगमन। और
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक से या
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से या
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से सुभागपुर को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान या
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 7/8/9 में गंगाधाम से आगमन या
अप गाड़ी का लाइन सं० 7/8/9 से गंगाधाम को प्रस्थान।
- (xxv) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 6 पर गोण्डा कचहरी से डेड एण्ड लगाकर आगमन और
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक से या
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या

अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से
सुभागपुर को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान। या
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 7/8/9 में गंगाधाम से आगमन या
अप गाड़ी का लाइन सं० 7/8/9 से गंगाधाम को प्रस्थान।

(xxvi) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 7 पर गोण्डा कचहरी से ओवरलैप लगाकर आगमन और
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक
से आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/
मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से
सुभागपुर को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान।

(xxvii) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 8 पर गोण्डा कचहरी से ओवरलैप लगाकर आगमन और
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक
से आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/
मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से
सुभागपुर को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान।
कमशः पृष्ठ 44 पर

(xxviii) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 9 पर गोण्डा कचहरी से आगमन और
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक
से आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/
मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से
सुभागपुर को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान।

(xxix) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1 पर डेड एण्ड बनाकर गंगाधाम से आगमन। और
अप गाड़ी का लाइन सं० 3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक से
आगमन या

डाउन गाड़ी का लाइन सं० 2/3/4/5/6/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान। या
 अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से आगमन या
 डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से सुभागपुर को प्रस्थान

- (xxx) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 2 पर गंगाधाम से आगमन और
 अप गाड़ी का लाइन सं. 22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक से आना या
 डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
 अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से आगमन या
 डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से सुभागपुर को प्रस्थान
- (xxxi) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 3 पर डेड एण्ड बनाकर गंगाधाम से आगमन और
 अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक से आगमन या
 डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/4/5/6/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
 अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से आगमन या
 डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से सुभागपुर को प्रस्थान या
 डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2 पर गोण्डा कचहरी से आगमन। या
 अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान।

कमश: पृष्ठ 45 पर

- (xxxii) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 4 पर गंगाधाम से ओवरलैप लगाकर आगमन और
 अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक से आगमन या
 डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/5/6/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
 अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से आगमन या
 डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से सुभागपुर को प्रस्थान या
 डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2 पर गोण्डा कचहरी से आगमन। या
 अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान।
- (xxxiii) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 5 पर गंगाधाम से आगमन। और

अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक से
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग
यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से
सुभागपुर को प्रस्थान या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2 पर गोण्डा कचहरी से आगमन। या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान।

(xxxiv) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 6 पर गंगाधाम से डेड एण्ड लगाकर आगमन और
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक से
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग
यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से
सुभागपुर को प्रस्थान या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2 पर गोण्डा कचहरी से आगमन। या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान।

(xxxv) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 7 पर गंगाधाम से ओवरलैप लगाकर आगमन और
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक
से आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/
मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से
सुभागपुर को प्रस्थान या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6 पर गोण्डा कचहरी से आगमन। या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान।

कमश: पृष्ठ 46 पर

(xxxvi) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 8 पर गंगाधाम से ओवरलैप लगाकर आगमन और
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक
से आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स
यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से
सुभागपुर को प्रस्थान या

डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6 पर गोण्डा कचहरी से आगमन। या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान।

(xxxvii) डाउन गाड़ी का लाइन सं० 9 पर गंगाधाम से आगमन और
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में बरुआचक
से आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/22/23/IIIrd लाइन/गुड्स
यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से बरुआचक को प्रस्थान या
अप गाड़ी का लाइन संख्या 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड में सुभागपुर से
आगमन या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 22/23/24/25/IIIrd लाइन/गुड्स यार्ड/मार्शलिंग यार्ड से
सुभागपुर को प्रस्थान या
डाउन गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6 पर गोण्डा कचहरी से आगमन या
अप गाड़ी का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6 से गोण्डा कचहरी को प्रस्थान।

6.4.1 इस स्टेशन पर एक साथ गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान, क्रॉसिंग व प्राथमिकता स्टेशन
संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' के अनुसार किया जायेगा।

6.4.2 गाड़ियों के क्रॉसिंग के समय सबसे बाहरी कॉटो को जिन पर से गाड़ी गुजरेगी इस
तरह सेट व लाक होना चाहिये कि किसी भी परिस्थिति में गाड़ियों एक ही लाइन पर
आकर न मिल सकें।

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन -

6.5.1 स्टे.मा/ब्लाक, गंगाधाम/सुभागपुर स्टेशन छोर से आने वाली डाउन/अप गाड़ियों का
पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के लिए बी.पी.ए.सी ब्लाक पैनल के साथ यूनिवर्सल फेल
सेफ ब्लाक इन्टरसेफ(यू.एफ.एस.बी.आई) पर ब्लाक सेक्शन क्लीयर इण्डिकेशन देखकर
सम्बन्धित ब्लाक सेक्शन का क्लीयर होना सुनिश्चित करेंगे। इण्डिकेशन की विफलता
की स्थिति में अप गाड़ियों के पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने हेतु स्टे.मा./ब्लाक
उत्तरदायी होंगे, जो अपने यहाँ कांटावाला के द्वारा पूर्ण आगमन प्रमाण-पत्र गाड़ी के
गार्ड द्वारा प्राप्त करने के बाद ही लाइन क्लोज्ड करेगा तथा डाउन गाड़ियों के पूर्ण
आगमन सुनिश्चित करने हेतु पावर केबिन सुपरवाइजर, कार्यरत स्टेशन मास्टर/इनडोर
को प्राइवेट नम्बर के साथ सूचित करेंगे तथा स्टेशन मास्टर/इनडोर गाड़ी के गार्ड से
गाड़ी का "पूर्ण आगमन" गाड़ी पूर्ण आगमन रजिस्टर (टी-1410) पर लेगा तथा पावर
केबिन सुपरवाइजर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ सूचित करेगा। उसके
पश्चात् ही पावर केबिन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर/ब्लाक लाइन को 'क्लोज' करेंगे।

(देखें साधारण नियम 4.17 (2)(b))

क्रमशः पृष्ठ 47 पर

स्टे.मा/ब्लाक, बरुआचक/गोण्डा कचहरी स्टेशन छोर से आने वाली
अप/डाउन गाड़ियों का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने हेतु एक्सल काउन्टर की लघु हरी
प्रकाश बत्ती के द्वारा ब्लाक सेक्शन क्लीयर इण्डिकेशन देख ब्लाक सेक्शन क्लीयर होना
सुनिश्चित करेंगे परन्तु इण्डिकेशन की विफलता की स्थिति में अप गाड़ियों के पूर्ण
आगमन सुनिश्चित करने हेतु स्टे.मा./ब्लाक उत्तरदायी होंगे, जो अपने यहाँ कांटावाला
के द्वारा पूर्ण आगमन प्रमाण-पत्र गाड़ी के गार्ड द्वारा प्राप्त करने के बाद ही लाइन
क्लोज्ड करेगा तथा डाउन गाड़ियों के पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने हेतु पावर केबिन

सुपरवाइजर, कार्यरत स्टेशन मास्टर/इनडोर को प्राइवेट नम्बर के साथ सूचित करेंगे तथा स्टेशन मास्टर/इनडोर गाड़ी के गार्ड से गाड़ी का "पूर्ण आगमन" गाड़ी पूर्ण आगमन रजिस्टर (टी-1410) पर लेगा तथा पावर केबिन सुपरवाइजर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ सूचित करेगा। उसके पश्चात् ही पावर केबिन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर/ब्लाक लाइन को 'क्लोज' करेंगे। (सहायक नियम 4.17 देखें)

6.5.2 इस स्टेशन से सामान्यतः किसी भी गाड़ी के बिना रुके "रनथ्रू" जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह नोटिस स्टेशन है।

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान –

6.6.1 चालू लाइनों से गाड़ियों का प्रस्थान –

"गाड़ियों का प्रस्थान" के साथ स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" के साथ पुलशीट अनुलग्नक-VII अवश्य पढ़ें। जिस गाड़ी का चलाया जाना हो, उस गाड़ी के प्रस्थान के लिये स्टेशन मास्टर/ब्लाक को चाहिये कि :

- (क) लाइन क्लीयर स्टेशन मास्टर/गोण्डा कचहरी/गंगाधाम/बरुआचक/सुभागपुर स्टेशन से प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) स्टेशन मास्टर/पैनल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि पैनल पर अप/डाउन ट्रेन के लिये सम्बन्धित ट्रैक सर्किट की ट्रैक आकुपेंन्सी बत्ती न प्रकाशित हो।
- (ग) अप/डाउन ट्रेन के लिये स्टेशन पैनल पर सम्बन्धित रुट सेट करने के लिए स्टेशन संचालन नियमावली के परिशिष्ट 'बी' के अनुसार स्टेशन मास्टर/पैनल द्वारा सिगनल एवं रुट बटन एक साथ दबाया जायेगा। रुट में पड़ने वाले सभी सम्बन्धित कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे एवं सिगनल 'आफ' हो जायेगा। सिगनल आफ होने पर पूरा रुट सफेद प्रकाशित हो जायेगा।
- (घ) स्टेशन मास्टर/पैनल द्वारा पैनल पर सम्बन्धित कांटे के सेट एवं लाक होने पर कांटे के निकट में सफेद इंडिकेशन मिलना सुनिश्चित कर प्रस्थान होने वाली गाड़ी के प्रस्थान सिगनल का आस्पेक्ट पैनल पर सुनिश्चित करेगा जो कि प्रस्थान सिगनल का आफ आस्पेक्ट का सूचक हो।
- (ङ) सम्बन्धित ट्रैक सर्किट का ट्रैक आकुपेंन्सी प्रकाश "लाल" गाड़ी के सम्बन्धित ट्रैक सर्किट पर आने पर प्रकाशित होगा और गाड़ी के गुजरने एवं जाने के पश्चात् बुझ जायेगा।
- (च) गाड़ी के जाने के पश्चात् कांटों को उनकी सामान्य स्थिति में कर लें।
- (छ) जब डाउन गाड़ी को बरुआचक स्टेशन की ओर चलाना हो तो, स्टेशन मास्टर पैनल अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करने के बाद पैनल पर स्वयं देख कर सुनिश्चित करेगा कि सम्बन्धित रीसेट बॉक्स पर ट्रैक इन्डिकेशन तथा एडवान्स स्टार्टर सिगनल एवं IBS सिगनल के आगे 400 मी. के बीच ट्रैक साफ है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी के आगे लाइन साफ और अवरोध रहित है तथा प्रस्थान सिगनलों को ऑफ करने की शर्त पूरी हो, वह सर्वप्रथम IBS सिगनल एवं एडवांस स्टार्टर सिगनल तथा इसके बाद सम्बन्धित स्टार्टर सिगनल को ऑफ करेगा। स्टेशन मास्टर पैनल सुनिश्चित करेगा कि सही सिगनल ऑफ किये गये हो।

कमशः पृष्ठ 48 पर

यदि IBS सिगनल के आगे का ब्लॉक सेक्शन गाड़ी द्वारा घिरा हो लेकिन एडवान्स स्टार्टर सिगनल से लेकर IBS सिगनल के आगे 400 मी. तक मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन का इन्डिकेशन पैनल पर साफ प्रदर्शित हो तब स्टेशन मास्टर पैनल IBS सिगनल तक दूसरी गाड़ी चला सकता है। जैसे ही यह

गाड़ी एडवान्स स्टार्टर सिगनल के आगे लगे ट्रैक सर्किट पर से गुजरती है, सिगनल स्वतः वापस ऑन हो जायेगा तथा मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन (एडवान्स स्टार्टर सिगनल तथा IBS सिगनल के बीच) अवरुद्ध इन्डिकेशन पैनल पर प्रदर्शित हो जायेगा जो ये दर्शाता है कि गाड़ी मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर चुकी है।

जैसे ही आगे जाने वाली गाड़ी से IBS सिगनल के आगे का ब्लॉक सेक्शन साफ होने का इन्डिकेशन पैनल पर प्रदर्शित हो जाता है तथा "इन रिपोर्ट" प्राप्त हो जाती है, स्टेशन मास्टर पैनल IBS सिगनल तक चलाई गयी गाड़ी के लिये लाक एवं ब्लाक यंत्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करेगा और IBS सिगनल को ऑफ करेगा। जैसे ही गाड़ी IBS सिगनल को पास करती है, स्टेशन मास्टर कार्यालय में "गाड़ी सेक्शन में" का एक बजर बजने लगेगा। बजर एकनालेज करके स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को "आउट रिपोर्ट" देगा। "आउट रिपोर्ट" मिलते ही अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर अपने लाक एवं ब्लाक यंत्र के कम्प्यूटर को "ट्रेन आन लाइन" की स्थिति में कर लेगा।

6.6.2 गैर चालू लाइनों/बिना सिगनल वाली लाइनों से गाड़ियों का प्रस्थान :

सामान्य एवं सहायक नियम 5.11 देखें।

6.6.3 काशन आर्डर (सतर्कता आदेश) का जारी किया जाना :

यह स्टेशन नोटिस स्टेशन है अतः सामान्यतः सभी अप/डाउन गाड़ियों को रोक कर सतर्कता आदेश (टी-409) जारी किया जायेगा। विशेष आदेशों के अन्तर्गत किसी गाड़ी का बिना रुके जाना हो तो उस गाड़ी का सतर्कता आदेश मिलना सुनिश्चित करके गाड़ियों बिना रुके जा सकती है।

स्टे.मा/इनडोर द्वारा सतर्कता आदेश तैयार किया जायेगा। लाइन की मरम्मत होने के या किसी अन्य घटना की, जिससे गाड़ियों की संरक्षा को खतरा हो तथा जिसके लिये सतर्कता की आवश्यकता हो, ऐसी सूचना मिलने पर, स्टे.मा/इनडोर सूचना मिलने की प्राप्ति स्वीकृति भेजेगा तथा प्रभावित ब्लाक सेक्शन में जाने के लिये कोई गाड़ी अपने यहाँ से भेजने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि सतर्कता आदेश के माध्यम से ऐसे खतरे तथा खतरे के स्थल के विषय में **लोको पायलट** एवं **गार्ड** को चेतावनी दे दी गई है। वह प्रतिबन्ध स्थल के पिछले स्टेशन को, उस प्रथम गाड़ी को जिसको सतर्कता आदेश दिया गया है, विवरण देगा।

यदि इस स्टेशन को गाड़ी की दिशा में अगले नोटिस स्टेशन तक किसी स्टेशन के बीच विशेष काशन की आवश्यकता की सूचना नहीं है तो स्टे.मा/इनडोर अपने यहाँ से चलने वाली प्रत्येक गाड़ी के **लोको पायलट** एवं **गार्ड** को 'कोई नहीं' सतर्कता आदेश जारी करेगा।

नोट:- इस स्टेशन से लोको पायलट तबतक गाड़ी नहीं चलायेगा और गार्ड गाड़ी चलाने का संकेत तबतक नहीं देगा जबतक कि उन्हें 'सतर्कता आदेश' न मिल गया हो। स्टे.मा/इनडोर गाड़ी को प्रस्थान किये जाने से पूर्व गाड़ी के लोको पायलट व गार्ड से सतर्कता आदेश प्राप्त हो जाना सुनिश्चित करेगा।

(सा० एवं सहा० नियम 4.09 देखें)

क्रमशः पृष्ठ 49 पर

6.7 गाड़ियों का स्टेशन पर बिना रुके जाना -

6.7.1 यह स्टेशन नोटिस स्टेशन होने के कारण कोई गाड़ी इस स्टेशन पर बिना रुके नहीं जायेगी, परन्तु विशेष आदेशों के अन्तर्गत किसी गाड़ी को इस स्टेशन से बिना रुके जाना हो तो गाड़ियां मेन लाइन से सा० नियम 4.10 एवं साधा० एवं सहा० नियम 4.11 के अन्तर्गत स्टेशन से बिना रुके जायेगी। यदि किसी कारणवश मेन लाइन से बिना रुके जाना सम्भव न हो तो गाड़ियों को लूप लाइन से निर्धारित गति से बिना रुके जाने की अनुमति है। लूप लाइन का "आफ" आस्पेक्ट तब तक नहीं आयेगा जबतक कि गाड़ी बर्थिंग ट्रैक पर नहीं आ जाती है। किसी भी स्थिति में गाड़ी, गुडस लूप लाइन से बिना रुके नहीं जायेगी।

6.7.2 बिना रुके जाने वाली गाड़ियों को दोनों तरफ से देखना चाहिये। स्टे.मा./इनडोर स्टेशन भवन के सामने खड़े होकर आल राइट सिगनल स्वयं देगा और आफ साइड से एक स्टेशन कर्मचारी देगा। आल राइट सिगनल का आदान-प्रदान स्टेशन स्टाफ ट्रेन कू व गार्ड के बीच दिन में हरी झण्डी तथा रात में हरी बत्ती द्वारा किया जायेगा।

(सहायक नियम 5.01(5) देखें)

6.7.3 दो ट्रेनों के एक साथ बिना रुके जाने की अवस्था में अथवा लूप लाइन/कामन लूप लाइन पर स्थित वाहनो द्वारा स्टेशन की दृश्यता अवरुद्ध होने के कारण जब स्टेशन मास्टर/इनडोर के लिए स्थिर वाहनो को पार कर दूसरी तरफ सीधे जाने वाली गाड़ी से आल राइट सिगनल का आदान-प्रदान करना सम्भव न हो तो स्टेशन मास्टर सीधे जाने वाली गाड़ी के दूसरी तरफ **लोको पायलट** एवं **गार्ड** से आल राइट सिगनल का आदान-प्रदान करने के लिए एक सक्षम रेल कर्मचारी को नियुक्त करेगा। ऐसी अवस्था में **लोको पायलट** एवं **गार्ड** भी इस प्रकार के सिगनल के लिए गाड़ी के दूसरी तरफ सतत दृष्टि रखेंगे।

(साधा. एवं सहा. नियम 5.01(5)(vii) देखें)

6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति –

6.8.1 ट्रैक सर्किट की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट सूचक बल्ब के फ्यूज होने की स्थिति में कार्यरत पावर केबिन सुपरवाइजर द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन करने/कराये जाने के पश्चात ट्रैक क्लीयरेंस सुनिश्चित किया जायेगा। ट्रैक सर्किट की विफलता में अगर कॉटे का संचालन करना हो तो कॉटे का अवरोधरहित होना सुनिश्चित करने के पश्चात आपातकालीन स्टेशन मास्टर चाभी पैनल पर लगाकर घुमाने के बाद ही कार्यरत स्टेशन मास्टर, पैनल पर दिये गये आपातकालीन कॉटा संचालन बटन (**EWN**) के साथ **WWN** बटन दबायेगें। तत्पश्चात **EWN** बटन को छोड़ते हुए **WWN** दबाये हुए ही सम्बन्धित कॉटा बटन **WN** दबाकर कॉटो को वॉछित दशा में सेट कर क्लैम्प व पैडलाक करने के उपरांत गाड़ी को टी/369(3बी) पर पास करेगा। उपरोक्त प्रक्रिया से कॉटो के सेट न होने पाने की दशा में क्लैन्क हैण्डिल की सहायता से कॉटों को सेट किया जायेगा। स्टेशन मास्टर द्वारा इसकी प्रविष्टि स्टेशन मास्टर डायरी एवं सिगनल विफलता रजिस्टर व वीडर गणक रजिस्टर में की जायेगी एवं सिगनल अनुरक्षक को इस बटन को सील करने हेतु लिखित सूचना दी जायेगी। स्टेशन मास्टर को उपरोक्त कार्यवाही करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी चाहिये।

(सामान्य नियम 3.38(1), 3.40(2), 8.03,14.13 (1)(2) देखें)

कमशः पृष्ठ 50 पर

6.8.2 कांटो की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

मोटर कांटों की विफलता की स्थिति में, कांटों की सेटिंग, क्रेक हैण्डिल के उपयोग से की जायेगी। क्रेक हैण्डिल को लीवर लाक कम सर्किट कन्ट्रोलर असेम्बली से निकालने की पद्धति स्टेशन संचालन नियम के पैरा 4.1 (xiii) एवं कांटो के संचालन की विस्तृत पद्धति इस स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट "बी" के अनुलग्नक-I में दिया गया है।

6.8.3 सिगनल की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

सिगनल की विफलता के मामले में विस्तृत कार्य पद्धति के लिये सामान्य नियम 3.68(1)(2), सहायक नियम 3.68 सामान्य नियम 3.69, सामान्य एवं सहायक नियम 3.70 देखें।

6.8.4 ब्लाक यंत्रों की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

ब्लाक यंत्रों की विफलता की स्थिति में गाड़ियों का परिचालन सामान्य एवं सहायक नियम 14.13 के अनुसार किया जायेगा।

6.8.5 एक्सल काउन्टर/एक्सल काउन्टर ब्लाक की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" व अनुलग्नक V व VI देखें।

6.8.6 क्षतिग्रस्त कांटों पर कार्य करने की पद्धति :

सामान्य नियम 3.77(1)(2) एवं सहायक नियम 3.77(i) देखें।

6.8.7 अवरुद्ध लाइनों पर गाड़ियों के आगमन की पद्धति :

सामान्य नियम 5.09(1)(2)(3) एवं सहायक नियम 5.09(i) देखें।

6.8.8 बिना सिगनल वाली लाइनों पर गाड़ियों के आगमन की पद्धति :

सामान्य नियम 5.10(1)(2) एवं सहायक नियम 5.10(i)(ii)(iii) देखें

6.8.9 शन्ट सिगनल की विफलता पर कार्य करने की पद्धति:-

जब शन्ट सिगनल के लिए रूट सेट हो और सिगनल आफ न हो रहा हो और यदि पैनल पर रूट लाइट प्रदर्शित हो चुकी हो तो स्टेशन मास्टर खराब सिगनल पर शन्टिंग को नियन्त्रण करने के उद्देश से हैंड सिगनल देने के लिए रेल सेवक को नियुक्त कर देगा तथा निर्धारित फार्म में चालक को लिखित प्राधिकार देकर हाथ सिगनलों से शन्टिंग संचालन की अनुमति दे सकता है। यदि पैनल पर रूट लाइट नहीं दिखाई दे रहीं हैं तो मार्ग में पड़ने वाले सभी कांटो को खराब समझा जाएगा। शन्टिंग प्रभारी व्यक्तिगत रूप से कांटो की सही सेटिंग की जांच करेगा और सभी कांटों को क्लैम्प एवं पैडलाक किए जाने के बाद ही निर्धारित फार्म में चालक को लिखित प्राधिकार देकर हाथ सिगनल द्वारा शन्टिंग कराएगा। ऐसे मामले में स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि कोई संदेहात्मक संचालन नहीं किया जा रहा है। जैसे ही सिगनल ठीक हो जाये या चालक कार्यमुक्त हो जाये-इन दोनों में जो पहले हो-तो चालक से मेमो वापस लेकर कार्यालय प्रति पर चिपका दिया जायेगा।

(देखें सहायक नियम 3.68(4)(i)(ii))

6.9 ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में उपलब्ध :

सामान्य एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 तथा स्टेशन के संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" के अनुलग्नक V व VI एवं परिशिष्ट 'एफ' में देखें।

क्रमशः पृष्ठ 51 पर

7. लाइन अवरुद्ध होना –

साधारण एवं सहायक नियम 5.19 में लिखित प्रावधानों के अतिरिक्त सामान्यतया इस स्टेशन पर रनिंग लाइन को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं है। यदि किसी रनिंग लाइन को स्टेबुलड लोड वाहन, सवारी डिब्बा या किसी गाड़ी के कासिंग अथवा किसी अन्य गाड़ी को वरीयता देने के लिये अवरुद्ध किया जाता है तो अवरोधित लाइन पर गाड़ी आ जाने के पश्चात कांटों को उस लाइन के विपरीत दिशा में सेट कर देना चाहिये। बशर्ते उसी लाइन पर शंटिंग या अन्य संचालन आवश्यक न हो। जब किसी रनिंग लाइन को स्टेबुलड लोड या अन्य किसी वाहन से अवरोधित किया जाये तो कार्यरत पावर केबिन सुपरवाइजर द्वारा कार्यरत खण्ड गाड़ी नियन्त्रक को भी **प्राइवेट नम्बर** के आदान प्रदान के साथ सूचित किया जायेगा तथा इसकी प्रविष्टि कार्यरत पैनल सुपरवाइजर द्वारा लागू बुक में तथा स्टेशन मास्टर/ब्लाक द्वारा ट्रेन सिगनल रजिस्टर में किया जायेगा एवं स्टेशन मास्टर/पैनल द्वारा सम्बन्धित लाइन पर रिमाइंडर कालर लगाया जायेगा।

8. शंटिंग –

वे कांटे जो किसी चाभी से सेट व लाक नहीं होते हैं या शंट सिगनल या अन्य किसी सिगनल से नियंत्रित नहीं होते हैं तो शंटिंग में उन सम्मुख कांटों को क्लैम्प व पैडलाक अवश्य किया जाय। साधारण एवं सहायक नियम सं० 8.09, 8.10, 8.12, 8.13, 8.15 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

8.1 सामान्य सावधानियाँ :

सहायक नियम 5.14(1)(2)(3) देखें।

8.2 आती हुई गाड़ी के सम्मुख शंटिंग :

- (I) जब लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो स्टेशन सेक्शन के बाहर कोई अवरोध नहीं होने दिया जायेगा किन्तु स्टेशन सेक्शन के भीतर शंटिंग कार्य किया जा सकता है परन्तु यह तब जब आवश्यक सिगनल **आन** रखे जायें।
- (II) जब किसी ऐसी लाइन पर जो पृथक नहीं की गयी है, आने वाली गाड़ी के लिए सिगनल "आफ" किये जा चुके हैं तो शंटिंग कार्य उन कांटों की तरफ नहीं किया जायेगा जिन पर से आने वाली गाड़ी को गुजरना है।

(साधारण नियम 8.05 (2) देखे)

8.3 (I) शंटिंग पर प्रतिबन्ध :

- (क) यदि लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो पिछले ब्लाक सेक्शन में किसी अवरोध की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (ख) धुन्ध या कोहरा या किसी भी कारण यदि दृश्यता बाधित हो तो किसी भी गाड़ी का लाइन क्लीयर देने के पश्चात उसके सामने उन लाइनों पर शंटिंग करने की अनुमति नहीं है जो पृथक नहीं है।

(साधारण नियम 8.06 देखे)

(III) कोई अन्य प्रमुख विशेषतायें :

— कुछ नहीं —

8.4 इकहरी लाइन पर शंटिंग:

स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परि० 'बी' के अनुलग्नक IV देखें।

8.4.1 ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग (आगमन अनुमति देने के पूर्व):-

सामान्यतया इस स्टेशन पर प्रथम रोक सिगनल तक शन्टिंग आदेश देकर शन्टिंग किये जाने की अनुमति है परन्तु विशेष परिस्थिति में प्रथम रोक सिगनल के बाहर शन्टिंग हेतु, लाइन को ब्लाक बैक कर शन्टिंग चाभी एवं शन्टिंग आदेश देकर शन्टिंग की जा सकती है।

कमशः पृष्ठ 52 पर

8.4.2 आती हुई गाड़ी की दिशा में शन्टिंग :-

इस स्टेशन पर आवश्यक सिगनल 'आन' रखकर सबसे बाहरी सम्मुख कांटों तक निर्बाध रूप से शन्टिंग की जा सकती है परन्तु सम्मुख कांटों के बाहर एडवांस्ड स्टार्टर तक शन्टिंग, सा०नि० 8.09 में दिये गये शर्तों का अनुपालन करते हुये, करने की अनुमति है। यदि गाड़ी के आने के लिये सिगनल 'आफ' कर दिये हो तो जिस लाइन पर गाड़ी आ रही है उस लाइन से जो लाइन अलग नहीं है उस पर शन्टिंग करने की अनुमति नहीं है।

8.4.3 जाती हुई गाड़ी के पीछे शंटिंग

इस स्टेशन पर जाती हुई गाड़ी के पीछे प्रथम रोक सिगनल तक शंटिंग की अनुमति है बशर्ते जाने वाली गाड़ी प्रथम रोक सिगनल को पार कर गयी हो और इसकी यात्रा चालू है। होम सिगनल के बाहर लाइन अवरुद्ध नहीं की जायेगी जब तक कि सामान्य नियम 8.12 एवं 8.13 के अनुरूप लाइन "ब्लाक बैक" नहीं कर दी जाती है तथा चालक को शंटिंग आदेश नहीं दिया जाता है।

8.4.4 शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :-

साधारण एवं सहायक नियम सं० 5.13 एवं 5.14 का अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी आने वाली गाड़ी के लिये यदि सिगनल आफ कर दिया गया है तो शन्टिंग संचालन नहीं किया जायेगा, जब तक कि लाइन जिस पर शन्टिंग किया जाना है, आने वाली गाड़ी के लाइन से आइसोलेट नहीं है।

टिप्पणी:-शंटिंग के दौरान रास्ते में पड़ने वाले समपार फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बंद एवं लाक कर दिये जायेंगे।

8.4.5 इकहरी लाइन पर ब्लाक उपकरण खराब होने के दौरान शंटिंग :-

ब्लाक उपकरण के विफलता सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुये शन्टिंग की जायेगी।

8.5 दोहरी लाइन पर शंटिंग:-**8.5.1 ब्लाक बैक -**

पिछले ब्लाक सेक्शन में शंटिंग संचालन की स्थिति में, जब किसी गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर नहीं दिया गया हो, पिछले ब्लाक स्टेशन से प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के तहत सेक्शन ब्लाक बैक करके शन्टिंग संचालन किया जायेगा बशर्ते आवश्यक सिगनलों को "आन" स्थिति में रखा गया हो। फार्म टी/806 पर शन्टिंग आदेश लोको पाइलट को जारी किया जायेगा।

ब्लाक बैक रहने के दौरान ब्लाक यन्त्र के कमप्यूटेटर को "लाइन क्लोज" की स्थिति से सीधे "ट्रेन आन लाइन" पर घुमा दिया जायेगा।

शन्टिंग संचालन पूरा हो जाने पर दोनों स्टेशन मास्टर के मध्य प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सेक्शन क्लीयर किया जायेगा।

(सामान्य नियम 8.06(2), 8.14 एवं 8.15 देखें)

8.5.2 ब्लाक फारवर्ड -

अगले ब्लाक सेक्शन में शंटिंग संचालन की स्थिति में, जब किसी गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर प्राप्त नहीं किया गया हो, अगले ब्लाक स्टेशन से प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के तहत सेक्शन ब्लाक फारवर्ड करके शन्टिंग संचालन किया जायेगा बशर्ते फार्म टी/806 पर शन्टिंग आदेश लोको पाइलट को जारी किया गया हो जिस पर अन्तिम स्टाप सिगनल "आन" रहने पर उससे गुजरने का प्राधिकार हो।

क्रमशः पृष्ठ 53 पर

ब्लाक फारवर्ड रहने के दौरान ब्लाक यन्त्र के कम्प्यूटेटर को “लाइन क्लोज” की स्थिति से सीधे “ट्रेन आन लाइन” पर घुमा दिया जायेगा।

शन्टिंग संचालन पूरा हो जाने पर दोनों स्टेशन मास्टर के मध्य प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सेक्शन क्लीयर किया जायेगा।

(सामान्य नियम 8.06(3), 8.14 एवं 8.15 देखें)

टिप्पणी— शंटिंग के दौरान रास्ते में पडने वाले समपार फाटक सडक यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक कर दिये जायेंगे।

8.5.3 दूर जा रही गाड़ी के पीछे शंटिंग:

सामान्य नियम 8.14 देखें।

8.5.4 आई.बी.एस. तक शंटिंग :

IBS सिगनल तक शंटिंग की अनुमति तभी दी जायेगी जब IBS सिगनल के आगे 400 मी. तक ट्रैक साफ हो और मौसम भी साफ हो। जब IBS सिगनल निलम्बित कर दिया हो तब IBS सिगनल तक शंटिंग उपरोक्त पैरा 8.52 के अनुसार की जायेगी।

8.5.5 आई.बी.एस. के बाद शंटिंग :

IBS सिगनल के बाद शंटिंग की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह ब्लाक सेक्शन साफ नहीं है और ब्लाक फारवर्ड नहीं कर दिया गया है।

8.5.6 दोहरी लाइन पर ब्लाक उपकरण खराब होने के दौरान शंटिंग :

ब्लाक उपकरण विफलता सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुये शंटिंग की जायेगी।

8.5.7 इकहरी लाइन पर ब्लाक उपकरण खराब होने के दौरान शंटिंग :

ब्लाक विफलता सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुये शन्टिंग की जायेगी।

8.6 स्टेशन यार्ड/माल यार्ड से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग —

8.6.1 स्टेशन यार्ड में पडने वाली साइडिंगों —

जब भी साइडिंग में शन्टिंग करनी हो तो ऐसी शन्टिंग स्टेशन मास्टर (आउटडोर)/यार्ड मास्टर/शन्टिंग मास्टर के अनुदेशों के अनुसार की जायेगी। कार्यरत स्टे.मा./पैनल, पावर केबिन सुपरवाइजर के निर्देशानुसार आवश्यक पैनल संचालित कांटों को बनायेगा। शन्टिंग सुपरवाइजर के निर्देशानुसार शन्टिंग का कार्य कांटावाला द्वारा किया जायेगा।

8.6.2 स्टेशन यार्ड के बाहर पडने वाली साइडिंगों की कार्य विधि —

इस स्टेशन के दोनों तरफ किसी भी ब्लाक सेक्शन में कोई बाहरी साइडिंग नहीं है।

8.6.3 वैगनों/वाहनों को सुरक्षित करना —

स्टेशन मास्टर/आउटडोर कोचिंग यार्ड में तथा मुख्य यार्ड मास्टर/उप मुख्य यार्ड मास्टर/यार्ड मास्टर गुडस यार्ड में यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टेशन/यार्ड में खड़े वाहन/वैगन साधारण नियम 5.23 के अनुसार भली प्रकार से सुरक्षित कर दिये गये हैं।

नोट— जब यार्ड में दोनों छोरों से एक साथ शन्टिंग करनी हो, तब शन्टिंग के काम का कार्यभारी व्यक्ति किसी गाड़ी या डिब्बों की शन्टिंग करने या उन्हें पीछे धकेलने से

पहले यदि ऐसा करने पर उस लाइन या साइडिंग का उल्लंघन होता हो जिस पर दूसरे सीरे से वाहन शन्ट किये जा सकते हो, अपनी ओर से स्टेशन मास्टर/केबिन स्टेशन मास्टर/केबिन मैन को यह अनुदेश देगा के वह दूसरे सीरे पर स्थित स्टेशन मास्टर/केबिन स्टेशन मास्टर/केबिन मैन को यह सूचित कर दे कि वह दूसरे सीरे से की जाने वाली शन्टिंग के कार्यभारी व्यक्ति को इस ओर से की जाने वाली शन्टिंग के बारे में जानकारी दे दे।

क्रमशः पृष्ठ 54 पर

ऐसी सूचना देते समय वह उस लाइन का विवरण भी देगा जिस पर गाड़ी या डिब्बे शन्ट किये जायेंगे। साथ ही साथ वह एक कर्मचारी को डिब्बों के पीछे जाकर माल डिब्बों के ब्रेक लगाने अथवा कोई ब्रेकवान होतो उनके हाथ ब्रेको को लगाने के लिए तैनात करेगा ताकि पीछे की ओर के कांटों का उल्लंघन न हो सके। ब्रेक लगाने के लिए पीछे भेजे गये कर्मचारी को यह भी अनुदेश देना चाहिए कि जब गाड़ी पीछे की ओर उल्लंघन चिन्ह के समीप पहुँचे तो वह खतरा सिगनल दिखाये। यदि लाइन घुमाव पर हो, तो लोको पायलट को उक्त सिगनल दोहराने के लिए कुछ दूरी के बीच अन्य कर्मचारी तैनात किये जायेंगे जिससे गाड़ी को रोका जा सके और बगली टक्कर बचायी जा सके। सभी यार्ड मास्टरों, यार्ड पर्यवेक्षकों तथा शन्टिंग मास्टरों को यार्ड के हर लाइन की क्षमता मालूम होनी चाहिए।

(नोट का प्राधिकार PCOM'S/NER letter no.T/104/OB/Master file date 19.12.17)

9. असामान्य परिस्थितियाँ :

(क) असामान्य परिस्थितियों में अनुपालन हेतु नियम –

- (i) स्टेशन पर दिये हुए स्थावर सिगनलों में से किसी के विफल होने की दशा में साधारण एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.74 व 3.75 में निहित निर्देशों के अनुसार गाड़ियों का संचालन किया जायेगा। ब्लाक उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लियर संदेश स्टेशन पर उपलब्ध संचार माध्यम पर अधिमानता के क्रम में भेजा जाना चाहिये।

(साधारण एवं सहायक नियम का अध्याय-14 एवं परिशिष्ट 'घ' देखें)

- टिप्पणी: (अ) ब्लाक यंत्र के टेलीफोन से लाइन क्लियर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से जुड़ जाने की संभावना रहती है।
- (ब) दुर्घटना की स्थिति में या किसी अन्य कारण से लाइन अवरुद्ध होने पर स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि उस खण्ड को ब्लाक कर दे और कारण जानने की कोशिश करे और आवश्यकता पड़े तो इंजन से, टाली से या सड़क यातायात से या पैदल उस व्यवधान स्थल पर पहुँचे और दुर्घटना मैनुअल एवं साधारण एवं सहायक नियम अध्याय 6 के अनुसार कार्य करें।
- (स) बिना सिगनल के किसी गाड़ी का आगमन विद्युत चालित कांटों पर हो तो स्टेशन मास्टर का दायित्व होता है कि वह कांटों को सामान्य और विपरीत दिशा चलाकर सही सेटिंग सुनिश्चित करें। जब स्टे.मा. यह सुनिश्चित कर लें कि स्टेशन पैनल पर सामान्य एवं विपरीत का संकेत सही है तभी कांटों पर परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। स्टे.मा. द्वारा डायरी में इस जांच को रिकार्ड कर लिया जाना चाहिए।

(ii) लाइन पर अवरोध या दुर्घटना आदि के मामले में अवरोधित ब्लाक खंड में प्रस्थान आदेश –

दुर्घटना या लाइन के अवरुद्ध होने की स्थिति में, यदि आवश्यक हो, अवरोध के स्थान तक कार्य हेतु गाड़ियों के चलाने का अधिकार टी/ए 602 जिसमें बिना लाइन क्लीयर के जाने का ब्लाक टिकट, प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में पास करने का प्राधिकार एवं सतर्कता आदेश समावेशित होगा, पर भेजी जायेगी।

(सा०नियम 6.02 एवं 6.09 देखें)

कमशः पृष्ठ 55 पर

(iii) ब्लाक खंड में रुकी हुई गाड़ियाँ –

यदि कोई सवारी गाड़ी स्टेशन पर नियत आगमन समय के 10 मिनट के अन्दर और मालगाड़ी नियत आगमन समय के 20 मिनट के अन्दर न पहुँच सके तो ब्लाक सेक्शन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टर को कारण पता करने के लिए किसी रेल सेवक को भेजना चाहिए। दोहरी लाइन पर या बगल में लाइनो के होने पर इस कार्य के लिये यदि उपलब्ध हो तो इंजन उपयोग में लाया जा सकता है।

(सामान्य नियम 6.04 देखें)

(iv) मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल के आन होने पर चूक/पासिंग –

गाड़ी चलाने के बाद, IBS सिगनल को ऑफ करने से पहले, कंट्रोल पैनल(पूर्वहट) पर इस उद्देश्य के लिये विशेष रूप से लगाये गये बज़र में यदि घंटी बजने लगती है तथा प्रज्वलित होने वाला लाल इन्डिकेशन प्रदर्शित हो जाता है, इसका अभिप्राय या तो गाड़ी IBS को ऑन स्थिति में पास कर गयी है या IBS सिगनल के आगे का ट्रैक सर्किट विफल हो गया है। ऐसे मामले में, कार्यरत स्टेशन मास्टर यह मानेगा कि गाड़ी IBS सिगनल को ऑन स्थिति में पास कर गयी है तथा वह IBS सिगनल को ऑफ नहीं करेगा।

कार्यरत स्टेशन मास्टर तुरन्त, अगले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट न० का आदान प्रदान करके गाड़ी न० एवं विवरण के साथ इस सम्बन्ध में सूचित करेगा। IBS सिगनल बटन पर स्मारक कॉलर अवश्य लगाया जाना चाहिये। इसकी सूचना खण्ड नियन्त्रक को भी दी जायेगी तथा रजिस्टर में भी इसकी प्रविष्टि अवश्य की जायेगी।

कार्यरत स्टेशन मास्टर, कंट्रोल पैनल पर दिये गये सम्बन्धित पुश बटन (IBS) सिगनल के लिये ACK पुश बटन) को दबाकर बज़र को बन्द कर सकता है। यदि लाल इन्डिकेशन लगातार प्रदर्शित हो रहा है तब दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर आपसी सहयोग से IBS सिगनल एक्सिल काउन्टर को रीसेट करेगा।

उस दिशा के पैनल को नॉर्मल नहीं किया जायेगा तथा अगले स्टेशन से पुनः लाइन क्लीयर भी नहीं लिया जायेगा जब तक कि IBS सिगनल को ऑन स्थिति में पास करने वाली गाड़ी अगले ब्लॉक स्टेशन पर पूरी न आ चुकी हो तथा अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा प्राइवेट नम्बर के साथ गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित न कर दिया गया हो।

जब भी गाड़ी लेने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को गाड़ी भेजने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नम्बरो के आदान प्रदान के अन्तर्गत यह सूचना मिलती है कि गाड़ी IBS सिगनल को ऑन की स्थिति में पास कर गयी है तब वह तुरन्त यह सुनिश्चित करेगा कि यदि कोई गाड़ी आगे आ रही है, उसे आगमन सिगनलो पर नहीं रोका जाये तथा आगमन सिगनलो को तुरन्त ऑफ कर दिया जाये, इस गाड़ी के आने

के बाद, उसके लिये ऑफ किये गये आगमन सिगनलो को तुरन्त ऑन की हालत में वापस करने के बाद बचाव के लिये कांटो को साफ लाइन के लिये बदल दिया जाये।

पैनल को नॉर्मल स्थिति में नहीं किया जायेगा तथा पिछले स्टेशन को पुनः लाइन क्लीयर नहीं दिया जायेगा जब तक कि IBS सिगनल को ऑन की स्थिति में पास करने वाली गाड़ी पूरी न आ चुकी हो तथा गाड़ी भेजने वाले कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट न० के साथ सूचित न कर दिया गया हो।

(v) एक्सल काउन्टर ब्लाक/बी.पी.ए.सी. की खराबी –

स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट “बी” व अनुलग्नक V व VI देखें।

क्रमशः पृष्ठ 56 पर

(vi) एम.टी.आर.सी. में खराबी –

इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

(ख) कैंक हैण्डिल द्वारा कांटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि –

- (i) आपात स्थिति में मोटर संचालित कांटों को कैंक हैण्डिल से संचालन का विस्तृत विवरण स्टेशन के स्टे.सं.नि. में संलग्न परिशिष्ट ‘बी’ के अनुलग्नक-1 में दिया गया है।
- (ii) ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में कांटों का आपात संचालन या रुट रिलीज कराने हेतु सामान्य नियम 3.39 एवं 3.77 देखें।

(ग) कालिंग आन सिगनल परिचालन से पूर्व रेलपथ के क्लीयरेंस का प्रमाणन –

ट्रैक सर्किट के विफल होने पर स्टेशन मास्टर/पैनल द्वारा कालिंग आन सिगनल को ‘आफ’ करने के पूर्व पावर केबिन सुपरवाइजर द्वारा सम्बन्धित लाइन का बाधरहित होने की व्यक्तिगत रूप से जांच की जायेगी, जिस पर गाड़ी को गुजरना है अथवा पावर केबिन सुपरवाइजर द्वारा स्टेशन मास्टर/आउट डोर या स्टेशन मास्टर/जी.ए. द्वारा सम्बन्धित लाइन का बाधरहित होने की व्यक्तिगत रूप से जांच करायी जायेगी जिस पर से गाड़ी को गुजरना है।

(घ) कांटो, ट्रैक सर्किट/एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन की खराबी की रिपोर्ट करना:

- (i) जब भी स्टेशन पर कांटो, ट्रैक सर्किट/एक्सल काउन्टर या कोई अन्य अन्तर्पाशन गियर में खराबी पायी जाती है तो पावर केबिन सुपरवाइजर द्वारा सम्बन्धित कार्यरत सिगनल अनुरक्षण कर्मचारी जो इस खराबी को ठीक करने के लिए उत्तरदायी है, को रिपोर्ट की जाये तथा उस खराबी के ठीक होने के बाद सिगनल अनुरक्षक से लिखित मेमो प्राप्त होने पर ही स्टेशन मास्टर/पैनल द्वारा कार्य प्रणाली को पुनः सामान्य स्थिति में लाया जाये।
- (ii) पावर केबिन सुपरवाइजर द्वारा खण्ड के गाड़ी नियंत्रक को संदेश देने के साथ इस खराबी को सिगनल विफलता रजिस्टर में भी दर्ज किया जाये।

(ङ) आई.बी.एस. सिगनलिंग को निम्न परिस्थितियों में बन्द/स्थगित समझा जायेगा:

- (i) दोहरी लाइन पर अस्थाई इकहरी लाइन कार्यप्रणाली के दौरान।
- (ii) इण्टरमीडिएट ब्लाक स्टाप सिगनल की विफलता होने पर।
- (iii) आई.बी.एस. के डिस्टेन्ट सिगनल का ‘आफ’ स्थिति में विफल होने पर।
- (iv) ब्लाक यन्त्र की विफलता होने पर।
- (v) ट्रैक सर्किट/एक्सल काउन्टर की विफलता होने पर।
- (vi) सभी संचार साधनों के विफलता होने के दौरान।

नोट:- उक्त परिस्थितियों में सम्बन्धित सेक्शन को एक ब्लाक खण्ड मान कर गाड़ी का संचालन किया जायेगा।

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :-

दो स्टेशनों के बीच संचार साधनों की पूर्ण विफलता होने के दौरान अर्थात् जब निम्नलिखित साधनों में से जो कि प्राथमिकता के क्रम में दिये गये हैं जैसे :-

- (i) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
 - (ii) ब्लाक उपकरण से सम्बन्धित टेलीफोन
 - (iii) स्टेशन से स्टेशन तक स्थिर टेलीफोन (यदि उपलब्ध हो)
 - (iv) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे आटो टेलीफोन एवं बी.एस.एन.एल. टेलीफोन।
 - (v) कंट्रोल टेलीफोन
 - (vi) वी.एच.एफ. सेट विशेष अनुदेशों के अधीन
- (क) प्राथमिकता का क्रम जैसा कि ऊपर दिया गया है का उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 57 पर

- (ख) वी.एच.एफ. सेट द्वारा लाइन क्लियर का आदान-प्रदान करते समय वी.एच.एफ. सेट के प्रयोग हेतु विशेष अनुदेशों का पालन किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त किसी के भी द्वारा 'आगमन अनुमति' प्राप्त न हो सके, तो गाड़ियों को पास करने के लिये अधोलिखित क्रियाविधि अपनायी जायेगी :

9.1.1 इकहरी लाइन छोर पर(गंगाधाम/सुभागपुर) :-

ऐसी दशाओं में प्रभावित ब्लाक स्टेशन को गाड़ियों को भेजने हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर लाइट इंजन/ट्रेन इंजन/मोटर ट्राली/ट्राली साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली के चलाने के पहले संचार साधन चालू करने के लिये भेजे जाने वाले चालक/गार्ड/स्टेशन मास्टर को निर्धारित फार्म टी/बी 602 पर सम्पूर्ण संचार साधन विफल होने पर संचार खोलने हेतु प्राधिकार को सुपुर्द करेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा:-

- (i) लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार।
- (ii) सतर्कता आदेश, जिसमें वह गति विनिर्दिष्ट की गयी हो जिस पर प्रभावित ब्लाक सेक्शन से इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता हो।
- (iii) अन्तिम रोक सिगनल, यदि स्टेशन पर कोई रोक सिगनल हो, को 'आन' स्थिति में पार करने का प्राधिकार।
- (iv) प्रभावित ब्लाक सेक्शन के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इन्क्वायरी संदेश, जिसमें उसके स्टेशन के लिये भेजे जाने के लिये प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जाये।
- (v) प्रभावित ब्लाक सेक्शन के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम एक सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें निम्न हेतु अनुमति दी गयी हो:-
 - (अ) लाइट इंजन/ट्रेन इंजन को लाइट या किसी गाड़ी के साथ यदि कोई उस स्टेशन पर जाने हेतु प्रतीक्षा में है या किसी दूसरे इंजन के साथ लगकर।

या

- (ब) टावर वैगन/डीजल कार/रेल मोटर कार/इ0एम0यू0 रैक को अकेला वापस लौटने हेतु।

या

(स) मोटर ट्राली/ट्राली/साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली को किसी गाड़ी जो उसके स्टेशन पर जाने हेतु प्रतीक्षारत है में लादकर भेजने हेतु या स्वयं चलते हुए आने के हेतु ।

नोट : गाड़ियों का संचालन सा० एवं स० नियम पुस्तक के परिशिष्ट "ख" भाग-II के अनुसार होगा ।

9.1.2 दोहरी लाइन छोर पर(गोण्डा कचहरी/बरूआचक) :-

(अ) ऐसी दशाओं में प्रभावित ब्लाक स्टेशन में किसी भी गाड़ी को अगले ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने की आज्ञा देने से पहले उसे स्टेशन पर रोक दिया जायेगा तथा गार्ड और ड्राइवर को कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा परिस्थितियों से अवगत कराया जायेगा ।

(ब) स्टेशन मास्टर प्रत्येक गाड़ी के ड्राइवर को निर्धारित फार्म टी/सी 602 पर डबल लाइन खंड पर संचार साधनों के विफलता की दशा में कार्य करने हेतु एक प्राधिकार देगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा :-

क्रमशः पृष्ठ 58 पर

- (i) बिना लाइन क्लीयर प्रस्थान प्राधिकार ।
- (ii) सीधी लाइन पर 25 कि०मी० प्रति घंटे के प्रतिबन्ध तथा जहाँ गोलाई, रुकावट, वर्षा, कुहरे या किसी अन्य कारण से लाइन के आगे का भाग स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़े तो उस भाग, पर पहुँचते हुए या उस पर गुजरते हुए 10 कि०मी० प्रति घंटे के प्रतिबन्ध का सतर्कता आदेश ।
- (iii) अंतिम रोक (स्टॉप) सिगनल को आन स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकार । (सा० व साधा० नियम परिशिष्ट "ख" का भाग-I देखें)

9.2 दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन कार्य पद्धति :

9.2.1 संचार साधनों के पूर्णतया अवरुद्ध हो जाने के दौरान इकहरी लाइन प्रणाली से कार्य करना :

सामान्य एवं सहायक नियम का परिशिष्ट "ख" भाग-III में निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

9.2.2 दोहरी लाइन खण्ड में एक लाइन अवरुद्ध हो जाने पर इकहरी लाइन कार्य चालन के नियम :

जब कभी किसी गाड़ी या रेलपथ के दुर्घटनाग्रस्त होने या किसी दूसरी रुकावट के कारण दोहरी लाइन के किसी एक लाइन का उपयोग नहीं हो पाता है तो यातायात का परिवहन अस्थायी तौर पर सामान्य एवं सहायक नियम परिशिष्ट "ख" भाग-IV के अनुसार किया जायेगा ।

9.3 बिना लाइन क्लीयर प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त/किपिल्ड गाड़ी के सहायतार्थ गाड़ी का प्रस्थान :

(क) जब तक ब्लाक सेक्शन से अवरोध दूर न हो जाये तब तक यदि आवश्यकता हो तो गाड़ियाँ अवरोध स्थल तक "रिलीफ इंजन/गाड़ी अवरुद्ध ब्लाक खण्ड में भेजने के प्राधिकार" फार्म टी/ए 602 जिसमें बिना लाइन क्लीयर जाने का ब्लाक टिकट, सिगनल ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार एवं सतर्कता आदेश समावेशित होगा, पर भेजी जायेगी। इस

प्राधिकार में स्पष्ट रूप से लिखा जायेगा कि गाड़ियों को तत्काल वापस जाना है या अवरोध स्थल पर अनुगामी गाड़ी के जिसे भेजने की आवश्यकता हो पहुचने व वापसी की प्रतीक्षा करनी होगी। इस नियम के अधीन दूसरी गाड़ी किसी भी दशा में पहली गाड़ी के पीछे नहीं भेजी जानी चाहिये। यदि पहली गाड़ी के फार्म टी/ए 602 प्राधिकार पर यह पृष्ठांकित न किया गया हो कि दूसरी गाड़ी पीछे से जायेगी। अवरोध स्थल को भेजी गयी गाड़ियों की साधारण नियम 6.03 एवं 3.62 में दी गयी विधियों के अनुसार रक्षा होनी चाहिये।

(ख) यदि ब्लाक सेक्शन के अवरोध दुर्घटना के कारण हो और मेडिकल रिलीफ गाड़ी/ब्रेकडाउन गाड़ी/मेटेरियल गाड़ी/लाइट इंजन के भेजे जाने के पश्चात् दुर्घटना स्थल पर प्रतिनियुक्त प्रभारी अधिकारी दूसरी मेडिकल रिलीफ गाड़ी/ब्रेकडाउन गाड़ी/मेटेरियल गाड़ी/लाइट इंजन को दुर्घटना स्थल पर मांग करने की आवश्यकता महसूस करते हैं तो ड्यूटी पर तैनात नियंत्रक दुर्घटना स्थल पर प्रतिनियुक्त प्रभारी अधिकारी से परामर्श कर उपर्युक्त दूसरी गाड़ी को भेजने की अनुमति दे सकता है। यदि ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने वाली पहली गाड़ी के प्राधिकार फार्म टी/ए 602 पर यह पृष्ठांकित नहीं किया गया है कि बाद में दूसरी गाड़ी भी भेजी जायेगी तो दुर्घटना स्थल पर प्रतिनियुक्त प्रभारी अधिकारी ड्यूटी पर तैनात नियंत्रक से परामर्श करके दूसरी गाड़ी को भेजे जाने का आदेश दे सकता है बशर्ते पहले आने वाली गाड़ी को स्थिर कर उनकी साधारण नियम 6.03 के अनुसार रक्षा कर ली गयी है।

कमशः पृष्ठ 59 पर

(ग) इसके अतिरिक्त प्रथम गाड़ी के गार्ड अथवा इसके बदले कोई अन्य सक्षम रेल कर्मी गाड़ी के पीछे पर्याप्त दूरी से ली जाने वाली दूसरी गाड़ी को आने वाली दिशा की ओर निरन्तर खबर का सिगनल प्रदर्शित करता रहेगा।

(घ) अगर चालक अनपढ़ हो तो बिना लाइन क्लियर प्रस्थान आदेश पर अंकित निर्देशों को गार्ड के समक्ष पढ़ कर समझा देना चाहिये। बिना लाइन क्लियर आदेश के पन्ने पर इससे सम्बन्धित रिकार्ड को रखना चाहिये।

(साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट "ख" के भाग-II को देखें)

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य -

- क. गोण्डा कचहरी/गंगाधाम : प्लेटफार्म पर निर्दिष्ट स्थान से पश्चिमी छोर में लाइन सं० 3 के अप स्टार्टर सिगनल सं० एस-28 की बत्ती ।
 ख. बरुआचक/सुभागपुर : प्लेटफार्म पर निर्दिष्ट स्थान से पूर्वी छोर में लाइन सं० 3 के डाउन स्टार्टर सिगनल सं० एस-29 की बत्ती ।

(विशेषकर सामान्य एवं सहायक नियम 3.61 देखें)

11. स्टेशन पर आवश्यक उपकरण -

स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ई' देखें।

12. कोहरा होने पर बुलाये जाने वाले नामित फाग सिगनलमैन :

- (i) कोहरे, आंधी या धुंध के मौसम में जब दृश्यता परीक्षण लक्ष्य दिखाई न पड़े तो कार्यरत स्टेशन मास्टर स्वयं तसल्ली कर लेगा कि सिगनल जल रहे हैं इसके बाद एक एक प्रशिक्षित व्यक्ति को दोनो दिशाओं में पटाखे लगाने के लिए कोहासा सिगनल खम्भों के पास भेजेगा। यह खम्भे स्टेशन के प्रथम रोक सिगनल से 270 मीटर पीछे अर्थात् बाहर की ओर गड़े हैं। स्टेशन पर फाग सिगनलमैनो का नाम, फाग सिगनल रजिस्टर में लिखा जायेगा तथा नामांकित फाग

सिगनलमैन को ही धुन्ध या कोहरे के मौसम में इस्तेमाल किया जायेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर जैसे ही कार्यवाही करने की आवश्यकता हो, वह तुरन्त स्टेशन के दो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो ड्यूटी पर न हो बुलायेगा अन्यथा प्रखंड का रेल पथ निरीक्षक से दो प्रशिक्षित गैगमैन को फाग सिगनलमैन की जगह प्रतिनियुक्त करने का आग्रह करेगा। फाग सिगनलमैन रेलवे के स्थायी कर्मचारी होना चाहिए न कि एवजी कर्मचारी।

- (ii) स्टेशन में निर्धारित प्रपत्र पर स्टेशन पटाखा रजिस्टर रखना आवश्यक है जिसमें कार्यरत फाग सिगनलमैन का नाम, कार्य की अवधि, पटाखों का स्टॉक प्रत्येक फाग सिगनलमैन के साथ कितने पटाखें भेजे गये, प्रत्येक गाड़ी की संख्या जिसके नीचे पटाखे प्रयोग किये गये, बचे हुए पटाखों की संख्या और प्रयोग किये गये पटाखों के खोल (साथ ही जो पटाखें न फटे हो) कार्यरत स्टेशन मास्टर को फाग सिगनलमैन द्वारा वापस किये गये का व्यौरा देना होगा।
- (iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर को स्टेशन पटाखा रजिस्टर में सभी लोगों के जो पटाखा फाग सिगनलमैन और या उनकी जगह इस स्टेशन पर फाग सिगनलमैन प्रतिनियुक्ति किये गये हो के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेना आवश्यक है जिससे ज्ञात होगा कि वे गाड़ी के लिए फाग सिगनल लगाने के नियमों को समझते हैं।

(दृश्यता परीक्षण स्थल, पटाखा लगाने का स्थान, स्टेशन पटाखा रजिस्टर एवं फाग सिगनलमैन हेतु विस्तृत निर्देशों हेतु सामान्य एवं सहायक नियम 3.61 एवं परिशिष्ट "क" देखें)

13. परिशिष्टों की सूची –

परिशिष्ट	ए	समपार फाटको की कार्य प्रणाली।
परिशिष्ट	बी	सिगनल और अन्तर्पार्शन की कार्य प्रणाली तथा स्टेशन पर संचार व्यवस्था।
अनुलग्नक	I	मोटर प्वाइण्ट मशीन का क्रेन्क हैण्डल द्वारा संचालन।
अनुलग्नक	II	कलर लाइट सिगनल को प्रकाशित करने की व्यवस्था।
अनुलग्नक	III	दोहरी लाइन लाक एवं ब्लाक उपकरण का विवरण।
अनुलग्नक	IV	इकहरी लाइन बी.पी.ए.सी ब्लाक पैनल के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) का विवरण।
अनुलग्नक	V	ब्लाक प्रूविंग बाय डिजिटल एक्सल काउन्टर की कार्यविधि।
अनुलग्नक	VI	ब्लाक प्रूविंग बाय एचएसएसडीसी की कार्यविधि।
अनुलग्नक	VII	सिगनल एवं कॉटो की संचालन तालिका (पुल शीट)
परिशिष्ट	सी	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच) (ए.सी.डी.)।
परिशिष्ट	डी	गाड़ी पासिंग कर्मचारियों की ड्यूटी और प्रत्येक पारी में कर्मचारी।
परिशिष्ट	ई	स्टेशन पर उपलब्ध कराये गये आवश्यक उपकरणों की सूची।
परिशिष्ट	एफ	डी.के.स्टेशन, हॉल्ट, आई.बी.एच., आई.बी.एस. और बाहरी साइडिंगो के संचालन।
परिशिष्ट	जी	विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के नियम।

नोट : क. इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके अथवा सुधार करके न पढ़ा जाये।

ख. उपर्युक्त अनुच्छेद में कुछ साधारण एवं सहायक नियमों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। नियम सम्पूर्ण नहीं है सभी अन्य साधारण और सहायक नियमों पर अन्य विशेष आदेशों या प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन दृढ़ता से किया जाये।

पूर्वोत्तर रेलवे

लखनऊ मण्डल

टाप शीट

गोण्डा जं० स्टेशन

कार्यालय
मंडल रेल प्रबन्धक/परिचालन
लखनऊ

दिनांक 08.06.22 से लागू स्टेशन संचालन नियम सं० एल.जे.एन./184 में शुद्धि पर्ची सं०-2 दिनांक 01.05.23

शुद्धि पर्ची जारी करने की तिथि:
शुद्धि पर्ची लागू करने की तिथि:

गोण्डा जं०-गंगाधाम स्टेशनों के मध्य स्थित इण्टरलाकड इंजी० समपार फाटक सं० 3 'विशेष' श्रेणी पर स्लाइडिंग बूम का प्रावधान किये जाने के कारण दिनांक 08.06.22 से लागू गोण्डा जं० स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम सं० एल०जे०एन०/184 में संशोधन हेतु शुद्धि पर्ची सं०-2 दिनांक 01.05.23 द्वारा निम्न परिवर्तन किए गए:-

मुख्य भाग : पृष्ठ सं० 1 व 6 बदला गया।
परिशिष्ट 'ए' भाग-5 : 11 पृष्ठों को हटाकर 12 पृष्ठों से बदला गया।

परिशिष्ट 'बी' : पृष्ठ सं० 1 व 45 बदले गये।

समपार सं० 3 का : उपमसिद्धि/नि०/ल०जं०/2020(आर०डी०)/10 दि. 19.10.20 को
समपार आरेख वमंसिद्धि/ल०जं०/2023 (आर०डी०)/36 दि. 01.05.23 से बदला गया।

परिशिष्ट 'ए'

भाग - 6

गोण्डा जं० तथा गंगाधाम स्टेशनों के मध्य स्थित "विशेष" श्रेणी के इंजी० समपार फाटक सं० 3 के संचालन हेतु अनुदेश

टिप्पणी:- इन अनुदेशों को पढ़ते समय इस समपार का नियम आरेख सं० वमंसिद्धि/ल.जं० /2023 (आर०डी०)/36 दिनांक 01.05.2023 देखें।

1. विवरण
1.1 सामान्य :-

मंसिद्धि
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

वमंपरिग्र/सा०
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

1	समपार फाटक सं०	3 “विशेष”
2	इंजीनियरिंग/यातायात फाटक	इन्जीनियरिंग
3	किसके अधीन स्टेशन अधी०/रेलपथ निरीक्षक	सी०से०इन्जी०/पी०वे०/बहराइच
4	किलोमीटर पर स्थित	04/4-5
5	स्टेशन पर	गोण्डा जं०
6	स्टेशनों के मध्य	गोण्डा जं०-गंगाधाम
7	बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिये खुला
10	इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	गेट सिगनलो से अन्तर्पाशित
12	गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०	है
	अप दिशा- गेट सिगनल	4/2-3
	डाउन दिशा- गेट सिगनल	4/6-7
13	संकेतन व्यवस्था	कलर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि	टेलीफोन/हूटर
15	समपार फाटक की चौड़ाई	9.00 मीटर
16	सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	एस०एच०-30
17	सड़क का नाम	गोण्डा - बहराइच मार्ग
18	पक्का/कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	उपलब्ध
20	सड़क की चौड़ाई	9.00 मीटर
21	सड़क की कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये)	60°
	पूर्व/उत्तर की तरफ	—
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	—
22	सड़क की ढाल यदि कोई हो	समतल
	पूर्व/उत्तर की तरफ	कोई नहीं
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	कोई नहीं
23	सड़क की सीधायी (सीधा/गोलाई)	—
	पूर्व/उत्तर की तरफ	गोलाई
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	सीधी
24	हाईट गेज का प्रावधान	है
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर
26	चेक रेलो की लम्बाई	11.00 मीटर

कमश : पृष्ठ 2 पर

27	समपार के मध्य सड़क की सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई	14.00 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी०वी०यू०	80340 मार्च 2022
32	अगली गणना की तिथि	मार्च 2025
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	उपलब्ध
34	गेटमैनों की संख्या	तीन
35	निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र	गोण्डा
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो।	गोण्डा
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हों / नहीं	उपलब्ध है

1.2 उपकरण :-

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1	ट्राई कलर टार्च/पलैशिंग टेल लैम्प	03
2	हरी हाथ झण्डी	01 (डण्डे में लगा हुआ)
3	लाल हाथ झण्डी	03 (डण्डे में लगा हुआ)
4	बैनर पलैग लाल	03
5	लाल बैनर पलैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चैन(जंजीर)	02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ
7	पटाखा सिगनल	10
8	टामी बार	01
9	मोर्टार पेन (तसला)	01
10	फावड़ा/बेल्टा	01
11	दुरमुट	01 (पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
12	पिक एक्स :	01 (पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
13	टिन केस झण्डी के लिये	01
14	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
15	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन :	01
16	टिन केस मस्टर शीट के लिये :	01
17	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
18	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम :	01
19	टोकरी	01
20	सीटी	01
21	दीवार घड़ी	01
22	छोटी चैन ताला चाभीयुक्त	02

क्रमश : पृष्ठ 3 पर

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

1. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
2. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
3. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
4. ड्यूटी रोस्टर।
5. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
6. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जाँच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
7. दुर्घटना रजिस्टर।
8. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
9. निरीक्षण व आश्वासन पुस्तिका।
10. जन परिवाद पुस्तिका।
11. संकेत एवं दूर संचार पंजिका।

1.4 समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-**(क)(i) लिफ्टिंग बैरियर की संचालन पद्धति :-**

समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करने के लिये एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर की व्यवस्था है। लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिये एक विंच की व्यवस्था है। समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये कार्यरत गेटमैन विन्च को तब तक संचालित करेगा जबतक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाये। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियरों के बीच में कोई सड़क वाहन फँस न जाये। विन्च को इस स्थिति में लाक करने के लिये चाभी 'पी-1' को घुमाकर निकाल लेगा तथा इसे बूम लाक लीवर पर लगे 'ई' प्रकार के ताले में चाभी 'पी-1' लगाकर घुमायेगा जो लीवर को मुक्त करेगी। बूम लाक लीवर को विपरीत दिशा में

खींचने पर बूमों को फाटक बन्द दशा में लाक कर देगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि बूम लाक हो गये हैं बूम लाक लीवर से चाभी "पी" को निकाल लेगा। इस चाभी "पी" को गेट लाज में लगे लीवर लाक/के०एल०सी०आर० में लगाकर घुमा देगा जिससे गेट पैनल पर प्रदत्त सिगनल स्विच मुक्त हो जायेंगे। तत्पश्चात जैसी आवश्यकता हो, स्विच सं० (1) अथवा स्विच सं० (2) को "आर" दशा में घुमा कर डाउन अथवा अप गेट सिगनल को 'आफ' करेगा। गेट की सुरक्षा के लिये गेट सिगनल तथा गेट डिस्टेन्ट सिगनलों की व्यवस्था है। गेट सिगनलों के परिचालन हेतु गेट लाज में लगे पैनल पर दिये गये स्विच को गेटमैन निम्न प्रकार से परिचालित करेगा:-

स्विच सं०	गाड़ियों का संचालन	स्विच का संचालन
1	डाउन गाड़ी	"आर" दशा में
2	अप गाड़ी	"आर" दशा में

गाड़ी के पूरी गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात हेतु खोलने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल करेगा व लीवर लाक/के.एल.सी.आर. से चाभी "पी" को निकालकर बूम लीवर लाक में लगाकर घुमायेगा तथा लीवर को नार्मल करेगा एवं लीवर से चाभी "पी-1" को निकाल कर विन्च में लगे 'ई' प्रकार के लाक में लगाकर घुमायेगा तथा विन्च को तबतक संचालित करेगा जबतक कि लिफ्टिंग बैरियरों के बूम ऊपर उठकर लगभग उर्ध्वाधर न हो जाये।

टिप्पणी:- समपार पर सड़क यातायात को अनावश्यक विलम्ब से बचाने के लिये एवं गाड़ियों को निर्बाध पास करने के लिये यहाँ एक हूटर की व्यवस्था है। समपार पर गोण्डा जं० की तरफ 2.10 कि०मी० दूर रेलपथ पर ट्रैक सर्किट की व्यवस्था ऐसी है कि अप गाड़ी के ट्रैक सर्किट पर आते ही हूटर बजने लगता है तथा डाउन गाड़ी के लिये गंगाधाम स्टेशन का डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल के ए११-टी ट्रैक सर्किट को हिट करते ही हूटर बजने लगता है।

क्रमशः पृष्ठ 4 पर

(ii) स्लाइडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति :-

(अ) समपार बन्द करने हेतु:-

1. जब समपार फाटक को लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार को स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा।
2. स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पूर्व स्टेशन मास्टर/गेटमैन के बीच अलग से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
3. स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ क्रमशः चाभी बी१-बी२ वेल्ड है। 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी बी१-बी२ को लगाकर घुमाने से स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो जायेंगे तथा क्रमशः चाभी के१ एवं के२ रिलीज हो जायेगी। स्लाइडिंग बूमों को पूरी तरह से सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के उपरान्त 2वें लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी के१ एवं के२ को गेटलाज में लगे 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी 'के' रिलीज होगी तथा इस चाभी 'के' को गेट लाज में लगे केएलसीआर में लगाकर घुमा देगा जिससे गेट पैनल पर प्रदत्त सिगनल स्विच मुक्त हो जायेंगे। तत्पश्चात जैसी आवश्यकता हो, स्विच सं० (2) को 'आर' अथवा स्विच सं० (1) को 'आर' को दशा में घुमा कर अप या डाउन गेट सिगनल को 'आफ' करेगा।

(ब) समपार खोलने हेतु :-

गाड़ी के पूरी गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात हेतु खोलने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल करेगा तथा केएलसीआर से चाभी 'के' को घुमाकर निकाल लेगा। चाभी 'के' को गेटलाज में लगे 3वे लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी के१ एवं के२ मुक्त होगी इन चाभियों को सम्बन्धित 2वे लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी बी१ एवं बी२ रिलीज होने पर कार्यरत गेटमैन समपार को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

(ख)

गेटमैन को सूचना :-

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर डाउन गाड़ियों को लाइन क्लियर देने से पहले तथा अप गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार देने से पहले समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करके लाक करने के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन को निम्न सूचनाएं देगा एवं स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

तिथि	गाड़ी संख्या व विवरण	समपार को बन्द करने हेतु सूचना देने का समय	गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय	कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बंद करके सिगनल आफ करने का समय	स्लाइडिंग बूम से कार्य करते समय प्रा. नं० का आदान प्रदान	गेटमैन का प्रा.नं.	स्टे०मा० का प्रा.नं.	समपार से गाड़ी के सम्पूर्ण पास होने का समय	स्टेशन मास्टर / गेटमैन का हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

गेट विफल होने की स्थिति में :-

इण्टरलाकड गेट विफल होने की स्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन/ प्रस्थान की कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

कमशः पृष्ठ 5 पर

तिथि	गाड़ी का नम्बर एवं विवरण	गेट से पास होने का सम्भावित समय	सूचना मिलने / देने का समय	स्टे.मा. द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा समपार के बन्द व लाक होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गाड़ी पास होने का समय	स्टेशन मास्टर/ गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (ii) गेटमैन का यह दायित्व है कि कार्यरत स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने पर अत्यन्त सतर्क हो जायेगा और हूटर बजते ही वह समय से समपार फाटक बन्द करें जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो तथा सड़क यातायात अधिक समय तक विलम्बित न हो।

(ग) टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्न कार्यवाही करेगा :-

- समपार का टेलीफोन जो गाड़ी भेजने वाले स्टेशन से सम्बद्ध है, के खराब हो जाने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को **सतर्कता आदेश** जारी करेगा।
- स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सूचित करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- यदि गेट सिगनल 'आन' स्थिति में है, तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त गाड़ी को भेजेगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन को भी गैंगमैन/ पेट्रोलमैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने के सूचना देगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।
- सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(घ) लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता :-

- जब लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।

- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर पलैंग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा। तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।

कमशः पृष्ठ 6 पर

- (iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को लिफ्टिंग/ स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ड.) 'गेट की चाभी' का गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब 'गेट की चाभी' खोलने के लिये न निकाली जा सके :-

- (i) यदि गेट की चाभी विन्च, गेट सिगनल लीवर, बूम लाकिंग लीवर से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के कार्यप्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (v) स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, गेट सिगनल लीवर, बूम लाकिंग लीवर की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vi) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(च) 'गेट चाभी' का गेट की खुली दशा में विफल हो जाना :-

- (i) यदि गेट की खुली दशा में विन्च या बूम लाकिंग लीवर से गेट चाभी निकाली जा सके तो गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक मानकर गाड़ियों का आगमन व प्रस्थान नान-इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशानुसार करेगा।
- (iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा उसके बाद वह गाड़ी को हाथ संकेत पर पास करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गाड़ियों को ब्लाक खण्ड में प्रवेश कराने के पूर्व 'गेट खुली दशा में खराब है' के लिये सतर्कता आदेश जारी करने हेतु सूचित करेगा।

कमशः पृष्ठ 7 पर

- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च व लीवर की मरम्मत करते हैं, को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(छ) गेट सिगनल की विफलता :-

- (i) कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को निम्नलिखित परिस्थितियों में खराब मानेगा तथा गेट सिगनल को 'आफ' नहीं करेगा :-
 - (अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट को बन्द किये हुये 'आफ' किया जा सके या
 - (ब) यदि गेट की चाभी के 0एल0सी0आर0 'से न निकाली जा सके।
- (ii) यदि गेट सिगनल/गेट डिस्टेन्ट सिगनल 'आफ' की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन को इसे 'आन' स्थिति में लाने का प्रयास किया जायेगा।
- (iii) कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल के विफल हो जाने के बारे में अविलम्ब कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा।
- (iv) इसके पश्चात् गेट को नान-इण्टरलाक मानकर नान-इण्टरलाक गेटो के लिये निर्धारित पद्धति के अनुसार आगमन/प्रस्थान किया जायेगा।
- (v) कार्यरत गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी एवं रात्रि में हरी बत्ती गेट को बन्द व लाक करने के बाद गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को ब्लाक खण्ड में किसी गाड़ी को भेजने के पूर्व प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सतर्कता आदेश जारी करने हेतु सूचित करेगा।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार के कर्मचारियों को जो गेट सिगनल के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी हैं, यथाशीघ्र ठीक करने के लिये सूचित करेगा।
- (ix) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी विफल गेट सिगनलों को ठीक करने के बाद संयोजन मेमो दे दे।

(ज) समपार फाटक पर अवरोध :-

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में कर देगा।
- (ii) समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्ट पर दिन में लाल बैनर पलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (iii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (v) गेटमैन पटाखा, दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है। तत्पश्चात् गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।

कमशः पृष्ठ 8 पर

- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर स्टे०मा० को सूचित करेगा। स्टे०मा० तब तक गाड़ी नहीं चलायेगा जबतक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तबतक न भेजे जबतक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जाये।

- (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (x) तब कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।
- (xi) गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।
- (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

(झ) **समपार फाटक के समीप रेलपथ पर अवरोध :-**

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ पर पेड़ गिरने से अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई गाड़ी का अवपथन जो गेटमैन को दिखाई देता हो तो गेटमैन तथा स्टेशन मास्टर समपार फाटक पर अवरोध में वर्णित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जबतक कि रेलपथ से बाधा हटा नहीं दिया जाये।

1.5 **गेटमैन के कर्तव्य :-**

(1) **सावधानी :-**

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) **ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-**

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्न स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेटमैन दौंये हाथ में लाल झण्डी तथा बाँये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेटमैन गले में धागे में बाँधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) **गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-**

- (i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।

कमशः पृष्ठ 9 पर

- (ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
- (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।
- (iv) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सिल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेपटी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (v) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।
- (vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चेन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
- (vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

- (viii) गेट सिगनल लीवर चाभी खराब हो जाने की दशा में गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की दशा में रखेगा।
- (ix) समपार फाटक के गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमैन ट्रेन देखकर बैरियर को बन्द कर ताला लगा देगा और हाथ सिगनल देगा या ट्रेन को खराब सिगनल तक पायलट करेगा। ऐसी स्थिति में वह गाड़ी के चालक द्वारा खराबी की सूचना अगले स्टेशन पर भेजेगा।
- (x) जब गेटमैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं "बैज" धारण करेगा।
- (xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।
- (xii) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xiii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xiv) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।
- (xv) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/ पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनों तरफ लगाये गये "हाइट लोडिंग गेज" के नीचे से गुजरे।
- (xvi) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।
- (xvii) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
- (xviii) जहाँ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

कमशः पृष्ठ 10 पर

(4). ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा :-

- (i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेंगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन "रोक हैण्ड सिगनल" (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ इसकी सूचना देगा।

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फलैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा तथा गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में रखेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-

(अ) इकहरी लाइन पर :-

- (i) गेटमैन दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिधर से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात् उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात् वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

कमशः पृष्ठ 11 पर

इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेटमैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे - वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम तथा स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।
- (iii) गेट को रिलीज करने के लिए 60 सेकेण्ड का टाइमर का प्रावधान किया गया है, अतः सिगनल स्विच नार्मल करने के 60 सेकेण्ड के उपरान्त ही गेट को खोला जा सकेगा। इसके खराब होने पर कार्यरत गेटमैन, स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(7) 25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:-

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
- (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।
- (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधों पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।
- (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचे अथवा दौड़ाये।
- (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुयें जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।
- (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
- (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:-
1. गेट को तुरन्त बंद करें।

2. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे—
 (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
 (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिंगारियों का निकलना।
 (ग) इंजन के पेंटो में खराबी।
 (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
 (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
 (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।
 3. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में टूटी तारों एवं बांड को न छुयें।
 4. ओ.एच.ई. के तार टूटने की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार बैनर—फ्लैग एवं पटाखें लगायें।
 5. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनों लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनों तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
- (viii) हाइट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध रहें।
 - (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
 - (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
 - (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तो तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
 - (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध रहें।
 - (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
 - (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुयें तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

.....

परिशिष्ट 'ए'

भाग — 3

गोण्डा जं० तथा गोण्डा कचहरी स्टेशनो के मध्य स्थित "विशेष" श्रेणी के इन्जी० समपार फाटक सं० 262 के संचालन हेतु अनुदेश

टिप्पणी:- इन अनुदेशों को पढ़ते समय गोण्डा जं० स्टेशन का नियम आरेख सं० उपमुसिदूई/नि०/ ल०जं०/2021 (आर०डी०)/20 दि. 07.10.21 मय संशोधन 'ए' दि. 19.11.21 देखें।

1. विवरण
 1.3 सामान्य :-

1	समपार फाटक सं०	262 "विशेष"
2	इंजीनियरिंग/यातायात फाटक	इंजीनियरिंग
3	किसके अधीन स्टेशन अधी०/रेलपथ निरीक्षक	सी०से०इन्जी०/पी०वे०/गोण्डा
4	किलोमीटर पर स्थित	659/5-6
5	स्टेशन पर	गोण्डा जं०
6	स्टेशनों के मध्य	गोण्डा जं०-गोण्डा कचहरी
7	बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन	दोहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिये खुला
10	इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	सिगनलो से अन्तर्पाशित
12	गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०	है
	अप दिशा- गेट सिगनल	659/4-5
	डाउन दिशा- गेट सिगनल	659/6-7
13	संकेतन व्यवस्था	कलर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि	टेलीफोन
15	समपार फाटक की चौड़ाई	9.00 मीटर
16	सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	एस०एच०-30
17	सड़क का नाम	गोण्डा - बहराइच
18	पक्का/कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	उपलब्ध
20	सड़क की चौड़ाई	7.50 मीटर
21	सड़क की क्रॉसिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये)	-
	पूर्व/उत्तर की तरफ	90°
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	90°
22	सड़क की ढाल यदि कोई हो	-
	पूर्व/उत्तर की तरफ	समतल
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	समतल
23	सड़क की सीधायी (सीधा/गोलाई)	सीधी
	पूर्व/उत्तर की तरफ	सीधी
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	सीधी
24	हाईट गेज का प्रावधान	है
25	बैरियर का प्रकार	इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर
26	चेक रेलो की लम्बाई	11.00 मीटर

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

27	समपार के मध्य सड़क की सतह	पक्का
28	रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई	7.50 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी०वी०यू०	632840 नवम्बर 2020
32	अगली गणना की तिथि	नवम्बर/2023
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	उपलब्ध
34	गेटमैनों की संख्या	तीन
35	निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र	गोण्डा
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो।	गोण्डा
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हों / नही	उपलब्ध है

1.2 उपकरण :-

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1	ट्राई कलर टार्च / फ्लैशिंग टेल लैम्प	03
2	हरी हाथ झण्डी	01 (डण्डे में लगा हुआ)
3	लाल हाथ झण्डी	03 (डण्डे में लगा हुआ)
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ
7	पटाखा सिग्नल	10
8	टामी बार	01
9	मोर्टार पैन (तसला)	01
10	फावड़ा / बेल्टा	01
11	दुरमुट	01 (पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
12	पिक एक्स :	01 (पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
13	टिन केस झण्डी के लिये	01
14	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
15	बाल्टी / पानी पीने का बर्तन :	01
16	टिन केस मस्टर शीट के लिये :	01
17	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
18	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम :	01
19	टोकरी	01
20	सीटी	01
21	दीवार घड़ी	01
22	छोटी चेन ताला चाभीयुक्त	02

कमश : पृष्ठ 3 पर

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

12. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
13. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
14. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
15. ड्यूटी रोस्टर।
16. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
17. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जाँच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
18. दुर्घटना रजिस्टर।
19. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
20. निरीक्षण एवं आश्वासन पुस्तिका।
21. जन परिवाद पुस्तिका।
22. संकेत एवं दूर संचार पंन्जिका

1.4. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-**(क) संचालन पद्धति :-**

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये एक जोड़ा इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर, की व्यवस्था है। समपार फाटक पर प्रवेश रोकने वाला बैरियर तथा निकासी रोकने वाला बैरियर { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } है।

पुश बटन या हैण्ड जनरेटर से इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिये गेट लाज में एक आपरेटिंग पैनल की व्यवस्था है। पैनल पर गेट से सम्बन्धित बूम को बन्द करने के लिए क्लोज

बटन एवं खोलने के लिए ओपेन बटन का प्रावधान है। पैनल से सम्बन्धित दोनों बूम के बन्द एवं लाक सुनिश्चित करने के लिये आपरेटिंग पैनल पर दो [बैरियर सं० बी-1 तथा बी-2] कुल दो लाल रंग का बूम लाक प्रूविंग इन्डीकेशन है। इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियरों को पुश बटन, हैण्ड जनरेटर या मैकेनिकल रूप से संचालित किया जा सकता है।

पुशबटन एवं हैण्ड जनरेटर से संचालन विफल होने की दशा में मैकेनिकल संचालन के समय बारी-बारी से प्रत्येक बैरियर को चलाने के लिये एक क्रेन्क हैण्डल की व्यवस्था है।

(ए) पुश बटन द्वारा समपार का संचालन:

(क) समपार फाटक को बंद करना :

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के बैरियर-1 एवं बैरियर-2 के स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (iii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को आटो स्थिति में रखें।
- (iv) आपरेटिंग पैनल द्वारा क्लोज बटन दबाकर दोनों बूम को [बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2] बन्द करें। क्लोज बटन दबाते ही एक हूटर बजने लगेगा और बूम आपरेट होगा। बूम के बन्द होने एवं स्वतः लाक होने के पश्चात, बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन आपरेटिंग पैनल पर मिलने पर बटन छोड़े।
- (v) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं० '2' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० 2 को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन दिशा में मूवमेन्ट हेतु सिगनल स्विच सं० 1 को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं।

कमश : पृष्ठ 4 पर

(ख) खोलने हेतु :

- (i) समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन अप गेट सिगनल सं० '2' को "आन" करने के लिये सिगनल स्विच सं० 2 को 'नार्मल' पोजीशन में घुमायेगा तथा डाउन गेट सिगनल सं० '1' को "आन" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '1' को 'नार्मल' पोजीशन में घुमायेगा। सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने पर गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा।
- (ii) आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री सफेद इण्डिकेशन प्राप्त होने के बाद दोनों बूम को खोलने के लिए आपरेटिंग पैनल पर उपलब्ध ओपेन बटन को तब तक दबाए जब तक कि पैनल पर बूम का ओपेन इण्डिकेशन न मिल जाए।

(बी) पुश बटन विफलता की स्थिति में हैण्ड जनरेटर से समपार का परिचालन:

(क) बन्द करने हेतु :-

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल को मैनुअल स्थिति में रखें।
- (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के क्रेन्क को क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि दोनों बूम [बी1 व बी2] आपरेट होकर बन्द एवं स्वतः लाक न हो जायें तथा आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इण्डिकेशन आपरेटिंग पैनल पर न मिल जाये।
- (iv) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं० '2' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '2' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन गेट सिगनल सं० '1' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '1' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) खोलने हेतु

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन अप गेट सिगनल सं० '2' को "आन" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '2' को 'नार्मल'

पोजीशन में घुमायेगा तथा डाउन गेट सिगनल सं० '1' को "आन" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '1' को 'नार्मल' पोजीशन में घुमायेगा। सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने पर गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा।

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को मैनुअल दशा में रखें।
- (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के कैंक को एण्टी क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि बूम पूरा न खुल जायें। गेट पूरा खुल जाने पर आपरेटिंग पैनल पर गेट ओपन इण्डिकेशन मिल जायेगा।

(सी) **पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर की विफलता के समय :-**

(क) **समपार का बन्द करने हेतु परिचालन:**

- (i) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की विफल होने की दशा में 'सीएचजी-1' कैंक हैण्डिल का प्रयोग किया जायेगा जो सामान्यतया 'केएलसीआर' में लाकड रहता है।

क्रमशः पृष्ठ 5 पर

'सीएचजी-1' नियंत्रण स्विच को रिलीज स्थिति में करने पर केएलसीआर पर रिलीज (लाल प्रकाश) जलने लगता है। तब कार्यरत गेटमैन लाल इंडिकेशन के पास लगे पुश बटन को दबाकर 'सीएचजी-1' कैंक हैण्डिल को निकालेगा।

- (ii) गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और कैंक हैण्डिल लगाने के लिए ढक्कन को खोलेगा जिससे कैंक हैण्डिल लगाने के लिए "नॉच" दिखाई पड़ेगी। जिससे कैंक हैण्डिल को लगाकर क्लाक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों के लिए की जायेगी। बैरियर को कैंक हैण्डिल से बन्द करने के पश्चात् बूम लाक कवर के साइड में बने लाक को पैनल चाभी द्वारा खोलेगा जिससे बूम लाक कवर के साइड में "नॉच" दिखाई पड़ता है। "नाच" में बूम लाक कैंक हैण्डिल लगाकर बैरियर को लाक करेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों को बन्द करने के पश्चात् दोनों बूम लाक पर की जायेगी। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी 'सीएचजी-1' को वापस केएलसीआर में लगा देगा और 'सीएचजी-1' स्विच को लाक स्थिति में कर देगा और सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को देगा।
- (iii) दोनों बैरियरों के बन्द होने के पश्चात् अप गेट सिगनल सं० '2' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '2' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन गेट सिगनल सं० '1' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '1' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) **समपार को खोलने हेतु परिचालन:**

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन सम्बन्धित सिगनल स्विचों को 'नार्मल' पोजीशन में घुमायेगा। सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने पर गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा। सर्वप्रथम बूम लाक को रिलीज किया जायेगा। तत्पश्चात् कैंक हैण्डिल द्वारा बैरियर को खोला जायेगा।

(डी) **स्लाइडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति :-**

(अ) **समपार बन्द करने हेतु:-**

4. जब समपार फाटक को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार को स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा।
5. स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पहले कार्यरत स्टेशन मास्टर/गेटमैन के बीच अलग से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
6. स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ क्रमशः चाभी बी1-बी2 वेल्ड है। 2वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी बी1-बी2 को लगाकर घुमाने से स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो जायेंगे तथा क्रमशः चाभी के1 एवं के2 रिलीज हो जायेगी।

कमश : पृष्ठ 6 पर

स्लाइडिंग बूमों को पूरी तरह से सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के उपरान्त 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी **के1** एवं **के2** को गेटलाज में लगे 3वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी **'एन'** रिलीज होगी तथा कार्यरत गेटमैन इस चाभी को गेटलाज में लगे के0एल0सी0आर0 में लगाकर घुमायेगा, जिससे गेटमैन के आपरेटिंग पैनल पर स्लाइडिंग बूम बैरियर के बन्द होने के बाद लाक होने का इन्डीकेशन प्राप्त हो जायेगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो गये हैं इसके पश्चात् अप गेट सिगनल सं० '2' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '2' को 'आर' पोजीशन में घुमायेगा तथा डाउन गेट सिगनल सं० '1' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '1' को 'आर' पोजीशन में घुमायेगा।

(ब) समपार खोलने हेतु :-

गाड़ी के पूरी गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात हेतु खोलने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल करेगा इसके उपरान्त गेटमैन चाभी **'एन'** के.एल.सी.आर. से निकालकर 3वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगायेगा। चाभी **'एन'** 3वें लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी **के1** एवं **के2** मुक्त होगी। 3वें लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी **के1** एवं **के2** को 2वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी **बी1** एवं **बी2** को रिलीज करेगा इसके उपरान्त कार्यरत गेटमैन इस चाभी की सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समपार को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

(ख) गेटमैन को सूचना :-

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर **डाउन** गाड़ियों को लाइन क्लियर देने से पहले तथा **अप** गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार देने से पहले टेलीफोन द्वारा कार्यरत गेटमैन को समपार को बन्द व लॉक करने हेतु निम्न सूचनाएं देगा एवं स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे :-

सामान्य स्थिति में :-

तिथि	गाड़ी संख्या व विवरण	समपार को बन्द करने हेतु सूचना का समय	गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय	कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बंद कर सिगनल आफ करने का समय	स्लाइडिंग बूम से कार्य करते समय प्रा.नं० का आदान प्रदान	गेटमैन का प्रा.नं.	स्टेमा का प्रा.नं.	समपार से सम्पूर्ण गाड़ी पास होने का समय	स्टे.मा./गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

गेट विफल होने की स्थिति में :-

इण्टरलाक गेट विफल होने की स्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान की कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर को भरेंगे:-

तिथि	गाड़ी का नम्बर एवं विवरण	गेट से पास होने का सम्भावित समय	सूचना मिलने/देने का समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा समपार के बन्द व लाक होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गाड़ी पास होने का समय	स्टेशन मास्टर/गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (ii) गेटमैन का यह दायित्व है कि कार्यरत स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने पर अत्यन्त सतर्क हो जायेगा और चेतावनी घण्टी बजते ही वह समय से समपार फाटक बन्द करें जिससे गाड़ियों का विलम्ब न हो तथा सड़क यातायात अधिक समय तक विलम्बित न हो।

(ग) टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो स्टेशन मास्टर निम्न कार्यवाही करेगा :-

- (i) समपार का टेलीफोन जो गाड़ी भेजने वाले स्टेशन से सम्बद्ध है, के खराब हो जाने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

कमश : पृष्ठ 7 पर

- (ii) स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सूचित करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (iii) यदि गेट सिगनल 'आन' स्थिति में है, तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- (iv) आने वाली गाड़ी के केस में स्टेशन मास्टर भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- (v) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त गाड़ी को भेजेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन को भी गैंगमैन/पेट्रोलमैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने के सूचना देगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(घ) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता :-

- (i) जब इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।
- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा। तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।
- (iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर/स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ड) 'गेट की चाभी' का गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब 'गेट की चाभी' खोलने के लिये न निकाली जा सके :-

- (i) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर दोनों की विफलता की स्थिति में यदि गेट की चाभी के 0एल0सी0आर0 से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

कमश: पृष्ठ 8 पर

- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो के०एल०सी०आर० की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vi) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(च) ‘गेट चाभी’ का गेट के खुली दशा में विफल हो जाना :-

- (i) गेट की चाभी’ का गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना जब ‘गेट की चाभी ’ बन्द करने के लिये न निकाली जा सके। इस परिस्थिति में कार्यरत गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक मानकर गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान की प्रक्रिया नान-इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशों के अनुसार करेगा।
- (iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा उसके बाद वह गाड़ी को हाथ संकेत पर पास करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गाड़ियों को ब्लाक खण्ड में प्रवेश कराने के पूर्व **‘गेट खुली दशा में खराब है’** के लिये सतर्कता आदेश जारी करने के लिये सूचित करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, गेट सिगनल लीवर की मरम्मत करते हैं, को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(छ) गेट सिगनल की विफलता :-

- (i) कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को निम्नलिखित परिस्थितियों में खराब मानेगा तथा गेट सिगनल को ‘आफ’ नहीं करेगा :-
 - (अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट को बन्द किये हुये ‘आफ’ किया जा सके या
 - (ब) यदि गेट की चाभी के०एल०सी०आर० ‘से न निकाली जा सके
- (ii) यदि गेट सिगनल ‘आफ’ की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन को इसे ‘आन’ स्थिति में लाने का प्रयास किया जायेगा।
- (iii) गेटमैन गेट सिगनल के विफल हो जाने के बारे में अविलम्ब कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा।

कमश : पृष्ठ 9 पर

- (iv) इसके पश्चात् गेट को नान-इण्टरलाक मानकर नान-इण्टरलाक गेटो के लिये निर्धारित पद्धति के अनुसार आगमन/प्रस्थान किया जायेगा।
- (v) कार्यरत गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी एवं रात्रि में हरी बत्ती गेट को बन्द व लाक करने के बाद गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को ब्लाक खण्ड में किसी गाड़ी को भेजने के पूर्व प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सतर्कता आदेश जारी करने हेतु सूचित करेगा।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार के कर्मचारियों को जो गेट सिगनल के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी हैं, यथाशीघ्र ठीक करने के लिये सूचित करेगा।
- (ix) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी विफल गेट सिगनलों को ठीक करने के बाद संयोजन मेमो दे दे।

(ज) समपार फाटक पर अवरोध :-

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में कर देगा।
- (ii) समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्ट पर दिन में लाल बैनर पलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (iii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (v) गेटमैन पटाखा, दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है। तत्पश्चात् गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।
- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक गाड़ी नहीं चलायेगा जबतक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जब तक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जायें।
- (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।

कमशः पृष्ठ 10 पर

- (x) तब कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।
- (xi) गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई बाधा नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।
- (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उस समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

(झ) समपार फाटक के समीप रेलपथ पर अवरोध :-

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ पर पेड़ गिरने से अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई गाड़ी का अवपथन जो गेटमैन को दिखाई देता हो तो गेटमैन तथा स्टेशन मास्टर समपार फाटक पर अवरोध में वर्णित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जबतक कि रेलपथ से बाधा हटा नहीं दिया जाये।

1.5 गेटमैन के कर्तव्य :-

(1) सावधानी :-

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्न स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।

- (ii) दिन में गेटमैन दौड़े हाथ में लाल झण्डी तथा बाँये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
 - (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
 - (iv) गेटमैन गले में धागे में बाँधकर सीटी लटकाये रहेगा।
- (3) **गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-**
- (i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।
 - (ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
 - (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।

कमशः पृष्ठ 11 पर

- (iv) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सिल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेपटी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
 - (v) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।
 - (vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चेन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
 - (vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
 - (viii) गेट सिगनल स्विच खराब हो जाने की दशा में गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की दशा में रखेगा।
 - (ix) समपार फाटक के गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमैन ट्रेन देखकर बैरियर को बन्द कर हाथ सिगनल देगा या ट्रेन को खराब सिगनल तक पायलट करेगा। ऐसी स्थिति में वह गाड़ी के चालक द्वारा खराबी की सूचना अगले स्टेशन पर भेजेगा।
 - (x) जब गेटमैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं "बैज" धारण करेगा।
 - (xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।
 - (xii) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
 - (xiii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
 - (xiv) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।
 - (xv) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनों तरफ लगाये गये "हाइट लोडिंग गेज" के नीचे से गुजरे।
 - (xvi) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।
 - (xvii) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
 - (xviii) जहाँ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।
- (4). **ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-**
यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा :-
- (i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।

- (ii) साथ ही साथ झाइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

कमशः पृष्ठ 12 पर

- (iii) यदि झाइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तो तदानुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन "रोक हैण्ड सिगनल" (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह झाइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ इसकी सूचना देगा।
- (5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-**
- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा तथा गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में रखेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) **गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-**

(अ) **दोहरी लाइन पर :-**

- (i) यदि दोनों लाइनें अवरुद्ध हैं तो गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूरी पर निर्धारित स्थान पर लगायेगा। गेटमैन पहले उस लाइन को संरक्षित करेगा, जिस पर पहले ट्रेन आने की सम्भावना हो।
- (ii) तदुपरान्त उसी तरह गेटमैन दूसरी लाइन पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती अवरोध के 5 मीटर दूर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखा, दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात् वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के झाइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।

कमशः पृष्ठ 13 पर

- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त आने वाली ट्रेन को गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे – वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।
- (iii) संरक्षा बढ़ाने हेतु इस गेट पर 60 सेकेण्ड का डेड एप्रोच लाकिंग का प्रावधान किया गया है। अतः गाड़ी पास होने के बाद या किसी आपात स्थिति में बन्द गेट को खोलने हेतु सिगनल स्वीच नार्मल करने के 60 सेकेण्ड के उपरान्त ही गेट को खोला जा सकेगा। इसके खराब होने पर कार्यरत गेटमैन स्टे.मा. अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

1.6 25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:-

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
- (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।
- (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधे पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।
- (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचे अथवा दौड़ाये।
- (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुएँ जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।
- (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
- (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:-
 3. गेट को तुरन्त बंद करें।
 4. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे-
 - (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
 - (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।
 - (ग) इंजन के पेंटो में खराबी।
 - (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
 - (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
 - (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।

कमशः पृष्ठ 14 पर

6. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में टूटी तारों एवं बांड को न छुएँ।
7. ओ.एच.ई. के तार टूटने की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, नियमानुसार बैनर-फ्लैग एवं पटाखें लगायें।
8. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनों लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनों तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
- (viii) हाईट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
- (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तों तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।

- (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
- (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुएँ तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

परिशिष्ट 'ए'

भाग — 4

गोण्डा जं० स्टेशन पर स्थित 'बी' श्रेणी का ट्राफिक समपार फाटक सं० 1ए के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण

1.4 सामान्य :-

1	समपार फाटक सं०	1ए "बी"
2	इंजीनियरिंग/यातायात फाटक	यातायात
3	किसके अधीन स्टेशन अधी०/रेलपथ निरीक्षक	स्टेशन अधीक्षक/गोण्डा जं०
4	किलोमीटर पर स्थित	01/0-1
5	स्टेशन पर	गोण्डा जं०
6	स्टेशनों के मध्य	गोण्डा जं० यार्ड
7	बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिये खुला
10	इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	स्टेशन के सिगनलो से अन्तर्पाशित है
12	गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०	—
	अप दिशा—	—
	डाउन दिशा—	—
13	संकेतन व्यवस्था	कलर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि	मैगनेटो टेलीफोन
15	समपार फाटक की चौड़ाई	7.50 मीटर
16	सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	डीजल शेड रोड
18	पक्का/कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	उपलब्ध
20	सड़क की चौड़ाई	7.50 मीटर
21	सड़क की क्रॉसिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये)	90°
	पूर्व/उत्तर की तरफ	—
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	—
22	सड़क की ढाल यदि कोई हो	—
	पूर्व/उत्तर की तरफ	—
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	—
23	सड़क की सीधाई (सीधा/गोलाई)	सीधी
	पूर्व/उत्तर की तरफ	कोई नहीं
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	कोई नहीं
24	हाईट गेज का प्रावधान	है
25	बैरियर का प्रकार	इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर
26	चेक रेलो की लम्बाई	9.50 मीटर

कमश : पृष्ठ 2 पर

27	समपार के मध्य सड़क की सतह	पक्का
28	रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई	12.50 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	3501 जनवरी 2020
32	अगली गणना की तिथि	जनवरी/2023
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	उपलब्ध
34	गेटमैनों की संख्या	2
35	निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र	गोण्डा
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो।	गोण्डा
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हों / नहीं	उपलब्ध है

1.5 उपकरण :-

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1	ट्राई कलर टार्च/फलैशिंग टेल लैम्प	03
2	हरी हाथ झण्डी	01 (डण्डे में लगा हुआ)
3	लाल हाथ झण्डी	03 (डण्डे में लगा हुआ)
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन(जंजीर)	02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ
7	पटाखा सिगनल	10
8	टामी बार	01
9	मोर्टार पेन (तसला)	01
10	फावड़ा/बेल्वा	01
11	दुरमुट	01(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
12	पिक एक्स	01(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
13	टिन केस झण्डी के लिये	01
14	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
15	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
16	टिन केस मस्टर शीट के लिये	01
17	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
18	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
19	टोकरी	01
20	सीटी	01
21	दीवार घड़ी	01
22	छोटी चेन ताला चाभीयुक्त	02

कमश : पृष्ठ 3 पर

1.6

गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

23. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
24. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
25. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
26. ड्यूटी रोस्टर।
27. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
28. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जाँच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
29. दुर्घटना रजिस्टर।
30. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
31. निरीक्षण पुस्तिका।
32. जन परिवाद पुस्तिका।

1.7

समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-**(क) संचालन पद्धति :-**

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये एक जोड़ा इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर, की व्यवस्था है। समपार फाटक पर प्रवेश रोकने वाला तथा निकासी रोकने वाला बैरियर { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } है।

पुश बटन या हैण्ड जनरेटर से **इलेक्ट्रिक** लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिये गेट लाज में एक आपरेटिंग पैनल की व्यवस्था है। पैनल पर गेट से सम्बन्धित बूम को बन्द करने के लिए क्लोज बटन एवं खोलने के लिए ओपन बटन का प्रावधान है। पैनल से सम्बन्धित दोनों बूम के बन्द एवं लाक सुनिश्चित करने के लिये आपरेटिंग पैनल पर दो { बैरियर सं० बी-1 बी-2 } कुल दो लाल रंग का **बूम लाक प्रूविंग इन्डीकेशन** है। **इलेक्ट्रिक** लिफ्टिंग बैरियरों को पुश बटन, हैण्ड जनरेटर या मैकेनिकल रूप से संचालित किया जा सकता है। पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर से संचालन विफल होने की दशा में मैकेनिकल संचालन के समय बारी-बारी से प्रत्येक बैरियर को चलाने के लिये एक क्रैन्क हैण्डल की व्यवस्था है।

(अ) पुश बटन द्वारा समपार का संचालन:**(क) समपार फाटक को बंद करना :**

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के बैरियर-1 एवं बैरियर-2 के स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (iii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को आटो स्थिति में रखें।
- (iv) आपरेटिंग पैनल द्वारा क्लोज बटन दबाकर बूम को {बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2} बन्द करें। क्लोज बटन दबाते ही एक हूटर बजने लगेगा और इन सम्बन्धित बूम आपरेट होगा। बूम के बन्द होने एवं स्वतः लाक होने के पश्चात, बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन आपरेटिंग पैनल पर मिलने पर बटन छोड़े।
- (v) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन मिल जायेगा। गेटमैन गेट के बन्द व लाक होना सुनिश्चित होने के बाद गेट लाज में प्रदत्त गेट कंट्रोल स्विच रिवर्स स्थिति में करेगा व नियंत्रण बटन दबायेगा। इसके उपरान्त स्टेशन के स्टे.मा. पैनल पर भी गेट "बन्द" इन्डीकेशन मिल जायेगा।
- (vi) समपार फाटक को बंद होने का संकेत मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण बटन "551" एवं **जीएसआरबी** बटन को दबाकर समपार को लाक स्थिति में कर देगा।
तत्पश्चात गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल "आफ" करेगा। सिगनल "आफ" करने पर गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर से लाक फ्री का **सफेद** इन्डीकेशन बुझ जायेगा।

कमश : पृष्ठ 4 पर**(ख) खोलने हेतु :**

- (i) समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया: गुजर जाने के उपरान्त गेटमैन गेट लाज में प्रदत्त गेट कंट्रोल स्विच नार्मल स्थिति में करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर, समपार नियंत्रण बटन "551" को **जीएसबी** बटन के साथ दबाकर रिलीज करेगा। जिससे गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का **सफेद** इन्डीकेशन मिल जायेगा।

- (ii) स्टेशन से लाक फ्री सफेद इण्डीकेशन प्राप्त होने के बाद बूम को खोलने के लिए आपरेटिंग पैनल पर उपलब्ध ओपेन बटन को तब तक दबाए जब तक कि पैनल पर बूम का ओपेन इण्डीकेशन न मिल जाए।
- (ब) पुश बटन विफलता की स्थिति में हैण्ड जनरेटर से समपार का परिचालन:
- (क) बन्द करने हेतु :-
- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
 - (ii) पैनल के आटो/मैनुअल को मैनुअल स्थिति में रखें।
 - (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के कैंक को क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि बूम {बी1 व बी2} आपरेट होकर बन्द एवं स्वतः लाक न हो जायें तथा आपरेटिंग पैनल पर दोनो बूम लाक प्रूविंग का लाल इण्डीकेशन आपरेटिंग पैनल पर न मिल जाये। गेटमैन गेट के बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित होने के बाद गेट लाज में प्रदत्त गेट कन्ट्रोल स्विच रिवर्स स्थिति में करेगा एवं नियन्त्रण बटन दबायेगा। समपार फाटक के बंद होने का संकेत मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण बटन "551" को जीएसआरबी बटन के साथ दबाकर लाक कर देगा। तत्पश्चात गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल "आफ" करेगा। सिगनल "आफ" करने पर गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर से लाक फ्री सफेद इण्डीकेशन बुझ जायेगा।
- (ख) खोलने हेतु
- समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त गेटमैन गेट लाज में प्रदत्त गेट कन्ट्रोल स्विच को नार्मल स्थिति में करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर, समपार नियन्त्रण बटन "551" को जीएसबी बटन के साथ दबाकर रिलीज करेगा जिससे गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डीकेशन मिल जायेगा।
- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
 - (ii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को मैनुअल स्थिति में रखें।
 - (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के कैंक को एण्टी क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि बूम पूरा न खुल जायें। गेट पूरा खुल जाने पर आपरेटिंग पैनल पर गेट ओपेन इण्डीकेशन मिल जायेगा।
- (स) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर की विफलता के समय :-
- (क) समपार का बन्द करने हेतु परिचालन:
- कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियन्त्रण बटन(551) को रिलीज स्थिति में होने पर आपात कालीन नियंत्रण बटन "सी.एच.जी.-4" के साथ जीएसआरबी बटन को दबायेगा जिससे गेट लाज में लगे लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. पर लाक फ्री प्रतीक जल जायेगा। तब गेट मैन चाभी "क्यू" को लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. से निकाल लेगा। गेट बन्द करने की प्रक्रिया निम्न विधि से करेगा:-
- कमश : पृष्ठ 5 पर**
- (i) चाभी "क्यू" को गेट लाज में लगे 2वे लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी "सी.एच.जी.-4" मुक्त होगी।
 - (ii) गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और कैंक हैण्डिल लगाने के लिए ढक्कन को खोलेगा जिससे कैंक हैण्डिल लगाने के लिए "नाच" दिखाई पड़ेगी। जिससे कैंक हैण्डिल को लगाकर क्लाक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियों के लिए की

जायेगी। संचालन पूर्ण हो जाने पर चाभी 'सी.एच.जी.-4' को वापस लाक अप बाक्स में लगा देगा और चाभी 'क्यू' को लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. में लगाकर घुमा देगा। बैरियर को क्रेन्क हैण्डिल से बन्द करने के पश्चात् बूम लाक कवर के साइड में बने लाक को पैनल चाभी द्वारा खोलेगा जिससे बूम लाक कवर के साइड में 'नाच' दिखाई पड़ता है। 'नाच' में बूम लाक क्रेन्क हैण्डिल लगाकर बैरियर को लाक करेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों को बन्द करने के पश्चात् दोनों बूम लाक पर की जायेगी। गेटमैन गेट के बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित होने के बाद गेट लाज में प्रदत्त गेट कन्ट्रोल स्विच रिवर्स स्थिति में करेगा एवं नियन्त्रण बटन दबायेगा और सूचना स्टेशन मास्टर को देगा।

- (iii) समपार फाटक को बंद होने का संकेत मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियन्त्रण बटन "551" को जीएसआरबी बटन के साथ दबाकर लाक कर देगा। तत्पश्चात् गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल "आफ" करेगा। सिगनल "आफ" करने पर गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर से लाक फ्री सफेद इण्डिकेशन बुझ जायेगा।

(ख) समपार को खोलने हेतु परिचालन:

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त गेटमैन गेट लाज में प्रदत्त गेट कन्ट्रोल स्विच को नार्मल स्थिति में करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर, समपार नियन्त्रण बटन "551" को जीएसबी बटन के साथ दबाकर रिलीज करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियन्त्रण बटन (551) को रिलीज स्थिति में होने पर आपात कालीन नियन्त्रण बटन "सी.एच.जी.-4" के साथ जीएसबी बटन को दबायेगा जिससे गेट लाज में लगे लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. पर लाक फ्री प्रतीक जल जायेगा। तब गेट मैन चाभी "क्यू" को लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. से निकाल लेगा। गेट खोलने की प्रक्रिया निम्न विधि से करेगा:-

- (i) चाभी "क्यू" को गेट लाज में लगे 2वे लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी "सी.एच.जी.-4" मुक्त होगी।
- (ii) सर्वप्रथम बूम लाक को रिलीज किया जायेगा तत्पश्चात् क्रेन्क हैण्डिल द्वारा बैरियर को खोला जायेगा। गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और क्रेन्क हैण्डिल लगाने के लिए ढक्कन को खोलेगा जिससे क्रेन्क हैण्डिल लगाने के लिए "नाच" दिखाई पड़ेगी। जिससे क्रेन्क हैण्डिल को लगाकर एंटी क्लाक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों के लिए की जायेगी। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी "सी.एच.जी.-4" को वापस लाक अप बाक्स में लगा देगा और चाभी "क्यू" को लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. में लगाकर घुमा देगा और सूचना स्टेशन मास्टर को देगा।

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

- (द) गेट पर लगे लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. से "क्यू" चाभी न निकलने की दशा में संचालन:-

(क) समपार का बन्द करने हेतु परिचालन:

- (i) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर दोनों की विफलता की स्थिति में यदि गेट की चाभी लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को

प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

- (ii) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर एस.एम. पैनल कक्ष में लगे पार्किंग एच.के.टी. में लगी क्यूई चाभी को निकाल कर किसी परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा कार्यरत गेटमैन के पास गेट लाज पर भेजेगा।
- (iii) क्यूई चाभी के प्राप्त होने पर कार्यरत गेटमैन चाभी क्यूई को गेट लाज में लगे 2वे लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी "सी एच जी.-4" मुक्त होगी।
- (iv) गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और क्रेन्क हैण्डिल लगाने के लिए ढक्कन को खोलेगा जिससे क्रेन्क हैण्डिल लगाने के लिए "नाच" दिखाई पड़ेगी। जिससे क्रेन्क हैण्डिल को लगाकर क्लाक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों के लिए की जायेगी। गेटमैन गेट के बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित होने के बाद गेट लाज में प्रदत्त गेट कंट्रोल स्विच रिवर्स स्थिति में करेगा एवं नियन्त्रण बटन दबायेगा और सूचना स्टेशन मास्टर को देगा। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी "सी.एच.जी.-4" को वापस लाक अप बाक्स में लगा देगा और चाभी 'क्यूई' को वापस एस.एम. पैनल कक्ष में लगे पार्किंग एच.के.टी. में लगा देंगे।
- (v) समपार फाटक को बंद होने का संकेत मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर आपात कालीन नियंत्रण बटन "सी.एच.जी.-4" के साथ जीएसआरबी बटन को दबायेगा। जिससे गेट लाज में लगे लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. असेम्बली पर से लाक फ्री इण्डिकेशन चला जायेगा। तत्पश्चात गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल "आफ" करेगा। सिगनल "आफ" करने पर गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर से लाक फ्री सफेद इण्डिकेशन बुझ जायेगा।

(ख) समपार को खोलने हेतु परिचालन:

- (i) पैरा 1.4 के (स) के उप पैरा (ख) में दी गयी प्रक्रिया करने पर क्यू चाभी के न निकलने की दशा में गेटमैन गेट लाज में प्रदत्त गेट कंट्रोल स्विच को नार्मल स्थिति में करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर एस.एम. पैनल कक्ष में लगे पार्किंग एच.के.टी. में लगी क्यूई चाभी को निकाल कर किसी परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा कार्यरत गेटमैन के पास गेट लाज पर भेजेगा।
- (ii) क्यूई चाभी के प्राप्त होने पर कार्यरत गेटमैन चाभी क्यूई को गेट लाज में लगे 2वे लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी "सी एच जी.-4" मुक्त होगी। कार्यरत गेटमैन "सी एच जी.-4" चाभी द्वारा गेट को खोल कर वापस 2वे लाक अप बाक्स में लगाकर क्यूई चाभी को मुक्त कर हस्त नियंत्रित रूप से स्टेशन को वापस करेगा कार्यरत स्टेशन मास्टर क्यूई चाभी को पुनः पार्किंग एच.के.टी. में लगाना सुनिश्चित करेगा।

कमश : पृष्ठ 7 पर

(य) स्लाडिंग ब्रूम बैरियर की संचालन पद्धति :-

(क) समपार बन्द करने हेतु:-

- (i) जब समपार फाटक को लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार पर लगाए गए स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा।
- (ii) स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पहले कार्यरत स्टेशन मास्टर/गेटमैन के बीच अलग से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
- (iii) स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ संगत चाभी सी1-सी2 वेल्ड है। स्लाइडिंग बूम बैरियर के 2 वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी सी1-सी2 को लगाकर घुमाने से सम्बन्धित बूम लाक हो जायेंगे तथा कमशः चाभी एन1 एवं एन2 रिलीज हो जायेगी।
- (iv) 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी एन1 एवं एन2 को 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी 'एन' रिलीज होगी। कार्यरत गेटमैन इस चाभी को गेटलाज में लगे के०एल०सी०आर० में लगाकर घुमायेगा एवं कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा।
- (v) समपार फाटक के बंद होने की सूचना प्राप्त होने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर, समपार नियंत्रण स्विच को 'लाक' स्थिति में करेगा एवं समपार के बन्द होने की पुष्टि पैनल पर सफेद इंडिकेशन मिल जायेगा। इसके पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल "आफ" करेगा। सिगनल 'आफ' हो जाने के पश्चात गेटलाज में लगे के०एल०सी०आर० से चाभी 'एन' को नहीं निकाला जा सकेगा।

(ख) समपार खोलने हेतु :-

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण स्विच को 'रिलीज' स्थिति में करेगा। जिससे गेट लाज में गेट रिलीज का इंडिकेशन जल जायेगा। गेट रिलीज का इण्डिकेशन मिलने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन चाभी 'एन' के०एल०सी०आर० से निकालकर 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगायेगा। चाभी 'एन' 3वे लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी एन1 एवं एन2 मुक्त होगी। 3वे लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी एन1 एवं एन2 को 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी सी1 एवं सी2 को रिलीज करेगा इसके उपरान्त कार्यरत गेटमैन इस चाभी की सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समपार को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

(र) समपार नियंत्रण बटन:

पैनल पर समपार के नियंत्रण के लिये बटन "551" पैनल पर लगाया गया है। गेट खोलने के लिये "551" एवं जीएसबी बटन दबाने से रिलीज के उपर लगी लाल बत्ती जल जायेगी एवं गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री इंडिकेशन जल जायेगा। गेट को लाक करने के लिये "551" एवं जीएसआरबी बटन दबाने पर लाक के ऊपर लगी सफेद बत्ती जल जायेगी एवं गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इंडिकेशन बुझ जायेगा।

नोट: I. आपात कालीन स्विच :

आपातकाल के समय गेट रक्षित सिगनलों को आन स्थिति में करने के लिये गेट लाज में एक स्विच का प्रावधान है। यह स्विच एक ग्लास केस में लगा है। केस ताला बंद व सील रहता है। आपात स्थिति में गेट रक्षित सिगनलों को "आन" करने के लिए गेट मैन ग्लास केस के सामने लगे शीशे को तोड़कर स्विच को घुमायेगा। ऐसा करने से गेट रक्षित सिगनल "आन" दशा में हो जायेंगे। आपात स्थिति समाप्त हो जाने पर स्विच को नार्मल कर देगा। केस में नया शीशा लगा दिया जायेगा।

कमश : पृष्ठ 8 पर

II. विद्युतीय नियंत्रण विफलता पर गेट का संचालन :

समपार पर सी.एच.जी.-4 की विद्युत नियंत्रण की विफलता के समय आपात कालीन चाभी 'क्यूई' का प्रावधान है। यह चाभी स्टेशन मास्टर कार्यालय (पैनल रूम) में लगे सील्ड एवं ताला बन्द केस में लगी एच.के.टी. में लाकड रहती है। सी.एच.जी.-4 की पैनल से विद्युत नियंत्रण की विफलता की स्थिति में विद्युत लिफ्टिंग बैरियर के संचालन हेतु चाभी 'क्यूई' परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा गेट पर भेजी जाती है इस चाभी को निकालने से गेट रक्षित सिगनल 'आन' स्थिति में हो जाते/रहते हैं। विफलता ठीक होने पर पुनः एच०के०टी० में लगा दी जाती है तथा ग्लास केस सील्ड एवं ताला बंद कर दिया जाता है।

(ख) गेटमैन को सूचना :-

- (i) डाउन गाड़ियों के आगमन तथा अप गाड़ियों के प्रस्थान के लिये इस समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके लाक करने के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन को निम्न सूचनाएं देगा एवं स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

सामान्य स्थिति में :-

तिथि	गाड़ी संख्या व विवरण	सूचना का समय	गेटमैन द्वारा गेट बंद करके इंडीकेशन देने का समय	स्लाइडिंग बूम से कार्य करते समय प्रा.नं० का आदान प्रदान		समपार से गाड़ी पास होने का समय	स्टेशन मास्टर/गेटमैन का हस्ताक्षर	टिप्पणी
				गेटमैन का प्रा.नं०	स्टेमा का प्रा.नं.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गेट विफल होने की स्थिति में :-

इण्टरलाक गेट विफल होने की स्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान की कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

तिथि	गाड़ी का नम्बर एवं विवरण	गेट से पास होने का सम्भावित समय	सूचना मिलने/देने का समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा समपार के बन्द व लाक होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गाड़ी पास होने का समय	स्टेशन मास्टर/गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (ii) इण्डीकेशन मिल जाने के पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण "551" एवं जीएसआरबी को एक साथ दबाकर समपार को लाक स्थिति में कर देगा। ऐसा करने पर समपार नियंत्रण बटन के ऊपर एक सफेद लघु बत्ती समपार फाटक बन्द व लाक है, की पुष्टि स्वरूप जल जायेगी तत्पश्चात स्टेशन मास्टर गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल "आफ" करेगा।
- (iii) स्टेशन मास्टर का यह दायित्व है कि गेटमैन को सूचित करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि गाड़ी प्रस्थान के लिए तैयार है सड़क यातायात अधिक देर तक समपार पर रुका न रहे।
- (iv) जब किसी गाड़ी को स्टेशन से/को यार्ड से/में पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट इस समपार के आर-पार करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी फाटक को सड़क यातायात के लिए बन्द व लाक होना सुनिश्चित करेगा तथा उसके पश्चात ही समपार फाटक को पार करेगा।

(सी) टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :-

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर, पोर्टर/कांटावाला द्वारा गेटमैन को लिखित रूप से पूर्ण विवरण, संख्या एवं गाड़ी की दिशा के बारे में सूचित करेगा।
- (ii) कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर से लिखित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करेगा। गेट का बन्द एवं लाक इन्डीकेशन प्राप्त होने के उपरान्त कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल "आफ" करेगा।

कमश : पृष्ठ 9 पर

- (iii) ट्रेनों की अधिकता के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर कार्यरत गेटमैन को सूचित करना सम्भव न हो सके तो वह गाड़ी के ड्राइवर को सिगनल "आन" स्थिति में पार करने हेतु लिखित आदेश देगा।
- (iv) इसके अतिरिक्त स्टेशन मास्टर ड्राइवर को लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने हेतु तथा गेटमैन के हाथ सिगनल के अनुसार समपार पार करने का सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) आने वाली गाड़ी के केस में स्टेशन मास्टर भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- (vi) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त गाड़ी को भेजेगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- (डी) **इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता :-**
- (i) जब इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।
- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा। तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।
- (iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।
- (ई) **'गेट की चाभी' का गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब 'गेट की चाभी' खोलने के लिये न निकाली जा सके :-**
- (i) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर दोनों की विफलता की स्थिति में यदि गेट की चाभी लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) 'गेट की चाभी' का गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब 'गेट की चाभी' खोलने के लिये न निकाली जा सके।

कमश : पृष्ठ 10 पर

इस परिस्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर एस.एम. पैनल कक्ष में लगे पार्किंग एच. के.टी. में लगी 'क्यूई' चाभी को निकाल कर कार्यरत गेटमैन के लिए हस्त नियन्त्रित रूप में गेट लाज पर भेजेगा। कार्यरत गेटमैन चाभी "क्यूई" को गेट लाज में लगे 2वें लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी "सीएचजी-4" मुक्त होगी।

- (iii) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर की विफलता की स्थिति में 2वें लाकअप बाक्स से सीएचजी-4 चाभी नहीं निकलने की परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा

गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।

- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(एफ) समपार फाटक की खुली दशा में 'गेट चाभी' की विफलता :-

- (i) 'गेट की चाभी' का गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना जब 'गेट की चाभी' बन्द करने के लिये न निकाली जा सके। इस परिस्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर एस.एम. पैनल कक्ष में लगे पार्किंग एच.के.टी. में लगी 'क्यूई' चाभी को निकाल कर कार्यरत गेटमैन के लिए हस्त नियन्त्रित रूप में गेट लाज पर भेजेगा। कार्यरत गेटमैन चाभी "क्यूई" को गेट लाज में लगे 2वे लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी "सीएचजी-4" मुक्त होगी। कार्यरत गेटमैन "सीएचजी-4" चाभी द्वारा गेट को बन्द कर वापस 2वे लाक अप बाक्स में लगाकर "क्यूई" चाभी को मुक्त कर हस्त नियन्त्रित रूप से स्टेशन को वापस करेगा कार्यरत स्टेशन मास्टर "क्यूई" चाभी को पुनः पार्किंग एच.के.टी. में लगाना सुनिश्चित कर ही सिगनल आफ करेगा।
- (ii) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर दोनों की विफलता की स्थिति में यदि लाकअप बाक्स से गेट चाभी निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (iii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक मानकर गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान की प्रक्रिया नान-इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशों के अनुसार करेगा। गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा उसके बाद वह गाड़ी को हाथ संकेत पर पास करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गाड़ियों को ब्लाक खण्ड में प्रवेश कराने के पूर्व 'गेट खुली दशा में खराब है' के लिये सतर्कता आदेश जारी करने के लिये सूचित करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो लाकअप बाक्स की मरम्मत करते हैं, को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।

कमश : पृष्ठ 11 पर

- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(छ) समपार फाटक पर अवरोध :-

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (ii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iii) कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को आगमन/प्रस्थान सिगनल यदि किसी ट्रेन के लिये 'आफ' किया गया हो तो उसको 'आन' करने के लिये सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

- (v) गेटमैन पटाखा, दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है तथा गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।
- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक गाड़ी नहीं चलायेगा जबतक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जब तक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जाये।
- (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन, कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान से सूचित करेगा।
- (x) कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई अवरोध न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ते हुये समपार को गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।
- (xi) यदि समपार फाटक बाधित नहीं है तब गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।
- (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त संयोजन/फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

कमश : पृष्ठ 12 पर

(ज) समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध :-

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ किसी पेड़ इत्यादि के गिरने के कारण अवरुद्ध होना, सड़क वाहन द्वारा अवरुद्ध अथवा गाड़ी का अवपथन होना जो गेटमैन को दिखाई दे रहा है, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर 'समपार फाटक पर अवरोध' में ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि अवरोध समपार गेट को बाधित कर रहा है तो गेटमैन को सड़क यातायात के लिये गेट को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेलपथ से अवरोध हटा न लिया जाये।

1.8 गेटमैन के कर्तव्य :-

(1) सावधानी :-

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा:-

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेटमैन दाँये हाथ में लाल झण्डी तथा बाँये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेटमैन गले में धागे में बाँधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-

- (i) गेटमैन रोड यूजर सिग्नल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।
- (ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
- (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।

- (iv) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सिल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (v) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।
- (vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चेन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
- (vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (viii) जब गेटमैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

कमश: पृष्ठ 13 पर

- (ix) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।
- (x) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiii) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।
- (xiv) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
- (xv) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनों तरफ लगाये गये "हाइट लोडिंग गेज" के नीचे से गुजरे।
- (xvi) जहाँ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4). ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा :-

- (i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेंगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा इसकी सूचना देगा।

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

कमश: पृष्ठ 14 पर

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-

(अ) इकहरी लाइन पर:-

- (i) गेटमैन दिन में लाल बैनर पलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर की दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिधर से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात् उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर पलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब **600 मीटर** पर एक पटाखा लगा देगा। उसके पश्चात् वह समपार से **1200 मीटर** की दूरी पर तीन पटाखे **10-10 मीटर** की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में **600 मीटर** पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेटमैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-

- (i) यदि समपार फाटक किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे - वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

1.6 25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:-

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
- (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।

कमशः पृष्ठ 15 पर

- (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधे पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।
- (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचे अथवा दौड़ाये।
- (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुएँ जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।
- (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
- (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:-
5. गेट को तुरन्त बंद करें।

6. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे—
 (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
 (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।
 (ग) इंजन के पेंटो में खराबी।
 (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
 (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
 (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।
9. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में **टूटी तारों** एवं बांड को न छुएँ।
10. ओ.एच.ई. के **तार टूटने** की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, नियमानुसार बैनर-फ्लैग एवं पटाखें लगायें।
11. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनों लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनों तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
- (viii) हाईट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
- (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तों तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
- (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुएँ तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

परिशिष्ट 'ए'

भाग — 5

गोण्डा जं० स्टेशन पर स्थित “सी” श्रेणी के इन्जी० समपार फाटक सं० 1 के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण
 1.9 सामान्य :-

1	समपार फाटक सं०	1 "सी"
2	इंजीनियरिंग/यातायात फाटक	इंजीनियरिंग
3	किसके अधीन स्टेशन अधी०/रेलपथ निरीक्षक	सेक्शन इंजी०/रेलपथ/गोण्डा
4	किलोमीटर पर स्थित	1/6-7
5	स्टेशन पर	गोण्डा जं०
6	स्टेशनों के मध्य	गोण्डा जं०-गंगाधाम
7	बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिये खुला
10	इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड	नान-इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	—
12	गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०	नहीं
	अप दिशा—	—
	डाउन दिशा—	—
13	संकेतन व्यवस्था	नहीं
14	संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि	मैगनेटो टेलीफोन
15	समपार फाटक की चौड़ाई	7.50 मीटर
16	सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	पाठक पुरवा-कारी गांव
18	पक्का/कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	उपलब्ध
20	सड़क की चौड़ाई	7.50 मीटर
21	सड़क की कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये)	90°
	पूर्व/उत्तर की तरफ	कोई नहीं
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	कोई नहीं
22	सड़क की ढाल यदि कोई हो	समतल
	पूर्व/उत्तर की तरफ	कोई नहीं
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	कोई नहीं०
23	सड़क की सीधायी (सीधा/गोलाई)	सीधी
	पूर्व/उत्तर की तरफ	कोई नहीं
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	कोई नहीं
24	हाईट गेज का प्रावधान	है
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेलो की लम्बाई	9.50 मीटर

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

27	समपार के मध्य सड़क की सतह	पक्का
28	रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई	12.50 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी०वी०यू०	2178 जनवरी 2020
32	अगली गणना की तिथि	जनवरी/2023
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	उपलब्ध
34	गेटमैनों की संख्या	दो
35	निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र	गोण्डा
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो।	गोण्डा
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हाँ / नहीं	उपलब्ध है

1.10 उपकरण :-

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1	ट्राई कलर टार्च/फलैशिंग टेल लैम्प	03
2	हरी हाथ झण्डी	01 (डण्डे में लगा हुआ)
3	लाल हाथ झण्डी	03 (डण्डे में लगा हुआ)
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन(जंजीर)	02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ
7	पटाखा सिगनल	10
8	गेट लैम्प	02
9	टामी बार	01
10	मोर्टार पैन (तसला)	01
11	फावड़ा/बेल्टा	01
12	दुरमुट	01 (पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
13	पिक एक्स	01 (पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
14	टिन केस झण्डी के लिये	01
15	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
16	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
17	टिन केस मस्टर शीट के लिये	01
18	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
19	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
20	टोकरी	01
21	सीटी	01
22	दीवार घड़ी	01
23	छोटी चेन ताला चाभी युक्त	02

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

1.11 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

33. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
34. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
35. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
36. ड्यूटी रोस्टर।
37. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
38. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जाँच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
39. दुर्घटना रजिस्टर।
40. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
41. निरीक्षण व आश्वासन पुस्तिका।
10. जन परिवाद पुस्तिका।

1.4. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-

(क) संचालन पद्धति :-

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये ट्रैक के दोनों ओर एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर की व्यवस्था है। लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने हेतु एक विंच की व्यवस्था है। समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये कार्यरत गेटमैन विंच को तबतक संचालित करेगा जबतक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाये। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाये। विन्च को इस स्थिति में लाक करने के लिये इसके 'ई' प्रकार के ताले से चाभी 'पी-1' को निकाल लेगा। बूमों को लाक करने के लिये एक बूम लाकिंग लीवर की व्यवस्था है जिसमें दो ई प्रकार

के ताले लगे हैं जिसके एक ताले में चाभी 'पी' लगी है तथा दूसरे ताले में चाभी 'पी-1' लगाने की जगह है। विन्च से निकली चाभी 'पी-1' को इसके अपने ताले में लगाकर घुमायेगा तथा बूम लाकिंग लीवर को विपरीत दिशा में खींचेगा जिससे बूम ताला बन्द हो जायेंगे तथा चाभी 'पी' को निकालकर अपनी निजी अभिरक्षा में रखेगा।

जब गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिये खोलेगा तो गेटमैन विन्च को तब तक संचालित करेगा जबतक कि लिफ्टिंग बैरियरों के बूम ऊपर उठकर लगभग ऊर्ध्वाधर न हो जाये।

(ख) **प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान :-**

- गोण्डा जं०** स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर डाउन गाड़ी का लाइन विलयर देने से पहले अथवा अप गाड़ियों का प्रस्थान प्राधिकार देने से पहले मैगनेटो टेलीफोन द्वारा कार्यरत गेटमैन को गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा एवं गेट से पास होने का सम्भावित समय देते हुये प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के साथ सूचित करेगा।
- कार्यरत गेटमैन, कार्यरत स्टेशन मास्टर से सूचना प्राप्त होने पर समपार फाटक को समय से सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करके तथा चाभी 'पी' को अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में होना सुनिश्चित करके कार्यरत स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान कर पुष्टि करेगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन से समपार फाटक के बन्द व लाक होने का प्राइवेट नम्बर प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बन्धित गाड़ी का लाइन क्लीयर अथवा प्रस्थान प्राधिकार देगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्नलिखित प्रारूप में एक लाग रजिस्टर का आवश्यकतानुसार अनुरक्षण करेंगे :-

कमश : पृष्ठ 4 पर

तिथि	गाड़ी का नम्बर एवं विवरण	गेट से पास होने का सम्भावित समय	सूचना मिलने / देने का समय	कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	कार्यरत गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर	कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा समपार के बन्द व लाक होने की स्वीकृति हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गाड़ी पास होने का समय	कार्यरत स्टेशन मास्टर/गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- कार्यरत गेटमैन सम्बन्धित गाड़ी का समपार फाटक से टेल लैम्प अथवा टेल बोर्ड देखकर पूर्णरूप से पास होना सुनिश्चित करके समपार फाटक को सड़क यातायात के लिये खोलने हेतु अधिकृत होगा।
- टेलीफोन संचार की विफलता :-**
जब कभी टेलीफोन संचार माध्यम विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :-
 - कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली सभी गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
 - जारी किये गये सतर्कता आदेश में ड्राइवर को समपार फाटक की तरफ लगातार सीटी बजाते हुये सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने हेतु निर्देश दिया जायेगा।
 - ड्राइवर को कार्यरत गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल संकेत मिलने पर समपार फाटक को सतर्कतापूर्वक पास करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नहीं दिखाई देता है तो ड्राइवर गाड़ी को समपार के पहले रोककर अपने सहायक ड्राइवर को समपार की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द है तो सहायक ड्राइवर 'सभी ठीक हैं' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं है तो सहायक ड्राइवर समपार फाटक को बन्द करके 'सभी ठीक हैं' सिगनल देगा। सहायक ड्राइवर की अनुपस्थिति में ड्राइवर, गार्ड की सहायता लेगा।
 - गाड़ी के आगमन के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।

- (v) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त गाड़ी को भेजेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर कार्यरत गेटमैन को भी गैंगमैन/पेट्रोलमैन या प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- (घ) **लिफ्टिंग बैरियर की विफलता :-**
- (i) जब लिफ्टिंग बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।

कमश : पृष्ठ 5 पर

- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा। तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।
- (iv) समपार फाटक को सड़क यातायात के लिये सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी संकेत तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ङ.) **समपार फाटक पर अवरोध :-**

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (ii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iii) कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को आगमन/प्रस्थान सिगनल यदि किसी ट्रेन के लिये 'आफ' किया गया हो तो उसको 'आन' करने के लिये सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (v) गेटमैन पटाखा व दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है। गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।
- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक कोई गाड़ी नहीं चलायेगा जबतक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।

कमश : पृष्ठ 6 पर

- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तबतक न भेजे जबतक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जाये।
 - (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन, कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान से सूचित करेगा।
 - (x) तब कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई बाधा न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि गेटमैन द्वारा हरा झण्डी/बत्ती संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।
 - (xi) गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई बाधा नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
 - (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।
 - (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त संयोजन/फिट मेमो प्राप्त हो जाये।
- (च) **समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध :-**
यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ किसी पेड़ इत्यादि के गिरने के कारण अवरुद्ध होना, सड़क वाहन द्वारा अवरुद्ध अथवा गाड़ी का अवपथन होना जो गेटमैन को दिखाई दे रहा है, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर 'समपार फाटक पर अवरोध' में ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि अवरोध समपार फाटक को बाधित कर रहा है तो गेटमैन को सड़क यातायात के लिये फाटक को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेलपथ से अवरोध हटा न लिया जाये।

1.5 गेटमैन के कर्तव्य :-

(1) सावधानी :-

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत कब्जे में रहेगी।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्न स्थिति में खड़ा रहेगा:-

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेटमैन दौंये हाथ में लाल झण्डी तथा बाँये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेटमैन गले में धागे में बाँधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-

- (i) गेटमैन जब समपार फाटक सड़क यातायात के लिये खुला हुआ हो तो रेलपथ पर समपार के दोनों तरफ निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (ii) गेटमैन गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।

कमश : पृष्ठ 7 पर

- (iii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
- (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।
- (v) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सिल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वेगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट,

वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

- (vi) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।
- (vii) समपार का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
- (viii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) गेटमैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
- (xiii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।
- (xv) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
- (xvi) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनों तरफ लगाये गये "हाइट लोडिंग गेज" के नीचे से गुजरे।
- (xvii) जहाँ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) **ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-**

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा :-

- (i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

कमश : पृष्ठ 8 पर

- (iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के द्वारा इसकी सूचना देगा।

(5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-**

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) **गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-**

- (अ) **इकहरी लाइन पर :-**

- (i) गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिधर से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात् उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात् वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।

कमशः पृष्ठ 9 पर

- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
 - (viii) उसके उपरान्त गेटमैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।
- (ब) **गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-**
- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
 - (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे - वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम तथा स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।
 - (iii) गाड़ी के आवागमन हेतु समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के पश्चात् किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में बिना गाड़ी पास हुये समपार को सड़क यातायात हेतु तबतक नहीं खोलेगा जबतक कि कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने हेतु प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान कर उसे अधिकृत न कर दिया गया हो।

7 25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:-

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
- (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।
- (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधे पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।
- (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचे अथवा दोड़ायें।
- (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुएँ जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।
- (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
- (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:-
 7. गेट को तुरन्त बंद करें।
 8. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे-

- (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
 (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।
 (ग) इंजन के पेंटो में खराबी।
 (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
 (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
 (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।

12. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में **टूटी तारों** एवं बांड को न छुएँ।
 13. ओ.एच.ई. के **तार टूटने** की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, नियमानुसार बैनर-फलैंग एवं पटाखें लगायें।
 14. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनों लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनों तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
 (viii) हाईट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
 (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
 (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
 (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तो तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
 (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
 (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
 (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुएँ तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

परिशिष्ट 'ए'

भाग — 1

गोण्डा जं० स्टेशन पर स्थित "विशेष" श्रेणी के इन्जी० समपार फाटक सं० 257 के संचालन हेतु अनुदेश

टिप्पणी:-इन अनुदेशों को पढ़ते समय गोण्डा जं० स्टेशन का नियम आरेख सं० उपमुसिदूई/नि०/ ल०जं०/2021 (आर०डी०)/20 दि. 07.10.21 मय संशोधन 'ए' दि. 19.11.21 देखें।

1. विवरण

1.12 सामान्य :-

1	समपार फाटक सं०	257 "विशेष"
2	इंजीनियरिंग/यातायात फाटक	इंजीनियरिंग
3	किसके अधीन स्टेशन अधी०/रेलपथ निरीक्षक	से०इन्जी०/पी०वे०/गोण्डा
4	किलोमीटर पर स्थित	654/5-6
5	स्टेशन पर	गोण्डा जं०
6	स्टेशनों के मध्य	गोण्डा जं०-बरुआचक
7	बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन	दोहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिये खुला
10	इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	गेट सिगनलो से अन्तर्पाशित
12	गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०	है
	अप दिशा- गेट सिगनल	654/4-5
	डाउन दिशा- गेट सिगनल	-
13	संकेतन व्यवस्था	बहुसंकेतीय कलर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि	टेलीफोन/घंटी
15	समपार फाटक की चौड़ाई	9.00 मीटर
16	सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	एस०एच०
17	सड़क का नाम	गोण्डा-उतरौला
18	पक्का/कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	उपलब्ध
20	सड़क की चौड़ाई	9.00 मीटर पक्की
21	सड़क की कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये)	-
	पूर्व/उत्तर की तरफ	90°
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	70°
22	सड़क की ढाल यदि कोई हो	-
	पूर्व/उत्तर की तरफ	1 : 25
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	1 : 30
23	सड़क की सीधाई (सीधा/गोलाई)	-
	पूर्व/उत्तर की तरफ	गोलाई
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	सीधी
24	हाईट गेज का प्रावधान	है
25	बैरियर का प्रकार	इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर
26	चेक रेलो की लम्बाई	9.25 मीटर

कमश : पृष्ठ 2 पर

27	समपार के मध्य सड़क की सतह	पक्का
28	रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई	7.50 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी०वी०यू०	586290 नवम्बर 2020
32	अगली गणना की तिथि	नवम्बर/2023
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	उपलब्ध
34	गेटमैनों की संख्या	तीन
35	निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र	गोण्डा चिकित्सालय
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो।	गोण्डा
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हों / नहीं	उपलब्ध है

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1	ट्राई कलर टार्च/पलैशिंग टेल लैम्प	03
2	हरी हाथ झण्डी	01 (डण्डे में लगा हुआ)
3	लाल हाथ झण्डी	03 (डण्डे में लगा हुआ)
4	बैनर पलैंग लाल	03
5	लाल बैनर पलैंग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चैन(जंजीर)	02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ
7	पटाखा सिगनल	10
8	टामी बार	01
9	मोर्टार पैन (तसला)	01
10	फावड़ा/बेल्टा	01
11	दुरमुट	01 (पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
12	पिक एक्स :	01 (पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
13	टिन केस झण्डी के लिये	01
14	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
15	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन :	01
16	टिन केस मस्टर शीट के लिये :	01
17	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
18	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम :	01
19	टोकरी	01
20	सीटी	01
21	दीवार घड़ी	01
22	छोटी चैन ताला चाभीयुक्त	02

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

1.14 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

42. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
43. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
44. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
45. ड्यूटी रोस्टर।
46. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
47. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जाँच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
48. दुर्घटना रजिस्टर।
49. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
50. निरीक्षण एवं आश्वासन पुस्तिका।
51. जन परिवाद पुस्तिका।
52. संकेत एवं दूर संचार पन्जिका।
53. वीडर काउन्टर पन्जिका

1.5. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-

(क) संचालन पद्धति :-

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर, की व्यवस्था है। समपार फाटक पर प्रवेश रोकने वाला बैरियर तथा निकासी रोकने वाला बैरियर { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } है।

पुश बटन या हैण्ड जनरेटर से इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिये गेट लाज में एक आपरेटिंग पैनल की व्यवस्था है। पैनल पर गेट से सम्बन्धित बूम को बन्द करने के लिए क्लोज बटन एवं खोलने के लिए ओपेन बटन का प्रावधान है। पैनल से सम्बन्धित दोनों बूम के बन्द एवं लाक सुनिश्चित करने के लिये आपरेटिंग पैनल पर दो [बैरियर सं० बी-1 तथा बी-2] कुल दो लाल रंग का बूम लाक प्रूविंग इन्डीकेशन है। इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियरों को पुश बटन, हैण्ड जनरेटर या मैकेनिकल रूप से संचालित किया जा सकता है। पुशबटन एवं हैण्ड जनरेटर से संचालन विफल होने की दशा में मैकेनिकल संचालन के समय बारी-बारी से प्रत्येक बैरियर को चलाने के लिये एक कैंक हैण्डल की व्यवस्था है।

(ए) पुश बटन द्वारा समपार का संचालन:

(क) समपार फाटक को बंद करना :

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के बैरियर-1 एवं बैरियर-2 के स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (iii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को आटो स्थिति में रखें।
- (iv) आपरेटिंग पैनल द्वारा क्लोज बटन दबाकर दोनों बूम को [बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2] बन्द करें। क्लोज बटन दबाते ही एक हूटर बजने लगेगा और बूम आपरेट होगा। बूम के बन्द होने एवं स्वतः लाक होने के पश्चात, बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन आपरेटिंग पैनल पर मिलने पर बटन छोड़े।
- (v) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं० '2' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० 2 को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन दिशा से मूवमेन्ट हेतु गेट नियंत्रण स्विच सं० 3 को 'आर' पोजीशन में घुमाकर स्टेशन मास्टर को स्लाट देगा। स्टेशन मास्टर समपार के बन्द व लाक होने का स्लाट/इन्डीकेशन सुनिश्चित कर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-107 को 'आफ' करेगा।

कमश : पृष्ठ 4 पर

(ख) खोलने हेतु :

- (i) समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त गेटमैन सिगनल/स्लाट स्विच को 'नार्मल' पोजीशन में घुमायेगा। सिगनल/स्लाट स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने पर गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इन्डीकेशन मिल जायेगा।
- (ii) आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री सफेद इन्डीकेशन प्राप्त होने के बाद दोनों बूम को खोलने के लिए आपरेटिंग पैनल पर उपलब्ध ओपेन बटन को तब तक दबाए जब तक कि पैनल पर बूम का ओपेन इन्डीकेशन न मिल जाए।

(बी) पुश बटन विफलता की स्थिति में हैण्ड जनरेटर से समपार का परिचालन:

(क) बन्द करने हेतु :-

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल को मैनुअल स्थिति में रखें।
- (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के कैंक को क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि दोनों बूम [बी1 व बी2] आपरेट होकर बन्द एवं स्वतः लाक न हो जायें तथा आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन आपरेटिंग पैनल पर न मिल जाये।
- (iv) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं० '2' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० 2 को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन दिशा से मूवमेन्ट हेतु गेट नियंत्रण स्विच सं० 3 को 'आर' पोजीशन में घुमाकर स्टेशन मास्टर को स्लाट देगा। स्टेशन मास्टर समपार के बन्द व लाक होने का स्लाट/इन्डीकेशन सुनिश्चित कर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-107 को 'आफ' करेगा।

(ख) खोलने हेतु

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त गेटमैन सिगनल/स्लाट स्विच को 'नार्मल' पोजीशन में घुमायेगा। सिगनल /स्लाट स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने पर गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा।

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को मैनुअल दशा में रखें।
- (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के क्रैन्क को एण्टी क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि बूम पूरा न खुल जायें। गेट पूरा खुल जाने पर आपरेटिंग पैनल पर गेट ओपन इण्डिकेशन मिल जायेगा।

(सी) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर की विफलता के समय :-(क) समपार का बन्द करने हेतु परिचालन:

- (ii) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की विफल होने की दशा में 'सीएचजी-3' क्रैन्क हैण्डिल का प्रयोग किया जायेगा जो सामान्यतया 'केएलसीआर' में लाकड रहता है।

क्रमशः पृष्ठ 5 पर

'सीएचजी-3' नियंत्रण स्विच को रिलीज स्थिति में करने पर केएलसीआर पर रिलीज (लाल प्रकाश) जलने लगता है। तब कार्यरत गेटमैन लाल इंडिकेशन के पास लगे पुश बटन को दबाकर 'सीएचजी-3' क्रैन्क हैण्डिल को निकालेगा।

- (iii) गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिए ढक्कन को खोलेगा जिससे क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिए "नॉच" दिखाई पड़ेगी। जिससे क्रैन्क हैण्डिल को लगाकर क्लाक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों के लिए की जायेगी। बैरियर को क्रैन्क हैण्डिल से बन्द करने के पश्चात् बूम लाक कवर के साइड में बने लाक को पैनल चाभी द्वारा खोलेगा जिससे बूम लाक कवर के साइड में "नॉच" दिखाई पड़ता है। "नाच" में बूम लाक क्रैन्क हैण्डिल लगाकर बैरियर को लाक करेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों को बन्द करने के पश्चात् दोनों बूम लाक पर की जायेगी। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी 'सीएचजी-3' को वापस केएलसीआर में लगा देगा और 'सीएचजी-3' स्विच को लाक स्थिति में कर देगा और सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को देगा।
- (iv) दोनों बैरियरों के बन्द होने के पश्चात् अप गेट सिगनल सं० '2' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० 2 को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन दिशा से मूवमेन्ट हेतु गेट नियंत्रण स्विच सं० 3 को 'आर' पोजीशन में घुमाकर स्टेशन मास्टर को स्लाट देगा। स्टेशन मास्टर समपार के बन्द व लाक होने का स्लाट/इंडिकेशन सुनिश्चित कर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-107 को 'आफ' करेगा।

(ख) समपार को खोलने हेतु परिचालन:

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त गेटमैन सम्बन्धित सिगनल/स्लाट स्विचों को 'नार्मल' पोजीशन में घुमायेगा। सिगनल/स्लाट स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने पर गेटलाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा। सर्वप्रथम बूम लाक को रिलीज किया जायेगा। तत्पश्चात् क्रैन्क हैण्डिल द्वारा बैरियर को खोला जायेगा।

(डी) स्लाडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति :-(अ) समपार बन्द करने हेतु:-

7. जब समपार फाटक को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार को स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा।
8. स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पहले कार्यरत स्टेशन मास्टर/गेटमैन के बीच अलग से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
9. स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ क्रमशः चाभी सी3-सी4 वेल्ड है। 2वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी सी3-सी4 को लगाकर घुमाने से स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो जायेंगे तथा क्रमशः चाभी एन3 एवं एन4 रिलीज हो जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

स्लाइडिंग बूमों को पूरी तरह से सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के उपरान्त 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी एन3 एवं एन4 को गेटलाज में लगे 3वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी 'एन5' रिलीज होगी तथा कार्यरत गेटमैन इस चाभी को गेटलाज में लगे कंट्रोलसी0आर0 में लगाकर घुमायेगा, जिससे गेटमैन के आपरेटिंग पैनल पर स्लाइडिंग बूम बैरियर के बन्द होने के बाद लाक होने का इन्डीकेशन प्राप्त हो जायेगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो गये हैं इसके पश्चात् अप गेट सिगनल सं० '2' को 'आफ' करने के लिये सिगनल स्विच सं० 2 को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन दिशा से मूवमेन्ट हेतु गेट नियंत्रण स्विच सं० 3 को 'आर' पोजीशन में घुमाकर स्टेशन मास्टर को स्लाट देगा। स्टेशन मास्टर समपार के बन्द व लाक होने का स्लाट/इन्डीकेशन सुनिश्चित कर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-107 को 'आफ' करेगा।

(ब) समपार खोलने हेतु :-

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त गेटमैन सम्बन्धित सिगनल/स्लाट स्विचों को 'नार्मल' पोजीशन में घुमायेगा। इसके उपरान्त गेटमैन चाभी 'एन5' के एल.सी.आर. से निकालकर 3वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगायेगा। चाभी 'एन5' 3वें लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी एन3 एवं एन4 मुक्त होगी। 3वें लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी एन3 एवं एन4 को 2वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी सी3 एवं सी4 को रिलीज करेगा इसके उपरान्त कार्यरत गेटमैन इस चाभी की सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समपार को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

(ख) गेटमैन को सूचना :-

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर अप गाड़ियों को लाइन क्लियर देने से पहले तथा डाउन गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार देने से पहले टेलीफोन द्वारा कार्यरत गेटमैन को समपार को बन्द व लॉक करने हेतु निम्न सूचनाएं देगा एवं स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे :-

सामान्य स्थिति में :-

तिथि	गाड़ी संख्या व विवरण	समपार को बन्द करने हेतु सूचना का समय	गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय	कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बंद कर स्लाट देने/सिगनल आफ करने का समय	स्लाइडिंग बूम से कार्य करते समय प्रा.नं० का आदान प्रदान		समपार से सम्पूर्ण गाड़ी पास होने का समय	स्टे.मा./गेटमैन का हस्ताक्षर
					गेटमैन का प्रा.नं.	स्टे.मा. का प्रा.नं.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गेट विफल होने की स्थिति में :-

इण्टरलाक गेट विफल होने की स्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान की कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर को भरेंगे:-

तिथि	गाड़ी का नम्बर एवं विवरण	गेट से पास होने का सम्भावित समय	सूचना मिलने / देने का समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा समपार के बन्द व लाक होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गाड़ी पास होने का समय	स्टेशन मास्टर/गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (ii) गेटमैन का यह दायित्व है कि कार्यरत स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने पर अत्यन्त सतर्क हो जायेगा और चेतावनी घण्टी बजते ही वह समय से समपार फाटक बन्द करें जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो तथा सड़क यातायात अधिक समय तक विलम्बित न हो।

(ग) **टेलीफोन संचार की विफलता :-**

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो स्टेशन मास्टर निम्न कार्यवाही करेगा :-

- (i) समपार का टेलीफोन जो गाड़ी भेजने वाले स्टेशन से सम्बद्ध है, के खराब हो जाने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

कमश : पृष्ठ 7 पर

- (ii) स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सूचित करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (iii) यदि गेट सिगनल 'आन' स्थिति में है, तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- (iv) आने वाली गाड़ी के केस में स्टेशन मास्टर भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- (v) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त गाड़ी को भेजेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन को भी गैंगमैन/पेट्रोलमैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने के सूचना देगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(घ) **इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता :-**

- (i) जब इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।
- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा। तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।
- (iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर/स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।

(viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ड.) **‘गेट की चाभी’ का गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब ‘गेट की चाभी’ खोलने के लिये न निकाली जा सके :-**

(i) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर दोनों की विफलता की स्थिति में यदि गेट की चाभी के 0एल0सी0आर0 से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

कमश: पृष्ठ 8 पर

(ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।

(iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

(iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

(vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो के 0एल0सी0आर0 की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।

(vi) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(च) **‘गेट चाभी’ का गेट के खुली दशा में विफल हो जाना :-**

(i) गेट की चाभी’ का गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना जब ‘गेट की चाभी’ बन्द करने के लिये न निकाली जा सके। इस परिस्थिति में कार्यरत गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।

(ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक मानकर गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान की प्रक्रिया नान-इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशों के अनुसार करेगा।

(iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा उसके बाद वह गाड़ी को हाथ संकेत पर पास करेगा।

(iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

(v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गाड़ियों को ब्लाक खण्ड में प्रवेश कराने के पूर्व **‘गेट खुली दशा में खराब है’** के लिये सतर्कता आदेश जारी करने के लिये सूचित करेगा।

(vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, गेट सिगनल लीवर की मरम्मत करते हैं, को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।

(vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(छ) **गेट सिगनल की विफलता :-**

(i) कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को निम्नलिखित परिस्थितियों में खराब मानेगा तथा गेट सिगनल को ‘आफ’ नहीं करेगा :-

(अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट को बन्द किये हुये ‘आफ’ किया जा सके या

(ब) यदि गेट की चाभी के 0एल0सी0आर0 से न निकाली जा सके

(ii) यदि गेट सिगनल ‘आफ’ की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन को इसे ‘आन’ स्थिति में लाने का प्रयास किया जायेगा।

(iii) गेटमैन गेट सिगनल के विफल हो जाने के बारे में अविलम्ब कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा।

कमश : पृष्ठ 9 पर

- (iv) इसके पश्चात् गेट को नान-इण्टरलाक मानकर नान-इण्टरलाक गेटो के लिये निर्धारित पद्धति के अनुसार आगमन/प्रस्थान किया जायेगा।
- (v) कार्यरत गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी एवं रात्रि में हरी बत्ती गेट को बन्द व लाक करने के बाद गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को ब्लाक खण्ड में किसी गाड़ी को भेजने के पूर्व प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सतर्कता आदेश जारी करने हेतु सूचित करेगा।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार के कर्मचारियों को जो गेट सिगनल के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी हैं, यथाशीघ्र ठीक करने के लिये सूचित करेगा।
- (ix) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी विफल गेट सिगनलों को ठीक करने के बाद संयोजन मेमो दे दे।

(ज) समपार फाटक पर अवरोध :-

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में कर देगा।
- (ii) समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्ट पर दिन में लाल बैनर पलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (iii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (v) गेटमैन पटाखा, दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है। तत्पश्चात् गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।
- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक गाड़ी नहीं चलायेगा जबतक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जब तक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जायें।
- (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।

कमशः पृष्ठ 10 पर

- (x) तब कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।
- (xi) गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई बाधा नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।

(xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उस समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

(झ) **समपार फाटक के समीप रेलपथ पर अवरोध :-**

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ पर पेड़ गिरने से अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई गाड़ी का अवपथन जो गेटमैन को दिखाई देता हो तो गेटमैन तथा स्टेशन मास्टर समपार फाटक पर अवरोध में वर्णित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जबतक कि रेलपथ से बाधा हटा नहीं दिया जाये।

1.5 **गेटमैन के कर्तव्य :-**

(1) **सावधानी :-**

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) **ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-**

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्न स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेटमैन दायें हाथ में लाल झण्डी तथा बाँये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेटमैन गले में धागे में बाँधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) **गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-**

- (i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।
- (ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
- (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।

कमशः पृष्ठ 11 पर

- (iv) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सिल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (v) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।
- (vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चेन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
- (vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (viii) गेट सिगनल स्विच खराब हो जाने की दशा में गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की दशा में रखेगा।
- (ix) समपार फाटक के गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमैन ट्रेन देखकर बैरियर को बन्द कर हाथ सिगनल देगा या ट्रेन को खराब सिगनल तक पायलट करेगा। ऐसी स्थिति में वह गाड़ी के चालक द्वारा खराबी की सूचना अगले स्टेशन पर भेजेगा।
- (x) जब गेटमैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं "बैज" धारण करेगा।
- (xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।

- (xii) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xiii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
- (xiv) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।
- (xv) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनों तरफ लगाये गये "हाइट लोडिंग गेज" के नीचे से गुजरे।
- (xvi) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।
- (xvii) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
- (xviii) जहाँ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4). **ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-**

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा :-

- (i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेंगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

कमशः पृष्ठ 12 पर

- (iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन "रोक हैण्ड सिगनल" (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ इसकी सूचना देगा।

(5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-**

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा तथा गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में रखेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) **गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-**

(अ) **दोहरी लाइन पर :-**

- (i) यदि दोनों लाइनें अवरुद्ध हैं तो गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूरी पर निर्धारित स्थान पर लगायेगा। गेटमैन पहले उस लाइन को संरक्षित करेगा, जिस पर पहले ट्रेन आने की सम्भावना हो।
- (ii) तदुपरान्त उसी तरह गेटमैन दूसरी लाइन पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती अवरोध के 5 मीटर दूर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखा, दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात् वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने

के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।

क्रमशः पृष्ठ 13 पर

- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त आने वाली ट्रेन को गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे – वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।
- (iii) संरक्षा बढ़ाने हेतु इस गेट पर 60 सेकेण्ड का डेड एप्रोच लाकिंग का प्रावधान किया गया है। अतः गाड़ी पास होने के बाद या किसी आपात स्थिति में बन्द गेट को खोलने हेतु सिगनल स्वीच नार्मल करने के 60 सेकेण्ड के उपरान्त ही गेट को खोला जा सकेगा। इसके खराब होने पर कार्यरत गेटमैन स्टे.मा. अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

1.6 25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:-

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
- (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।
- (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधे पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।
- (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचे अथवा दोड़ायें।
- (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुएँ जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।
- (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
- (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:-
 - 9. गेट को तुरन्त बंद करें।
 - 10. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे-
 - (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
 - (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।
 - (ग) इंजन के पेटो में खराबी।
 - (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
 - (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
 - (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।

क्रमशः पृष्ठ 14 पर

15. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में **टूटी तारों** एवं बांड को न छुएं।
16. ओ.एच.ई. के **तार टूटने** की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, नियमानुसार बैनर-फलैंग एवं पटाखें लगायें।
17. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनों लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनों तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
- (viii) हाईट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
- (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तों तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
- (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुएं तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।
-

परिशिष्ट 'ए'

भाग – 2

गोण्डा जं० स्टेशन पर स्थित 'ए' श्रेणी के ट्राफिक समपार फाटक सं० 261 के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण

1.15 सामान्य :-

1	समपार फाटक सं०	261 "ए"
2	इंजीनियरिंग/यातायात फाटक	यातायात
3	किसके अधीन स्टेशन अधी०/रेलपथ निरीक्षक	स्टेशन अधीक्षक/गोण्डा
4	किलोमीटर पर स्थित	658/9-659/0
5	स्टेशन पर	गोण्डा जं०
6	स्टेशनों के मध्य	गोण्डा जं० यार्ड
7	बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन	दोहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिये खुला
10	इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	सिगनलो से अन्तर्पाशित
12	गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०	है
	अप दिशा-	658/8-9
	डाउन दिशा-	-
13	संकेतन व्यवस्था	कलर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि	टेलीफोन
15	समपार फाटक की चौड़ाई	7.50 मीटर
16	सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	इमलिया-विमौर रोड
18	पक्का/कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	उपलब्ध
20	सड़क की चौड़ाई	7.50 मीटर
21	सड़क की कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये)	-
	पूर्व/उत्तर की तरफ	90°
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	90°
22	सड़क की ढाल यदि कोई हो	-
	पूर्व/उत्तर की तरफ	1 : 114.20
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	1 : 114.20
23	सड़क की सीधाई (सीधा/गोलाई)	सीधी
	पूर्व/उत्तर की तरफ	90°
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	90°
24	हाईट गेज का प्रावधान	है
25	बैरियर का प्रकार	इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर
26	चेक रेलो की लम्बाई	09.50 मीटर

27	समपार के मध्य सड़क की सतह	पक्का
28	रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई	06.00 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	85430 जनवरी 2020
32	अगली गणना की तिथि	जनवरी/2023
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	उपलब्ध
34	गेटमैनों की संख्या	दो
35	निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र	गोण्डा
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो।	गोण्डा
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हों / नहीं	उपलब्ध

1.4 उपकरण :-

क्रम सं0	विवरण	मात्रा
1	ट्राई कलर टार्च/फलैशिंग टेल लैम्प	03
2	हरी हाथ झण्डी	01 (डण्डे में लगा हुआ)
3	लाल हाथ झण्डी	03 (डण्डे में लगा हुआ)
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चैन(जंजीर)	02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ
7	पटाखा सिगनल	10
8	टामी बार	01
9	मोर्टार पैन (तसला)	01
10	फावड़ा/बेल्टा	01
11	दुरमुट	01(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
12	पिक एक्स :	01(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
13	टिन केस झण्डी के लिये	01
14	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
15	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन :	01
16	टिन केस मस्टर शीट के लिये :	01
17	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
18	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम :	01
19	टोकरी	01
20	सीटी	01
21	दीवार घड़ी	01
22	छोटी चैन ताला चाभीयुक्त	02

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

54. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
55. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
56. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
57. ड्यूटी रोस्टर।
58. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
59. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जॉच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
60. दुर्घटना रजिस्टर।
61. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।

62. निरीक्षण पुस्तिका।
63. जन परिवाद पुस्तिका।
64. संकेत एवं दूर संचार पंजिका

1.4. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-

(क) संचालन पद्धति :-

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर, की व्यवस्था है। समपार फाटक पर प्रवेश रोकने वाला बैरियर तथा निकासी रोकने वाला बैरियर { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } है।

पुश बटन या हैण्ड जनरेटर से इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिये गेट लाज में एक आपरेटिंग पैनल की व्यवस्था है। पैनल पर गेट से सम्बन्धित बूम को बन्द करने के लिए क्लोज बटन एवं खोलने के लिए ओपेन बटन का प्रावधान है। पैनल से सम्बन्धित दोनों बूम के बन्द एवं लाक सुनिश्चित करने के लिये आपरेटिंग पैनल पर दो { बैरियर सं० बी-1 तथा बी-2 } लाल रंग का **बूम लाक प्रूविंग इन्डीकेशन** है। इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियरों को पुश बटन, हैण्ड जनरेटर या मैकेनिकल रूप से संचालित किया जा सकता है।

पुशबटन एवं हैण्ड जनरेटर से संचालन विफल होने की दशा में मैकेनिकल संचालन के समय बारी-बारी से प्रत्येक बैरियर को चलाने के लिये एक क्रेन्क हैण्डिल की व्यवस्था है।

(अ) पुश बटन द्वारा समपार का संचालन:

(क) समपार फाटक को बंद करना :

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को 'आन' स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के बैरियर-1 एवं बैरियर-2 के स्विच को 'आन' स्थिति में रखे।
- (iii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को आटो स्थिति में रखें।
- (iv) आपरेटिंग पैनल द्वारा क्लोज बटन दबाकर दोनों बूम को { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } बन्द करें। क्लोज बटन दबाते ही एक हूटर बजने लगेगा और बूम आपरेट होगा। बूम के बन्द होने एवं स्वतः लाक होने के पश्चात, बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन आपरेटिंग पैनल पर मिलने पर बटन छोड़े।
- (v) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन मिलने पर गेटमैन अप गेट सिगनल सं० (2) को 'आफ' करने के लिये गेट कन्ट्रोल स्विच सं० (2) को 'आर' पोजीशन में घुमायेगा तथा डाउन दिशा से मूवमेन्ट हेतु स्लाट स्विच सं० (1) को 'आर' पोजीशन में घुमाकर स्टेशन मास्टर को स्लाट देगा।

समपार फाटक को बंद होने का संकेत मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण बटन "552" एवं जीएसआरबी बटन को दबाकर समपार को लाक स्थिति में कर देगा। तत्पश्चात गाड़ी के लिए डाउन होम सिगनल सं० एस-1 को "आफ" करेगा। सिगनल "आफ" होने पर गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर से लाक फ्री का सफेद इन्डीकेशन बुझ जायेगा।

(ख) खोलने हेतु :

- (i) समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन सिगनल/स्लाट स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। अप गाड़ी के मामले में सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इन्डीकेशन मिल जायेगा। डाउन गाड़ी के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर, समपार नियंत्रण बटन "552" को जीएसबी बटन के साथ दबाकर समपार रिलीज करेगा। जिससे गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इन्डीकेशन मिल जायेगा।
- (ii) आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इन्डीकेशन प्राप्त होने के बाद दोनों बूम को खोलने के लिए आपरेटिंग पैनल पर उपलब्ध ओपेन बटन को तब तक दबाए जब तक कि पैनल पर बूम का ओपेन इन्डीकेशन न मिल जाए।

(ब) पुश बटन विफलता की स्थिति में हैण्ड जनरेटर से समपार का परिचालन:

(क) बन्द करने हेतु :-

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल को मैनुअल स्थिति में रखें।
- (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के कैंक को क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि दोनों बूम {बी1 व बी2} आपरेट होकर बन्द एवं स्वतः लाक न हो जायें तथा आपरेटिंग पैनल पर दोनो बूम लाक प्रूविंग का लाल इण्डिकेशन आपरेटिंग पैनल पर न मिल जाये।
- (iv) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इण्डिकेशन मिलने पर गेटमैन अप गेट सिगनल सं० (2) को "आफ" करने के लिये गेट कन्ट्रोल स्विच सं० (2) को 'आर' पोजीशन में घुमायेगा तथा डाउन दिशा से मूवमेन्ट हेतु स्लाट स्विच सं० (1) को 'आर' पोजीशन में घुमाकर स्टेशन मास्टर को स्लाट देगा। समपार फाटक को बंद होने का संकेत मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण बटन "552" एवं जीएसआरबी बटन को दबाकर समपार को लाक स्थिति में कर देगा। तत्पश्चात गाड़ी के लिए डाउन होम सिगनल सं० एस-1 को "आफ" करेगा। सिगनल "आफ" होने पर गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर से लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन बुझ जायेगा।

कमश : पृष्ठ 5 पर

(ख) खोलने हेतु

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन सिगनल/स्लाट स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। अप गाड़ी के मामले में सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा। डाउन गाड़ी के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर, समपार नियंत्रण बटन "552" को जीएसबी बटन के साथ दबाकर समपार रिलीज करेगा। जिससे गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा।

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को मैनुअल स्थिति में रखें।
- (iii) सर्वप्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के कैंक को एण्टी क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि बूम पूरा न खुल जायें। गेट पूरा खुल जाने पर आपरेटिंग पैनल पर गेट ओपेन इण्डिकेशन मिल जायेगा।

(स) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर की विफलता के समय :-

(क) समपार को बन्द करने हेतु परिचालन:

पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर की विफलता की दशा में 'सी.एच.जी.2' कैंक हैण्डिल का प्रयोग किया जायेगा जो सामान्यतया 'केएलसीआर' में लाक रहता है। कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण बटन (552) को रिलीज स्थिति में होने पर आपात कालीन नियंत्रण बटन "सी.एच.जी.-2 के साथ जीएसबी बटन को दबायेगा जिससे गेट लाज में लगे लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. पर लाक फ्री प्रतीक जल जायेगा। तब गेट मैन चाभी "आर" को लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/ के.एल.सी.आर. से निकाल लेगा। गेट बन्द करने की प्रक्रिया निम्न विधि से करेगा:-

- (v) चाभी "आर" को गेट लाज में लगे 2वे लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी "सी.एच.जी.-2 मुक्त होगी।
- (vi) गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और कैंक हैण्डिल लगाने के लिए ढक्कन को खोलेगा जिससे कैंक हैण्डिल लगाने के लिए "नाच" दिखाई पड़ेगी। जिससे कैंक हैण्डिल को लगाकर क्लाक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियों के लिए की

जायेगी। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी "सी.एच.जी.-2" को वापस लाक अप बाक्स में लगा देगा और चाभी "आर" को लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. में लगाकर घुमा देगा। बैरियर को कैंक हैण्डिल से बन्द करने के पश्चात् बूम लाक कवर के साइड में बने लाक को पैनल चाभी द्वारा खोलेगा जिससे बूम लाक कवर के साइड में "नाच" दिखाई पड़ता है। "नाच" में बूम लाक कैंक हैण्डिल लगाकर बैरियर को लाक करेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों को बन्द करने के पश्चात् दोनों बूम लाक पर की जायेगी।

कमश : पृष्ठ 6 पर

- (iii) गेटमैन गेट के बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित होने के बाद गेटमैन अप गेट सिगनल सं० (2) को "आफ" करने के लिये गेट कन्ट्रोल स्विच सं० (2) को 'आर' पोजीशन में घुमायेगा तथा डाउन दिशा से मूवमेन्ट हेतु स्लाट स्विच सं० (1) को 'आर' पोजीशन में घुमाकर स्टेशन मास्टर को स्लाट देगा। समपार फाटक के बंद होने का संकेत मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण बटन "552" एवं जीएसआरबी बटन को दबाकर समपार को लाक स्थिति में कर देगा। तत्पश्चात् गाड़ी के लिए डाउन होम सिगनल सं० एस-1 को "आफ" करेगा। सिगनल "आफ" होने पर गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर से लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन बुझ जायेगा।

(ख) समपार को खोलने हेतु परिचालन:

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त गेटमैन गेट लाज में प्रदत्त गेट कन्ट्रोल स्विच को नार्मल स्थिति में करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण बटन (552) को रिलीज स्थिति में होने पर आपात कालीन नियंत्रण बटन "सी.एच.जी.-2" के साथ जीएसबी बटन को दबायेगा जिससे गेट लाज में लगे लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. पर लाक फ्री प्रतीक जल जायेगा। तब गेट मैन चाभी "आर" को लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. से निकाल लेगा। गेट खोलने की प्रक्रिया निम्न विधि से करेगा:-

- (i) चाभी "आर" को गेट लाज में लगे 2वे लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी "सी.एच.जी.-2" मुक्त होगी।
- (ii) सर्वप्रथम बूम लाक को रिलीज किया जायेगा तत्पश्चात् कैंक हैण्डिल द्वारा बैरियर को खोला जायेगा। गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और कैंक हैण्डिल लगाने के लिए ढक्कन को खोलेगा जिससे कैंक हैण्डिल लगाने के लिए "नाच" दिखाई पड़ेगी। जिससे कैंक हैण्डिल को लगाकर एंटी क्लक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों के लिए की जायेगी। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी "सी.एच.जी.-2" को वापस लाक अप बाक्स में लगा देगा और चाभी 'आर' को लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. में लगाकर घुमा देगा और सूचना स्टेशन मास्टर को देगा।

(द) गेट पर लगे लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. से "आर" चाभी न निकालने की दशा में संचालन:-

(क) समपार का बन्द करने हेतु परिचालन:

- (i) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर दोनों की विफलता की स्थिति में यदि गेट की चाभी लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर एस.एम. पैनल कक्ष में लगे पार्किंग एच.के. टी. में लगी आरई चाभी को निकाल कर किसी परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा कार्यरत गेटमैन के पास गेट लाज पर भेजेगा।

कमश : पृष्ठ 7 पर

- (iii) आरई चाभी के प्राप्त होने पर कार्यरत गेटमैन चाभी आरई को गेट लाज में लगे 2वें लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी "सीएचजी-2" मुक्त होगी।
- (iv) गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और क्रेन्क हैण्डिल लगाने के लिए ढक्कन को खोलेगा जिससे क्रेन्क हैण्डिल लगाने के लिए "नाच" दिखाई पड़ेगी। जिससे क्रेन्क हैण्डिल को लगाकर क्लक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों के लिए की जायेगी। गेटमैन गेट के बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित होने के बाद इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को देगा। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी "सीएचजी-2" को वापस लाक अप बाक्स में लगा देगा और चाभी आरई को वापस एस.एम. पैनल कक्ष में लगे पार्किंग एच.के.टी. में लगा दिया जायेगा।
- (v) गेटमैन गेट के बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित होने के बाद गेटमैन अप गेट सिगनल सं० (2) को "आफ" करने के लिये गेट कंट्रोल स्विच सं० (2) को 'आर' पोजीशन में घुमायेगा तथा डाउन दिशा से मूवमेन्ट हेतु स्लाट स्विच सं० (1) को 'आर' पोजीशन में घुमाकर स्टेशन मास्टर को स्लाट देगा। समपार फाटक को बंद होने का संकेत मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण बटन "552" एवं जीएसआरबी बटन को दबाकर समपार को लाक स्थिति में कर देगा। तत्पश्चात गाड़ी के लिए डाउन होम सिगनल सं० एस-1 को 'आफ' करेगा। सिगनल 'आफ' होने पर गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर से लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन बुझ जायेगा।
- (ख) समपार को खोलने हेतु परिचालन:
- (i) पैरा 1.4 के (स) के उप पैरा (ख) में दी गयी प्रक्रिया करने पर आर चाभी के न निकलने की दशा में गेटमैन गेट लाज में प्रदत्त गेट कंट्रोल स्विच को नार्मल स्थिति में करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर एस.एम. पैनल कक्ष में लगे पार्किंग एच.के.टी. में लगी आरई चाभी को निकाल कर किसी परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा कार्यरत गेटमैन के पास गेट लाज पर भेजेगा।
- (ii) आरई चाभी के प्राप्त होने पर कार्यरत गेटमैन चाभी आरई को गेट लाज में लगे 2वें लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी 'सीएचजी-2' मुक्त होगी। कार्यरत गेटमैन 'सीएचजी-2' चाभी द्वारा गेट को खोल कर वापस 2वें लाक अप बाक्स में लगाकर आरई चाभी को मुक्त कर हस्त नियंत्रित रूप से स्टेशन को वापस करेगा कार्यरत स्टेशन मास्टर आरई चाभी को पुनः पार्किंग एच.के.टी. में लगाना सुनिश्चित करेगा।

(य) स्लाइडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति :-

(क) समपार बन्द करने हेतु:-

- (i) जब समपार फाटक को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार पर लगाए गए स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा।

क्रमशः : पृष्ठ 8 पर

- (ii) स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पहले कार्यरत स्टेशन मास्टर/गेटमैन के बीच अलग से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
- (iii) स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ संगत चाभी बी3-बी4 वेल्ड है। स्लाइडिंग बूम बैरियर के 2 वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी बी3-बी4 को लगाकर घुमाने से सम्बन्धित बूम लाक हो जायेंगे तथा क्रमशः चाभी एम1 एवं एम2 रिलीज हो जायेगी।
- (iv) 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी एम1 एवं एम2 को 3वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी 'एम' रिलीज होगी। कार्यरत गेटमैन इस चाभी को गेटलाज में लगे के.एल.सी.आर. में लगाकर घुमायेगा एवं कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। गेटमैन अप गेट सिगनल सं० (2) को "आफ" करने के लिये गेट कंट्रोल स्विच सं० (2) को 'आर' पोजीशन में घुमायेगा। सिगनल 'आफ' हो जाने के पश्चात गेटलाज में लगे के0एल0सी0आर0 से चाभी 'एम' को नहीं

निकाला जा सकेगा। गेटमैन डाउन दिशा से मूवमेन्ट हेतु स्लाट स्विच सं० (1) को 'आर' पोजीशन में घुमाकर स्टेशन मास्टर को स्लाट देगा।

- (v) समपार फाटक के बंद होने का स्लाट मिलने पर पर कार्यरत स्टेशन मास्टर, समपार नियंत्रण स्विच को 'लाक' स्थिति में करेगा एवं समपार के बन्द होने की पुष्टि पैनल पर सफेद इंडिकेशन मिल जायेगा। इसके पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर डाउन गाड़ी के लिए डाउन होम सिगनल सं० एस-1 "आफ" करेगा। सिगनल 'आफ' हो जाने के पश्चात गेटलाज में लगे के०एल०सी०आर० से चाभी 'एम' को नहीं निकाला जा सकेगा।

(ख) समपार खोलने हेतु :-

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त गेटमैन गेट लाज में प्रदत्त गेट कन्ट्रोल स्विच को नार्मल स्थिति में करेगा। डाउन गाड़ी के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण स्विच को 'रिलीज' स्थिति में करेगा। जिससे गेट लाज में गेट रिलीज का इंडिकेशन जल जायेगा। गेट रिलीज का इंडिकेशन मिलने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन चाभी 'एम' के०एल०सी०आर० से निकालकर 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में में लगायेगा। चाभी 'एम' 3वे लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी एम1 एवं एम2 मुक्त होगी। 3वे लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी एम1 एवं एम2 को 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी बी3 एवं बी4 को रिलीज करेगा इसके उपरान्त कार्यरत गेटमैन इस चाभी की सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समापर को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

(र) समपार नियंत्रण बटन:

डाउन गाड़ी के आगमन पर समपार के नियंत्रण के लिये '552' बटन पैनल पर लगाया गया है। गेट खोलने के लिये "552" एवं जीएसबी बटन दबाने से रिलीज के उपर लगी लाल बत्ती जल जायेगी एवं गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री इंडिकेशन जल जायेगा। गेट को लाक करने के लिये "552" एवं जीएसआरबी बटन दबाने पर लाक के ऊपर लगी सफेद बत्ती जल जायेगी एवं गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इंडिकेशन बुझ जायेगा।

कमश : पृष्ठ 9 पर

नोट: I- आपात कालीन स्विच :

आपातकाल के समय गेट रक्षित सिगनलों को आन स्थिति में करने के लिये गेट लाज में एक स्विच का प्रावधान है। यह स्विच एक ग्लास केस में लगा है। केस ताला बंद व सील रहता है। आपात स्थिति में गेट रक्षित सिगनलों को "आन" करने के लिए गेट मैन ग्लास केस के सामने लगे शीशे को तोड़कर स्विच को घुमायेगा। ऐसा करने से गेट रक्षित सिगनल "आन" दशा में हो जायेगें। आपात स्थिति समाप्त हो जाने पर स्विच को नार्मल कर देगा। केस में नया शीशा लगा दिया जायेगा।

II-विद्युतीय नियंत्रण विफलता पर गेट का संचालन :

समपार पर सी०एच०जी०-2 की विद्युत नियंत्रण की विफलता के समय आपात कालीन चाभी 'आरई' का प्रावधान है। यह चाभी स्टेशन मास्टर कार्यालय (पैनल रूम) में लगे सील्ड एवं ताला बन्द केस में लगी एच०के०टी० में लाकड रहती है। सी०एच०जी०-2 की पैनल से विद्युत नियंत्रण की विफलता की स्थिति में विद्युत लिफ्टिंग बैरियर के संचालन हेतु चाभी 'आरई' परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा गेट पर भेजी जाती है इस चाभी को निकालने से गेट रक्षित सिगनल 'आन' स्थिति में हो जाते/रहते हैं। विफलता ठीक होने पर पुनः एच०के०टी० में लगा दी जाती है तथा ग्लास केस सील्ड एवं ताला बंद कर दिया जाता है।

(ख) गेटमैन को सूचना :-

- (i) डाउन गाड़ियों के आगमन तथा अप गाड़ियों के प्रस्थान के लिये इस समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके लाक करने के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन को निम्न सूचनाएं देगा एवं स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे :-

सामान्य स्थिति में :-

तिथि	गाड़ी संख्या व विवरण	सूचना का समय	गेटमैन द्वारा गेट बंद करके स्लाट देने/ सिगनल ऑफ करने का समय	स्लाइडिंग बूम से कार्य करते समय प्रा.नं० का आदान प्रदान		समपार से गाड़ी पास होने का समय	स्टेशन मास्टर/ गेटमैन का हस्ताक्षर	टिप्पणी
				गेटमैन का प्रा.नं०	स्टेमा का प्रा.नं.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गेट विफल होने की स्थिति में :-

इण्टरलाक गेट विफल होने की स्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान की कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

तिथि	गाड़ी का नम्बर एवं विवरण	गेट से पास होने का सम्भावित समय	सूचना मिलने/देने का समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा समपार के बन्द व लाक होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गाड़ी पास होने का समय	स्टेशन मास्टर/ गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (ii) डाउन गाड़ियों के आगमन के मामले में इण्डिकेशन मिल जाने के पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण बटन 552 व जीएसआरबी बटन को एक साथ दबाकर समपार को लाक स्थिति में कर देगा। ऐसा करने पर समपार नियंत्रण बटन के ऊपर एक सफेद लघु बत्ती समपार फाटक बन्द व लाक है, की पुष्टि स्वरूप जल जायेगी तत्पश्चात स्टेशन मास्टर गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल "आफ" करेगा।
- (iii) स्टेशन मास्टर का यह दायित्व है कि गेटमैन को सूचित करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि गाड़ी प्रस्थान के लिए तैयार है सड़क यातायात अधिक देर तक समपार पर रुका न रहे।
- (iv) जब किसी गाड़ी को स्टेशन से/को यार्ड से/में पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट इस समपार के आर-पार करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी फाटक को सड़क यातायात के लिए बन्द व लाक होना सुनिश्चित करेगा तथा उसके पश्चात ही समपार फाटक को पार करेगा।

कमश : पृष्ठ 10 पर

(सी) टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :-

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर, पोर्टर/कांटावाला द्वारा गेटमैन को लिखित रूप से पूर्ण विवरण, संख्या एवं गाड़ी की दिशा के बारे में सूचित करेगा।
- (ii) कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर से लिखित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द कर अप गाड़ी के लिए सिगनल आफ करेगा तथा डाउन गाड़ी के लिए स्टेशन मास्टर को स्लाट देगा। गेट का बन्द एवं लाक इण्डिकेशन प्राप्त होने के उपरान्त कार्यरत स्टेशन मास्टर डाउन गाड़ी हेतु होम सिगनल सं० एस-1 'आफ' करेगा।
- (iii) ट्रेनों की अधिकता के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा कार्यरत गेटमैन को सूचित करना सम्भव न हो सके तो वह अप गाड़ी के ड्राइवर को लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने हेतु तथा गेटमैन के हाथ सिगनल के अनुसार समपार पार करने का सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (iv) आने वाली गाड़ी के केस में स्टेशन मास्टर भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- (v) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त गाड़ी को भेजेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।

(vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(डी) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता :-

- (i) जब इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।
- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा। तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।
- (iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।

कमश : पृष्ठ 11 पर

(viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ई) ‘गेट की चाभी’ का गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब ‘गेट की चाभी’ खोलने के लिये न निकाली जा सके :-

- (i) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर दोनों की विफलता की स्थिति में यदि गेट की चाभी लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) ‘गेट की चाभी’ का गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब ‘गेट की चाभी’ खोलने के लिये न निकाली जा सके। इस परिस्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर एस.एम. पैनल कक्ष में लगे पार्किंग एच.के.टी. में लगी ‘आरई’ चाभी को निकाल कर कार्यरत गेटमैन के लिए हस्त नियन्त्रित रूप में गेट लाज पर भेजेगा। कार्यरत गेटमैन चाभी ‘आरई’ को गेट लाज में लगे 2वे लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी “सीएचजी-2 मुक्त होगी।
- (iii) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर की विफलता की स्थिति में 2वे लाकअप बाक्स से सीएचजी-2 चाभी नहीं निकलने की परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(एफ) समपार फाटक की खुली दशा में ‘गेट चाभी’ की विफलता :-

- (i) 'गेट की चाभी' का गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना जब 'गेट की चाभी' बन्द करने के लिये न निकाली जा सके। इस परिस्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर एस.एम. पैनल कक्ष में लगे पार्किंग एच.के.टी. में लगी 'आरई' चाभी को निकाल कर कार्यरत गेटमैन के लिए हस्त नियन्त्रित रूप में गेट लाज पर भेजेगा। कार्यरत गेटमैन चाभी 'आरई' को गेट लाज में लगे 2वें लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी "सीएचजी-2" मुक्त होगी। कार्यरत गेटमैन "सीएचजी-2" चाभी द्वारा गेट को बन्द कर वापस 2वें लाक अप बाक्स में लगाकर 'आरई' चाभी को मुक्त कर हस्त नियन्त्रित रूप से स्टेशन को वापस करेगा कार्यरत स्टेशन मास्टर 'आरई' चाभी को पुनः पार्किंग एच.के.टी. में लगाना सुनिश्चित कर ही सिगनल आफ करेगा।
- (ii) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर दोनों की विफलता की स्थिति में यदि लाकअप बाक्स से गेट चाभी निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (iii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक मानकर गाड़ियों के आगमन व प्रस्थान की प्रक्रिया नान-इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशों के अनुसार करेगा। गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा तथा गाड़ी को हाथ संकेत पर पास करेगा।

कमश : पृष्ठ 12 पर

- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गाड़ियों को ब्लाक खण्ड में प्रवेश कराने के पूर्व 'गेट खुली दशा में खराब है' के लिये सतर्कता आदेश जारी करने के लिये सूचित करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो लाकअप बाक्स की मरम्मत करते हैं, को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दें।

(छ) समपार फाटक पर अवरोध :-

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (ii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iii) कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को आगमन/प्रस्थान सिगनल यदि किसी ट्रेन के लिये 'आफ' किया गया हो तो उसको 'आन' करने के लिये सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (v) गेटमैन पटाखा, दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है तथा गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।
- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक गाड़ी नहीं चलायेगा जबतक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जब तक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जायें।
- (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन, कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान से सूचित करेगा।
- (x) कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई अवरोध न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ते हुये समपार को गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।

- (xi) यदि समपार फाटक बाधित नहीं है तब गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।
- (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त संयोजन/फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

(ज) समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध :-

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ किसी पेड़ इत्यादि के गिरने के कारण अवरुद्ध होना, सड़क वाहन द्वारा अवरुद्ध अथवा गाड़ी का अवपथन होना जो गेटमैन को दिखाई दे रहा है, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर 'समपार फाटक पर अवरोध' में ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि अवरोध समपार गेट को बाधित कर रहा है तो गेटमैन को सड़क यातायात के लिये गेट को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेलपथ से अवरोध हटा न लिया जाये।

1.1 गेटमैन के कर्तव्य :-

(1) सावधानी :-

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा:-

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेटमैन दौंये हाथ में लाल झण्डी तथा बाँये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेटमैन गले में धागे में बाँधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-

- (i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।
- (ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोजर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
- (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।

क्रमशः पृष्ठ 14 पर

- (iv) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सिल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (v) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।

- (vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
- (vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (viii) जब गेटमैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (ix) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।
- (x) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
- (xii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiii) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।
- (xiv) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
- (xv) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/ पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनों तरफ लगाये गये "हाइट लोडिंग गेज" के नीचे से गुजरे।
- (xvi) जहाँ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4). ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा :-

- (i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन रोक हैण्ड सिग्नल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

कमशः पृष्ठ 15 पर

- (v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा इसकी सूचना देगा।

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ बैनर फ्लैग लगायेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-

((अ) दोहरी लाइन पर :-

- (i) यदि दोनों लाइनें अवरुद्ध हैं तो गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूरी पर निर्धारित स्थान पर

लगायेगा। गेटमैन पहले उस लाइन को संरक्षित करेगा, जिस पर पहले ट्रेन आने की सम्भावना हो।

- (ii) तदोपरान्त उसी तरह गेटमैन दूसरी लाइन पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती अवरोध के 5 मीटर दूर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखा, दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात् वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त आने वाली ट्रेन को गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

क्रमशः पृष्ठ 16 पर

(ब) गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-

- (i) यदि समपार फाटक किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे - वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।
- (iii) संरक्षा बढ़ाने हेतु इस गेट पर अप दिशा में गेट रिलीज सर्किट में 60 सेकेण्ड का डेड एप्रोच लाकिंग का प्रावधान किया गया है। अतः अप गाड़ी पास होने के बाद या किसी आपात स्थिति में बन्द गेट को खोलने हेतु सिगनल स्वीच नार्मल करने के 60 सेकेण्ड के उपरान्त ही गेट को खोला जा सकेगा। इसके खराब होने पर कार्यरत गेटमैन स्टे.मा. अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

1.6 25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:-

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
- (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।
- (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधे पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।
- (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचे अथवा दौड़ाये।
- (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुएँ जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।
- (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
- (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:-
11. गेट को तुरन्त बंद करें।

12. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे—
 (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
 (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।
 (ग) इंजन के पेंटो में खराबी।
 (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
 (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
 (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।
18. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में **टूटी तारों** एवं बांड को न छुएँ।
19. ओ.एच.ई. के **तार टूटने** की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, नियमानुसार बैनर-प्लैग एवं पटाखें लगायें।
20. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनों लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनों तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
- (viii) हाईट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
- (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तों तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
- (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुएँ तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

परिशिष्ट – सी

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

.....कुछ नहीं

परिशिष्ट 'डी'

परिचालन कार्यों के लिये कर्मचारियों का सामान्य उत्तरदायित्व

साधारण एवं सहायक नियमों में निर्धारित कर्तव्यों तथा प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अतिरिक्त सम्बन्धित स्टेशन कर्मचारी दैनिक संचालन कार्यों में निम्नलिखित सामान्य कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी होंगे :-

1. स्टेशन अधीक्षक (पर्यवेक्षक) :-

गाड़ी संचालन तथा जनता के समस्त कार्यों के सम्बन्ध में स्टेशन अधीक्षक सीधे उत्तरदायी होंगे। ड्यूटी पर कार्यरत रहने पर निर्धारित साफ सुथरी वर्दी धारण करेगा। इसके साथ ही उनके कर्तव्य में निम्न भी सम्मिलित हैं:-

- 1.1 स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा सामान्य एवं सहायक नियम व स्टेशन संचालन नियमावली के अनुसार सुपुर्द कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन सुनिश्चित कराना एवं सामान्य पर्यवेक्षण करना।
- 1.2 सभी श्रेणी के कर्मचारी अपने रोस्टर के अनुसार कार्य कर रहे हैं व उनके द्वारा वर्तमान नियमों एवं अनुदेशों के अनुसार सही एवं संरक्षित कार्य पद्धति अपनाई जा रही है इसे सुनिश्चित करने हेतु आवधिक जांच करेगा साथ ही ट्रेन पार्सिंग स्टाफ की उपस्थिति पर भी नजर रखेगा एवं यह भी देखेगा कि उसके सभी कर्मचारी साफ सुथरी व निर्धारित यूनीफार्म में आएं।
- 1.3 समय-समय पर निकलने वाले संरक्षा एवं परिचालन से सम्बन्धित परिपत्रों, पम्पलेटो, गजेटो, सभी नियम पुस्तिकाएं एवं एस.डब्ल्यू.आर. को नवीनतम शुद्धि पर्ची लगाकर अद्यतन अपने पास तथा यार्ड में कार्यरत कर्मचारियों के पास रखेगा तथा नियमों की जानकारी रखेगा। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जानकारी देने के पश्चात उनका आश्वासन लेकर ही उन्हें स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की अनुमति देगा।
- 1.4 आवधिक परीक्षण एवं जांच करके यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों को उनसे सम्बन्धित कार्यों का पूर्णरूपेण ज्ञान है।
- 1.5 रात्रि, औचक एवं सघन निरीक्षण द्वारा स्टाफ की सर्तकता तथा सिगनलो एवं कॉटो की क्रियाशीलता एवं सिगनलों की दृश्यता जाँचना व रिपोर्ट करना।
- 1.6 प्रत्येक दिन स्टेशन का निरीक्षण कर निम्न की क्रियाशीलता सुनिश्चित करेगे :-
 - सभी यात्री सुविधायें जैसे पंखा, बत्ती, लिफ्ट, एस्कलेटर्स इत्यादि।
 - सभी उपकरण क्रियाशील हैं तथा खराबी को तुरन्त ठीक कराया गया हो या लघु मरम्मत पुस्तिका में अंकित हों।
 - गाड़ियों का संरक्षित एवं सुरक्षित परिचालन।
 - पैनल कक्ष/स्टेशन मास्टर कार्यालय, पार्सल कार्यालय/गुड्सशेड, यार्ड, कोचिंग काम्प्लेक्स, अधीनस्थ समपार फाटक।
 - आरक्षण इन्क्वायरी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पब्लिक इन्फार्मेशन डिस्प्ले सिस्टम, बुकिंग आफिस, टिकट चेकिंग, कैटरिंग एवं वेण्डिंग स्टाल इत्यादि।
 - पीने वाले पानी की उपलब्धता।
- 1.7 सुनिश्चित करना कि पावर केबिन में टी.एस.आर., नियम पुस्तिकायें, स्टेशन मास्टर डायरी, निरीक्षण पुस्तिकायें, सम्बन्धित किताबें तथा अन्य स्टेशन रिकार्ड्स का रखरखाव समुचित ढंग से व न्यूनतम निर्धारित अवधि तक संरक्षित रख कर किया जा रहा है।
- 1.8 सुनिश्चित करना कि स्टेशन पर सभी आवश्यक संरक्षा उपकरण उपलब्ध एवं पूर्ण हैं, अपूर्ण होने की दशा में अविलम्ब आपूर्ति कराते हुये, यार्ड तथा यार्ड उपकरणों का आवधिक परीक्षण करना।
- 1.9 सुनिश्चित करना कि स्टेशन पर आवश्यकतानुसार पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है। वह विलम्बित गाड़ी को ध्यान में रखते हुये आवश्यक होने पर स्कैच रेक हेतु कार्यवाही करेंगे तथा अपने स्टेशन पर उपलब्ध/आवृत्ति रिजर्व स्टाक कि निगरानी करेंगे।

कमश पृष्ठ 2 पर

- 1.10 आश्वासन पंजिका, प्रवीणता प्रमाण-पत्र तथा स्टेशन कार्यप्रणाली का समुचित ढंग से रख-रखाव सुनिश्चित करना।
- 1.11 व्यक्तिगत रुचि लेकर टूप्स, पब्लिक, प्रिजनर व ट्रेजरी इत्यादि कैरेजों का शीघ्रता से निष्पादन करेगा।
- 1.12 जब कभी विशेष गाड़ी स्टेशन से चलाया जाना प्रस्तावित हो तो यह सुनिश्चित करना कि उसके लिये निर्धारित स्टाक सही लाइन पर समय से उपलब्ध कराकर संरक्षित कर दिया गया हो।
- 1.13 किसी गाड़ी के स्टेशन पर अथवा स्टेशन के बाहर विलम्बन की दशा में जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये विस्तृत रिपोर्ट बनाकर मण्डल कार्यालय को भेजना।
- 1.14 सुनिश्चित करना कि सभी परिचालन कर्मचारी जिनका पी०एम०ई०/रिफ्रेशर/सेपटी कैम्प ड्यू हो समय से विरामित कर दिये गये हो।
- 1.15 वह स्टेशन और पावर केबिन का विभिन्न निरीक्षण करेगा जैसा कि नियमों में उल्लेख हो तथा समय-समय पर निर्देशित किया गया हो। सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की जाँच कर उसकी रिपोर्ट मण्डल कार्यालय को भेजना।
- 1.16 दुर्घटना स्थल पर शीघ्र पहुँचना व समय से सभी सूचनाएं एकत्र कर कंट्रोल को सूचित कर आवश्यक सहायता माँगना तथा दुर्घटना स्थल की जाँच कर सभी जिम्मेदार कर्मचारियों के बयान लेकर अपने निष्कर्ष के साथ ज्वाइन्ट रिपोर्ट एवं जी-3 बनाकर मण्डल कार्यालय को भेजना।
- 1.17 सुनिश्चित करना कि स्टेशन पर उपलब्ध आग बुझाने वाले यन्त्र जैसे अग्निशामक यन्त्र एवं आग बुझाने वाली बाल्टियाँ इत्यादि प्रयोग करने हेतु क्रियाशील अवस्था में हैं।
- 1.18 दुर्घटना बचाने और कार्य को सुरक्षित और सही विधि से लागू करने के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना एवं दुर्घटना रजिस्टर व दुर्घटना चार्ट का रखरखाव कर इन्हें अद्यतन रखना।

- 1.19 सभी जन शिकायतों की जाँच करना तथा सम्बन्धित कर्मचारी का स्पष्टीकरण लेकर अपने रिकार्ड के साथ मण्डल कार्यालय को समय से प्रेषित करना। दूसरे विभाग से सम्बन्धित शिकायत के मामले में उस विभाग के प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु तुरन्त सूचित करने की व्यवस्था करे जिससे इसकी पुनरावृत्ति न हो।
- 1.20 जब और जैसे स्टेशन प्रबन्धक द्वारा आदेशित किया जाये वह प्रोटोकाल ड्यूटी को भी पूरा करेगा।
- 1.21 वह वी.आई.पी./अधिकारी सैलून के संयोजन/वियोजन को व्यक्तिगत तौर पर अटेंड करेगा।
- 1.22 वह स्टेशन या ब्लाक सेक्शन की ब्लाकिंग मेन लाइन सहित सभी दुर्घटनाओं को अटेंड करेगा।
- 1.23 वह वर्क आर्डर एडवाइज में उल्लिखित सभी शंटिंग आपरेशनों हेतु निर्देश देगा।
- 1.24 वह ट्रेन वर्किंग स्टाफ के मैनेजमेंट का उत्तरदायी होगा।
- 1.25 यह देखना उसकी जिम्मेदारी होगी कि शड्यूल प्लेटफार्म पर ही गाड़ियाँ रिसीव की जायें और समुचित रिकार्ड रखा जाये।

2. स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर/आउटडोर(स्टेशन पर) :-

स्टेशन अधीक्षक को उसके कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों के सुचारु रूप से पूरा करने में सहायता करना तथा उनकी अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों को करना और यह देखना कि अपने अधीन कार्यरत मेन स्टेशन, और कोचिंग यार्ड के सभी कर्मचारियों द्वारा कार्य कुशलतापूर्वक लागू नियमों के अनुसार किये जा रहे हैं। स्टेशन संचालन नियम में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को पूरा करना। कार्यरत रहने पर निर्धारित साफ सुथरी वर्दी धारण करेगा। इसके साथ-साथ इनके कर्तव्य में निम्न भी सम्मिलित हैं :-

- 2.1 यात्री गाड़ियों का समय पालन, सवारी डिब्बों का परिचालन तथा पार्सल क्लीयरेंस का पर्यवेक्षण करना।
- 2.2 गाड़ियों में गार्ड बाक्स, पी०सी०पी० का समय से लोडिंग सुनिश्चित करना।

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

- 2.3 शंटिंग मास्टर को कोचिंग यार्ड में प्लेटफार्म पर रेको के प्लेसमेंट और उनके रिमूवल हेतु निर्देश देगा।
- 2.4 वह स्टार्ट की अनुमति सम्बन्धी साधारण एवं सहायक नियम 4.35 के अनुपालन के लिये उत्तरदायी होगा इसके लिये वह गाड़ियों को स्वयं अटेंड करेगा।
- 2.5 कन्ट्रोल से सम्पर्क स्थापित करके सेना स्पेशल, पब्लिक स्पेशल ट्रेने, अतिरिक्त कोचों के आगमन/प्रस्थान तथा निरीक्षण यानों के मूवमेंट को सुपरवाइज करेगा।
- 2.6 स्टेशन अधीक्षक की अनुपस्थिति में वह सामान्य सुपरविजन करेगा और उनको सम्बोधित सभी तारों एवं सूचनाओं को निपटाना तथा यह देखना कि उस पर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- 2.7 वह यह देखेगा कि उसके अधीनस्थ सभी कर्मचारी साफ सुथरी और निर्धारित यूनीफार्म में आये। वह अपने कार्यकाल में की गयी जन शिकायतों को भी निपटायेगा।
- 2.8 स्टेशन मास्टर/इनडोर से आपसी सामन्जस्य बनाकर व सहयोग करते हुये गाड़ियों का समय से संचालन व परिचालन कार्य हेतु उत्तम योजना बनाना एवं असमान्य कार्य प्रणाली में सहायता करना।
- 2.9 इस स्टेशन से चलने वाली/इस स्टेशन तक आने वाली गाड़ियों का सही समय से प्लेसमेंट/विथड्राल होना सुनिश्चित कर इस विषय का रिकार्ड रखना और वर्कआर्डर नोटिस में दिये गये निर्देशों के अनुसार शंटिंग मूवमेंट सुनिश्चित करना। स्टेशन डायरी, कोचिंग आदेश पुस्तिका, स्टेशन आदेश पुस्तिका, ट्रेन डिटेन्शन रजिस्टर को अद्यतन रखना एवं मेंमों बुक को सम्भालना।
- 2.10 इस स्टेशन पर रुकने वाली सभी गाड़ियों का निर्धारित अवधि में प्रस्थान होना सुनिश्चित करना।
- 2.11 यार्ड में होने वाली सभी दुर्घटनाओं को अटेंड कर समय से सभी सूचनाएं एकत्र कर क्षेत्रीय प्रबन्धक, स्टेशन अधीक्षक तथा कन्ट्रोल को सूचित कर आवश्यक सहायता माँगना तथा कन्ट्रोल के आदेशानुसार आवश्यकतानुसार सिविल अथारटी को भी सूचित करना एवं दुर्घटना से सम्बन्धित सूत्रो अथवा साक्ष्यों को जो दुर्घटना जाँच में सहायक हो, को सुरक्षित रखना।
- 2.12 आकस्मिक दशा में पावर केबिन पर कार्य करना।
- 2.13 पर्यवेक्षकों से प्राप्त अनुदेशों को आदेश पुस्तिका में रिकार्ड कर सभी अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करना बशर्ते यह अनुदेश संरक्षा नियमों की अवहेलना न करते हो।
- 2.14 जब कभी विशेष गाड़ी स्टेशन से चलाया जाना प्रस्तावित हो तो यह सुनिश्चित करना कि उसके लिये निर्धारित स्टाक सही लाइन पर समय से उपलब्ध कराकर संरक्षित कर दिया गया हो।
- 2.15 सवारी गाड़ियों के शंटिंग कार्य का निष्पादन व पर्यवेक्षण करना।
- 2.16 ट्रेन्स ब्रान्च के कार्यों का पर्यवेक्षण व स्टेशन अधीक्षक का समयानुकूल सहयोग करना।
- 2.17 मण्डलीय नियंत्रक से सम्पर्क बनाये रखना तथा नियंत्रण कार्यालयों से प्राप्त सभी आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- 2.18 ट्रैक सर्किट विफलता की स्थिति में पावर केबिन सुपरवाइजर द्वारा सूचित किये जाने पर ट्रैक का व्यक्तिगत निरीक्षण करके लाइन का बाधा रहित होना सुनिश्चित करने के बाद पावर केबिन सुपरवाइजर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करना।

- 2.19 कोचिंग यार्ड में खड़े वाहन/वैगनों को साधारण नियम 5.23 के अनुसार भली प्रकार से सुरक्षित कर दिया जाना सुनिश्चित करना।
- 2.20 अपने पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं होगा। रिलीफ द्वारा चार्ज ग्रहण किये बगैर ड्यूटी नहीं छोड़ेगा और न ही पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी बदलेगा।
- 2.21 वह वी.टी.ओ. देखकर आवश्यकतानुसार फाग सिगनल का लगाया जाना सुनिश्चित करेगा तथा पावर केबिन को भी सूचित करेगा।
- 2.22 वह वरिष्ठ परिचालन प्रबन्धक/वरिष्ठ परिचालन प्रबन्धक(सामान्य)/क्षेत्रीय प्रबन्धक और स्टेशन अधीक्षक द्वारा सौंपी गयी ड्यूटी का निष्पादन करेगा।

कमश पृष्ठ 4 पर

3. स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर/इनडोर (स्टेशन पर) :-

कार्यरत स्टेशन मास्टर/इनडोर, स्टेशन मास्टर (आउटडोर) और पावर केबिन सुपरवाइजर के दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहायता करना तथा प्रशासनिक व कंट्रोल टेलीफोन को सुनना तथा बतलाना एवं स्टेशन कार्य प्रणाली के सामान्य भाग में अंकित गाड़ी संचालन हेतु भी जिम्मेदार होगा। स्टेशन संचालन नियम में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को पूरा करना। वह खण्ड गाड़ी नियन्त्रक व कर्षण नियन्त्रक के सम्पर्क में रहेगा। कार्यरत रहने पर निर्धारित साफ सुथरी वर्दी धारण करेगा। इसके अलावा उसके कर्तव्यों में निम्न कार्य भी सम्मिलित होंगे:-

- 3.1 सेक्शन ट्रेन कंट्रोलर तथा पावर केबिन सुपरवाइजर से बराबर सम्पर्क रखेगा तदनुसार सम्भावित गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान की अधिसूचना देने के लिये जिम्मेदार होगा।
- 3.2 स्टेशन डायरी, लागबुक, स्टेशन आदेश पंजिका, कोचिंग आदेश पंजिका, सैलून आदेश पुस्तिका और अन्य पुस्तिका रजिस्टर जो गाड़ी संचालन से सम्बन्धित है रख रखाव करेगा।
- 3.3 वह सभी प्रशासनिक/नियन्त्रक टेलीफोन से प्राप्त होने वाली आदेशों/निर्देशों को नोट करेगा तथा उसे सम्बन्धित को जानकारी में देने हेतु जिम्मेदार होगा।
- 3.4 सभी गाड़ियों के इन तथा आउट रिपोर्ट, डिटेन्शन विवरण के साथ अलग-अलग नियन्त्रकों को देगा।
- 3.5 वह सभी तार/प्रपत्रो/मेमो को जो स्टेशन अधीक्षक के लिए जारी किये गये हैं, को प्राप्त करेगा तथा उसके कार्यान्वयन हेतु सम्बन्धित को जानकारी में देगा। इसके अलावा वह स्टेशन अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी तारों/मेमो को जारी करेगा।
- 3.6 अन्तर्पाशन की विफलता की दशा में पावर केबिन द्वारा प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा अधिकृत किये जाने पर आवश्यकतानुसार आगमन/प्रस्थान करने वाली गाड़ी हेतु (टी-369(3बी)) तैयार करना तथा लोको पायलट को देना।
- 3.7 गार्डों से प्राप्त डिटेन्शन मेमो का विवरण नियन्त्रण कार्यालय को देना।
- 3.8 किसी दुर्घटना की स्थिति में तुरन्त सेक्शन कंट्रोलर एवं स्टेशन अधीक्षक को सम्बन्धित सभी उपलब्ध सूचनाएँ जैसे दुर्घटना स्थल, कारण व सहायता इत्यादि सूचित करेगा।
- 3.9 गाड़ियों का डिटेन्शन होने पर वास्तविक कारण कंट्रोल को सूचित करेगा।
- 3.10 अपने पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं होगा। रिलीफ द्वारा चार्ज ग्रहण किये बगैर ड्यूटी नहीं छोड़ेगा और न ही पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी बदलेगा।
- 3.11 वह सतर्कता आदेश पंजिका का रखरखाव करेगा व प्रस्थान करने वाली सभी गाड़ियों को सतर्कता आदेश (काशन आर्डर) जारी करेगा। सम्बन्धित स्टेशन व खण्ड गाड़ी नियन्त्रक से इन्जीनियरिंग तथा अन्य प्रतिबन्धों को लगाये जाने तथा समाप्त/संशोधन किये जाने की सूचनाओं का आदान-प्रदान करेगा।
- 3.12 वह गाड़ी को प्रस्थान किये जाने की अनुमति दिये जाने से पूर्व गाड़ी के लोको पायलट व गार्ड से सतर्कता आदेश प्राप्त हो जाना सुनिश्चित करेगा।
- 3.13 पावर केबिन सुपरवाइजर द्वारा सूचित किये जाने पर आने वाली गाड़ियों का पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त कर पावर केबिन सुपरवाइजर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ सूचित करेगा कि गाड़ी पूर्ण आ गयी है।
- 3.14 वह समय-समय पर गाड़ियों की जानकारी अपने पास रखेगा पूछताछ कार्यालय तथा जनता को तदनुसार सूचित करेगा।

4. पावर केबिन सुपरवाइजर :-

कार्यरत पावर केबिन सुपरवाइजर साधारण एवं सहायक नियम अध्याय-2 व अध्याय-5 के अनुसार सामान्य व सन्तोषजनक वर्किंग और अपने अधीन पावर केबिन में कार्यरत समस्त कर्मचारियों द्वारा अपनी-अपनी ड्यूटी के दक्षतापूर्ण निष्पादन का उत्तरदायी होगा। वह खण्ड गाड़ी नियन्त्रक व कर्षण नियन्त्रक के सम्पर्क में रहेगा। ड्यूटी पर कार्यरत रहने पर निर्धारित साफ सुथरी वर्दी धारण करेगा। इसके साथ-साथ इनके कर्तव्य में निम्न भी सम्मिलित हैं :-

कमश पृष्ठ 5 पर

- 4.1 वह वर्किंग तथा प्लान का पर्यवेक्षण करेगा तथा अपने नियन्त्रण क्षेत्र के अन्तर्गत सभी मूवमेण्ट के लिये दिशा निर्देश जारी करेगा।
- 4.2 वह स्टेशन मास्टर/ब्लाक को गाड़ियों का नम्बर सहित पूर्ण विवरण, दिशा व निर्धारित लाइन हेतु लाइन क्लीयर लेने/देने के लिये निर्देश देगा। लाइन क्लीयर होने की सूचना स्टेशन मास्टर/इनडोर को देगा।
- 4.3 वह स्टेशन मास्टर पैनल द्वारा समुचित रूट की सेटिंग नामित लाइन हेतु किये जाने को सुनिश्चित करने के बाद रिसेप्शन व डिपार्चर सिगनलो के ठीक आपरेशन का उत्तरदायी होगा।
- 4.4 अन्य यार्ड मूवमेण्ट के लिये रूट की सेटिंग व इलेक्ट्रिकल लाकिंग के लिये वह स्टेशन मास्टर पैनल को अनुदेश देगा और योजना बनायेगा।
- 4.5 वह अपने नियन्त्रण के क्षेत्र में हो रहे या जल्दी होने वाले सभी मूवमेण्ट्स का स्पष्टीकरण करने के बाद कन्ट्रोलर से सलाह करेगा। ट्रेन के प्रत्येक मूवमेण्ट के लिये इस तरह लाइन को निर्धारित करेगा जिससे विलम्ब से बचा जा सके और मूवमेण्ट को तेज किया जा सके। इसके लिये ट्रेनों की रनिंग पोजीशन के सम्बन्ध में वह सेक्शन ट्रेन कन्ट्रोलर, क्षेत्रीय नियन्त्रक, स्टेशन अधीक्षक और स्टेशन मास्टर/इनडोर के निकट सम्पर्क में रहेगा।
- 4.6 अपनी ड्यूटी के घण्टों के दौरान रिसीव/डिस्पैच की गई गुड्स/कोचिंग ट्रेनों की डिटेन्शन रिपोर्ट वह स्टेशन अधीक्षक और उप मुख्य गाड़ी नियन्त्रक को देगा।
- 4.7 यह देखना उसकी जिम्मेदारी होगी कि पावर केबिन में कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न करे या उपकरणों को न छुये। सामान्य नियम 3.51(3) व 5.01(4) का अनुपालन किया जायेगा।
- 4.8 यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी होगी कि निर्धारित ठहराव के अन्तर्गत ही ट्रेनों की शटिंग पूरी की जाये।
- 4.9 वह पावर केबिन का सर्वेसर्वा होगा और स्टे.मा./पैनल व स्टे.मास्टर/ब्लाक के साथ जब आवश्यक हो समन्वय कायम करेगा और उसका निर्णय ट्रेनों के मूवमेण्ट, रिसेप्शन व डिपार्चर के साथ-साथ अन्य शनिटिंग मूवमेण्ट पर बाध्यकारी व अन्तिम होगा।
- 4.10 वह सिगनल, ट्रैक, प्वाइण्ट, गेट और रूट विफलता से सम्बन्धित सभी खराबियों को सिगनल विफलता रजिस्टर में दर्ज करने के लिए उत्तरदायी होगा और उनको ठीक कराने के लिये एस एण्ड टी विभाग को मेमो देकर सूचित करेगा। नियमानुसार रिले रूम की चाभी का आदान-प्रदान व डिस्कनेक्शन देने हेतु भी उत्तरदायी होगा।
- 4.11 वह ट्रेन्स क्लर्क द्वारा जारी वर्क आर्डर मेमो के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार स्टाक क्लीयरेंस यार्ड मास्टर द्वारा सुनिश्चित करेगा।
- 4.12 आवश्यकतानुसार गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित किये जाने हेतु स्टेशन मास्टर/इनडोर से प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा गाड़ी के गार्ड से गाड़ी का "पूर्ण आगमन" प्राप्त कराना सुनिश्चित कर प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान करके स्टेशन मास्टर/ब्लाक को सूचित करेगा।
- 4.13 वह स्टेशन मास्टर/इनडोर, स्टेशन मास्टर/पैनल, स्टेशन मास्टर/ब्लाक, यार्ड मास्टर, स्टेशन अधीक्षक के निकट सम्पर्क में रहेगा और पूर्ण प्रयास करेगा कि रिसेप्शन लाइन क्लीयर हो व आउटगोइंग ट्रेन्स समय से प्लेस की जाये। किसी कठिनाई के मामले में वह ड्यूटी के स्टेशन मास्टर/इनडोर को सूचित करेगा।
- 4.14 वह आक्यूपेशन, रेको के विद्दाल या प्लेसमेंट सम्बन्धी यार्ड पोजीशन का रिकार्ड मेनटेन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 4.15 जब कभी प्लेटफार्म परिवर्तन की सूचना हो तो पावर केबिन सुपरवाइजर, स्टेशन अधीक्षक का अनुमोदन लेगा और इसका रिकार्ड भी मेनटेन करेगा।
- 4.16 ट्रैक सर्किट विफलता की स्थिति में पावर केबिन सुपरवाइजर, पश्चिम छोर हेतु स्टेशन मास्टर/आउटडोर तथा पूरब छोर हेतु स्टेशन मास्टर/जी.ए. से व्यक्तिगत निरीक्षण कराकर एवं प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके लाइन का बाधा रहित होना सुनिश्चित कर स्टे.मा०/पैनल को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।

कमश पृष्ठ 6 पर

- 4.17 गाड़ी संचालन से सम्बन्धित नियम पुस्तिकाओं को नवीनतम शुद्धि पर्ची लगाकर अद्यतन अपने पास रखेगा तथा नियमों की जानकारी रखेगा। निरीक्षण के दौरान मॉगे जाने पर अपनी नियम पुस्तिकाओं को उपलब्ध करायेगा।
- 4.18 अपने पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं होगा। रिलीफ द्वारा चार्ज ग्रहण किये बगैर ड्यूटी नहीं छोड़ेगा और न ही पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी बदलेगा।

- 4.19 वह शंटिंग संचालन या कोई दूसरी परिचालन सम्बन्धी सूचना हेतु शंटिंग स्टाफ या किसी गाड़ी के चालक या पाली में कार्यरत सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारी के मरम्मतकर्ता को एनाउन्समेंट के द्वारा सूचित करेगा।
- 4.20 किसी दुर्घटना की स्थिति में तुरन्त सेक्शन कन्ट्रोलर, कर्षण नियन्त्रक, स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर (इनडोर) को सम्बन्धित सभी उपलब्ध सूचनाये जैसे दुर्घटना स्थल, कारण तथा सहायता इत्यादि के विषय में सूचित करेगा।
- 4.21 कॉटो की विफलता होने पर कार्यरत स्टे.मा./जी.ए. के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में कैंक हैण्डिल द्वारा आवश्यकतानुसार कॉटो को सेट कराकर क्लैम्प व पैड लाक कराना सुनिश्चित करेगा। आवश्यकता पड़ने पर पश्चिम छोर हेतु कार्यरत स्टे.मा./आउटडोर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में कैंक हैण्डिल द्वारा कॉटो को सेट कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 4.22 इन्जी०/ट्राफिक/पावर ब्लाक व डिस्कनेक्शन दिये जाने सम्बन्धी कार्य हेतु खण्ड गाड़ी/कर्षण नियन्त्रक से सम्पर्क कर ब्लाक/डिस्कनेक्शन देगा तथा इसकी सूचना सर्व सम्बन्धित को देकर इसकी इन्ट्री लागू बुक व सम्बन्धित पंजिका में करेगा।

(5) स्टेशन मास्टर/पैनल :-

- कार्यरत स्टेशन मास्टर/पैनल, पावर केबिन पर पावर केबिन सुपरवाइजर के आदेश पर आपरेटिंग पैनल पर पुश बटन इत्यादि के आपरेशन तथा सभी मूवमेंट के नियंत्रण के लिए रिसेशन और डिस्पैच सिगनलों को "आफ" करने के लिए उत्तरदायी है। ड्यूटी पर कार्यरत रहने पर निर्धारित साफ सुथरी वर्दी धारण करेगा। इसके साथ-साथ इनके कर्तव्य में निम्न भी सम्मिलित है :-
- 5.1 वह पावर केबिन सुपरवाइजर से सूचना पाकर आपरेटिंग पैनल पर सभी कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो स्टेशन संचालन नियम में वर्णित है और समय-समय पर जैसी आवश्यकता है।
- 5.2 वह सभी लाइनों का इण्डिकेशन पैनल पर ट्रैक सर्किट इण्डिकेशन देखकर यह सुनिश्चित करेगा कि जिस लाइन पर/से गाड़ी का आगमन/प्रस्थान होना है वह लाइन बाधरहित है।
- 5.3 वह पावर केबिन सुपरवाइजर को विफल ट्रैक सर्किट की जानकारी तुरन्त देंगे। ट्रैक सर्किट कि विफलता के समय रनिंग लाइन को साफ होना पावर केबिन सुपरवाइजर से प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सुनिश्चित करेगा।
- 5.4 सिगनल को "आफ" करने हेतु सम्बन्धित बटन को दबाने से पूर्व यह स्वयं सुनिश्चित करेगा कि स्टेशन संचालन नियमावली के अनुसार आगमन/प्रस्थान सिगनल को "आफ" करने कि शर्तें सभी पूरी हैं और लाइन साफ है।
- 5.5 वह पैनल आपरेशन पूरा होने के बाद कॉटों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा।
- 5.6 वह सुनिश्चित करेगा कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य पैनल का आपरेशन नहीं करेगा।
- 5.7 उसके लिए पावर केबिन सुपरवाइजर का ट्रेनो के मूवमेंट, रिसेशन व डिपार्चर के साथ-साथ अन्य शंटिंग मूवमेंट पर निर्णय बाध्यकारी व अन्तिम होगा।
- 5.8 जब कभी थोड़ी देर के लिये अपने कार्यालय से बाहर जाना हो तो पैनल की चाभी तथा प्राइवेट संख्या पुस्तिका निजी अभिरक्षा में रखेगा।

कमश पृष्ठ 7 पर

- 5.9 अपने पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं होगा। रिलीफ द्वारा चार्ज ग्रहण किये बगैर ड्यूटी नहीं छोड़ेगा और न ही पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी बदलेगा।
- 5.10 शंटिंग संचालन हेतु पैनल से मोटर चालित कॉटो को सेट करना, लाक करना तथा शंटिंग सिगनलों को 'टेक आफ' करना उसका उत्तरदायित्व है।
- 5.11 यह सुनिश्चित करेगा कि कॉटों, सिगनलों, ट्रैक सर्किटों, कैंक हैण्डिल, समपार फाटक इत्यादि के सही संकेत सही जगह पर प्रदर्शित हो रहे हैं।
- 5.12 वह सहायक नियम 3.69(2)(3) के अनुसार मार्ग की सही सेटिंग सुनिश्चित करने के बाद ही टी-369(3बी) जारी करेगा अथवा स्टेशन मास्टर/इनडोर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत करेगा।
- 5.13 कॉटों की विफलता के समय सम्बन्धित कॉटों को वांछित रूट हेतु कैंक हैण्डिल द्वारा सेट व क्लैम्प पैडलाक होना, पैनल सुपावाजर से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान द्वारा सुनिश्चित करेगा व सम्बन्धित कैंक हैण्डिल को पैनल से रिलीज करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 5.14 डिस्कनेक्शन अथवा रनिंग लाइन ब्लाक होने की सूचना प्राप्त होने पर आपरेटिंग पैनल पर बटन कालर्स तथा पावर ब्लाक देने पर पावर बटन कालर्स का प्रयोग करेगा।

(6) स्टेशन मास्टर/ब्लाक :-

कार्यरत स्टेशन मास्टर/ब्लाक, पावर केबिन पर पावर केबिन सुपरवाइजर के आदेशों के अधीन व्यक्तिगत रूप से लाइन क्लीयर देने/लेने व ब्लाक यन्त्र को आपरेट करने के लिए उत्तरदायी है। ड्यूटी पर कार्यरत रहने पर निर्धारित साफ सुथरी वर्दी धारण करेगा। इसके साथ-साथ इनके कर्तव्य में निम्न भी सम्मिलित है :-

- 6.1 वह पावर केबिन सुपरवाइजर से सूचना पाकर आवश्यकतानुसार ब्लाक यन्त्र को आपरेट करेगा, ट्रेन सिगनल रजिस्टर में इन्ट्री करेगा, समपार लाग पंजिका व सभी ट्रेन पासिंग रिकार्ड और विविध मूवमेंट को ठीक से मेनटेन करेगा और इसके लिए वह पावर केबिन सुपरवाइजर के सम्पर्क में रहेगा।
- 6.2 वह अपने पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं होगा। रिलीफ द्वारा चार्ज ग्रहण किये बगैर ड्यूटी नहीं छोड़ेगा और न ही पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी बदलेगा।
- 6.3 वह कार्य पर सभी निकट स्टेशनो के कार्यरत स्टे.मा. से आवश्यकतानुसार मैसेज, प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा तथा जैसा भी केस हो लाइन क्लीयर लेगा/ देगा व लाग रजिस्टर/ट्रेन सिगनल रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि करेगा। गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करेगा।
- 6.4 उसे जब आवश्यकता पड़ने पर अपने कार्यालय से बाहर जाना हो तो ब्लाक यन्त्र की चाभी तथा प्राइवेट संख्या पुस्तिका निजी अभिरक्षा में रखेगा।
- 6.5 वह ब्लाक यन्त्र/अग्रिम प्रस्थान सिगनल की विफलता की दशा में पेपर लाइन क्लीयर टिकट/टी-369(3बी) जारी करेगा अथवा टी-369(3बी) जारी करने के लिए अधिकृत करेगा।
- 6.6 वह ब्लाक यंत्र एवं ब्लाक टेलीफोन का स्वयं संचालन करेगा तथा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को ब्लाक यंत्र/ब्लाक पैनल/ब्लाक टेलीफोन का प्रयोग नहीं करने देगा।
- 6.7 लाइन क्लीयर अनुमति लिये/दिये जाने वाली गाड़ी का विवरण स्टेशन मास्टर/पैनल को देगा।
- 6.8 अपने अधीन पड़ने वाले समपारों से सम्पर्क स्थापित करेगा तथा सम्बन्धित परिशिष्ट 'ए' के अनुसार आवश्यकतानुसार समपारों को बन्द व लाक कराने/सूचना देने का कार्य करेगा।
- 6.9 इन्जी०/ट्राफिक/पावर ब्लाक तथा डिस्कनेक्शन दिये जाने व रनिंग लाइन ब्लाक होने सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर टी.एस.आर. में इन्ट्री करेगा तथा आवश्यकतानुसार अगल-बगल के स्टेशनों से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके इसकी सूचना पैनल सुपरवाइजर को देगा।

कमश पृष्ठ 8 पर

(7) स्टेशन मास्टर/सामान्य सहायक(जी०ए०) :-

स्टेशन मास्टर/सामान्य सहायक (जी०ए०) पावर केबिन पर पावर केबिन सुपरवाइजर के आदेशों के अधीन कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। ड्यूटी पर कार्यरत रहने पर निर्धारित साफ सुथरी वर्दी धारण करेगा। इसके साथ-साथ इनके कर्तव्य में निम्न भी सम्मिलित है :-

- 7.1 ट्रैक सर्किट विफलता की स्थिति में पावर केबिन सुपरवाइजर के आदेश पर ट्रैक सर्किट का व्यक्तिगत निरीक्षण करके पावर केबिन सुपरवाइजर से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान कर, लाइन का बाधा रहित होना सुनिश्चित करेगा।
- 7.2 वह कॉटो की विफलता होने पर पावर केबिन सुपरवाइजर के आदेश पर व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में कैंक हैण्डिल द्वारा कॉटो को सेट कर क्लैम्प व पैड लाक कराकर, प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा पैनल सुपरवाइजर को सूचित करेगा।
- 7.3 वह अपने पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं होगा। रिलीफ द्वारा चार्ज ग्रहण किये बगैर ड्यूटी नहीं छोड़ेगा और न ही पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी बदलेगा।
- 7.4 वह पावर केबिन सुपरवाइजर द्वारा सौंपी गयी सभी वैध ड्यूटी का निष्पादन करेगा।

(8) मुख्य यार्ड मास्टर/यार्ड मास्टर :-

गुड्स यार्ड का पर्यवेक्षकीय प्रभारी है और गुड्स यार्ड के सुरक्षित तथा कुशल संचालन के लिये उत्तरदायी है। अन्य बातों के साथ-साथ उसके कर्तव्यों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :-

- 8.1 सभी मालगाड़ियों के बनाने (फारमेशन) और बिखेरने (ब्रेकअप) का पर्यवेक्षण करना।
- 8.2 गुड्स यार्ड के संचालन के सम्बन्ध में आदेशों और निर्देशों का अनुपालन करना।
- 8.3 मालगोदामों व अन्य विभागीय साइडिंगों में स्टाक का स्थापन एवं निष्कासन।
- 8.4 लदे तथा खाली स्टाक की त्वरित ढुलाई (क्लियरेन्स)।
- 8.5 मण्डलीय नियंत्रक से सम्पर्क बनाये रखना तथा नियंत्रण कार्यालयों से प्राप्त सभी आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- 8.6 स्टाक के आवागमन की पूर्व योजना बनाना तथा अपेक्षित गाड़ियों के परिचालन के लिये अग्रिम प्रबन्ध करना।
- 8.7 यार्ड शटिंग इंजन के कार्य सम्पादन का पर्यवेक्षण करना।
- 8.8 गाड़ी कार्यालय (ट्रेन्स ब्रान्च) और इसके प्रतिदिन के कार्य संचालन का पर्यवेक्षण करना।
- 8.9 मालगाड़ियों के आगमन के लिये लाइनो का आवंटन पावर केबिन को सूचित करना।
- 8.10 मालगाड़ियों के प्रस्थान का विवरण पैनल सुपरवाइजर व स्टेशन मास्टर/इनडोर को देना।

- 8.11 ऐसे कोचिंग स्टाक जो प्राप्त हुये हैं या जिन्हें मालगाड़ियों द्वारा भेजा जाना है का सही निपटान।
- 8.12 मालगाड़ियों के लिये आवश्यक 'गाड़ी परीक्षण संदेश/रिपोर्ट (टी-431)' प्राप्त करना।
- 8.13 कोचिंग स्टाक की शंटिंग में जब भी कहा जाये स्टेशन मास्टर (आउटडोर) को सहायता करना।
- 8.14 गुड्स यार्ड में यह सुनिश्चित करेंगे कि यार्ड में खड़े वाहन/वैगन साधारण नियम 5.23 के अनुसार भली प्रकार से सुरक्षित कराकर, इसकी इन्ट्री सम्बन्धित पंजिका में करेंगे।
- 8.15 अपने पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं होगा। रिलीफ द्वारा चार्ज ग्रहण किये बगैर ड्यूटी नहीं छोड़ेगा और न ही पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी बदलेगा।
- 8.16 ड्यूटी पर कार्यरत रहने पर निर्धारित साफ सुथरी वर्दी धारण करेगा।
- 8.17 स्टेशन संचालन नियम में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को पूरा करना।

9. शंटिंग मास्टर :-

- 9.1 वह अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले मुख्य यार्ड मास्टर/स्टेशन मास्टर (आउटडोर) से औपचारिक वर्क आर्डर प्राप्त करेगा।
- 9.2 वह मुख्य यार्ड मास्टर/स्टेशन मास्टर (आउटडोर) के सामान्य एवं सहायक नियम के अनुरूप आदेशों के अनुसार कार्य करेगा।
- कमश पृष्ठ 9 पर**
- 9.3 वह रेको की सही मार्शलिंग तथा यार्ड की सभी शंटिंग जैसे रेको के प्लेसमेंट, विथड्राल वाहनों का काटना/जोड़ना आदि को संरक्षा के साथ बिना विलम्ब के करने के लिये उत्तरदायी है।
- 9.4 वह मुख्य यार्ड मास्टर/स्टेशन मास्टर (आउटडोर) के समक्ष आने वाले शंटिंग मास्टर को चार्ज देने के बाद ही ड्यूटी से कार्यमुक्त होगा व मुख्य यार्ड मास्टर/स्टेशन मास्टर (आउटडोर) चार्ज देने का समय डायरी में अंकित करेगा।
- 9.5 नान सिगनल मुवमेंट होने पर अथवा जो कॉटे पैनल से नहीं संचालित होते हैं उनको सही सेट कराकर क्लैम्प व पैड लाक होना सुनिश्चित करके ही चालक को आवश्यक सिगनल देगा तथा शंटिंग स्टाफ की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करेगा।
- 9.6 अपने पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं होगा। रिलीफ द्वारा चार्ज ग्रहण किये बगैर ड्यूटी नहीं छोड़ेगा और न ही पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी बदलेगा।
- 9.7 ड्यूटी पर कार्यरत रहने पर निर्धारित साफ सुथरी वर्दी धारण करेगा।

10. कौटावाला :-

कार्यरत कौटावाला स्टेशन अधी०/स्टेशन मास्टर/मुख्य यार्ड मास्टर/शंटिंग मास्टर के सभी नियमानुकूल आदेशों को मानेगा। कौटावाला उन सभी कॉटों का पूर्ण प्रभारी है जिनपर उसे काम करना है। अन्य बातों के साथ-साथ उसके कर्तव्यों में निम्न कार्य भी शामिल हैं :-

- 10.1 शंटिंग कार्य को निष्पादित कराने वाले पर्यवेक्षक के आवश्यकतानुसार उनके दिशा निर्देश पर डिब्बों की कपलिंग को जोड़ने या खोलने का कार्य करेगा।
- 10.2 शंटिंग कार्य के दौरान आवश्यकता पड़ने पर खतरे का सिगनल प्रदर्शित करेगा।
- 10.3 आसमान्य परिस्थितियों में कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा निर्देश पर क्रैन्क हैन्डिल द्वारा सम्बन्धित कॉटों का क्लैम्प व पैडलाक होना सुनिश्चित कर गाड़ी को पायलट करेगा।
- 10.4 नान सिगनल मुवमेंट होने पर अथवा नान-इण्टरलाकड यार्ड में शंटिंग करते समय कॉटों को सही सेट व पैडलाक करके ही चालक को सिगनल देगा तथा कॉटों पर से गाड़ी के गुजरते समय या उन पर खड़ी रहने की दशा में कॉटों को नहीं छोड़ेगा।
- 10.5 शंटिंग कार्य के निष्पादन के उपरान्त वह सुनिश्चित करेगा कि लोड फाऊलिंग मार्क साफ करके खड़ा है व नान-इण्टरलाकड कॉटों को नार्मल दशा में कर दिया गया है।
- 10.6 जैसे और जब कार्यरत स्टेशन मास्टर आदेश दे कुहासा सिगनल को लगाना।
- 10.7 स्टेशन पर वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए वूडेन स्प्रेग लगाना व सेपटी चेन बांधकर ताला लगाना।
- 10.8 आवश्यकता पड़ने पर रुकने वाली गाड़ियों के गार्ड से पूर्ण आगमन रिपोर्ट लेना।
- 10.9 दिन के समय हाथ झण्डी एवं रात्रि के समय हाथ बत्ती के साथ अपना कार्य निष्पादित करेगा।
- 10.10 सम्बन्धित सिगनल का आफ होना देखकर या रुट का सही सेट व लाक होना स्वयं सुनिश्चित कर गाड़ी के ड्राइवर को सिगनल विफलता परिपत्र, सर्तकता आदेश, पी०एल०सी० व आवश्यक मेमो सौंपेगा।
- 10.11 ट्रेक के विफल हो जाने की दशा में कार्यरत स्टेशन मास्टर को लाइन का साफ व बाधा रहित होना सुनिश्चित करने हेतु मदद करेगा।

- 10.12 अपने पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं होगा। रिलीफ द्वारा चार्ज ग्रहण किये बगैर ड्यूटी नहीं छोड़ेगा और न ही पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी बदलेगा।
- 10.13 ड्यूटी पर कार्यरत रहने पर निर्धारित साफ सुथरी वर्दी धारण करेगा।

कमश पृष्ठ 10 पर

11. गाड़ी लिपिक:-

- 11.1 वह स्टेशन अधीक्षक/मुख्य यार्ड मास्टर के सभी निर्देशों के तहत कार्य करेगा।
- 11.2 वह यार्ड में निरीक्षण कर प्लेटफार्म पर गाड़ियों के या यार्ड में गाड़ियों के कम्पोजीशन तथा मार्शलिंग की वास्तविक स्थिति की सूचना नियन्त्रक अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों को देगा।
- 11.3 वह अपने समस्त रिकार्ड के साथ-साथ कोचिंग आदेश पंजिका, अग्रिम आदेश पंजिका को समुचित तथा सही ढंग से रखेगा, स्टॉक की सही स्थिति, स्टॉक की गतिशीलता व दैनिक आदेश पुस्तिका का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित करेगा। सी.ओ.आई.एस. एवं एफ.ओ.आई.एस पर मिलने वाले आदेशों को स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर (आउटडोर)/मुख्य यार्ड मास्टर को अवगत करायेगा। स्टॉक की सही स्थिति इस प्रकार दर्शायी जायेगी कि स्टॉक के संचालन के वास्तविक दिन की समुचित अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
- 11.4 वह स्टॉक के संचालन सम्बन्धी वर्क आर्डर समय से तैयार करने के उपरान्त मुख्य यार्ड मास्टर को सौपेगा। मुख्य यार्ड मास्टर इसे स्टेशन मास्टर (आउटडोर)/यार्ड मास्टर/शंटिंग मास्टर एवं सम्बन्धित शाखाओं को भेजेगा ताकि उक्त सूचनाओं के अभाव में कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।
- 11.5 वह स्टॉक को अनावश्यक डिटेन्शन तथा गलत प्रेषण से बचाया जाना सुनिश्चित करेगा।
- 11.6 वह सभी परिचालनिक सांख्यिकी को भली-भाँति व्यवस्थित किये जाने का उत्तरदायी है।
- 11.7 वह प्रतिदिन रेको में पुराने कोचों/स्पेशल स्टॉक/बोगियों तथा कोचों की कमी की सूची तैयार करेगा तथा उनकी अनुवर्ती कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्राधिकारियों को सूचित करेगा।
- 11.8 वह यह सुनिश्चित करेगा कि कोचिंग यार्ड में स्टॉक की 06.00 बजे की स्थिति एवं गुडस यार्ड में स्टॉक की 18.00 बजे की स्थिति सही-सही तैयार कर सी.ओ.आई.एस. एवं एफ.ओ.आई.एस पर फीडिंग कर अद्यतन करेगा।
- 11.9 अपने पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं होगा। रिलीफ द्वारा चार्ज ग्रहण किये बगैर ड्यूटी नहीं छोड़ेगा और न ही पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी बदलेगा।

12. फाटकवाला :-

फाटकवाला उसके चार्ज में दिये समपार फाटक के लिये उत्तरदायी है। प्रशासन द्वारा दिये गये उपकरणों को सुरक्षित रखना, उनके उचित प्रयोग और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व उसी का है। उसे सड़क यातायात और रेलवे के लिये सदैव सतर्क रहना है और फाटक को निर्धारित तरीके से परिचालित करके रेल यातायात एवं सड़क यातायात दोनों को सुरक्षित करना है। शन्टिंग मूवमेन्ट और गाड़ी गुजरने पर फाटक को बन्द करना तथा सड़क यातायात डिटेन्शन की घटना न घटे। उसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

- 12.1 गाड़ी को गुजरने के लिये समपार फाटक को बन्द करके ताला लगाना तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान व समपार फाटक के बन्द होने का इण्डीकेशन अथवा सम्बन्धित चाभी परिशिष्ट 'ए' के अनुसार देना।
- 12.2 दिन में गेट लाज की तरफ सतर्कता के साथ दाहिने हाथ में लाल व बायें हाथ में हरी झण्डी लेकर तथा रात में हाथ बत्ती को ट्रैक की तरफ सफेद रोशनी करके खड़े होना चाहिये जिससे कि आपातस्थिति में वह आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र से शीघ्र हाथ बत्ती दिखा सके।
- 12.3 खतरे की आशंका में उसे सतर्क और तुरन्त कार्यवाही हेतु तैयार रहना चाहिये।
- 12.4 उसे देखना चाहिये कि समपार फाटक पर उपलब्ध यन्त्र चालू हालत में है और तुरन्त उपयोग में लाये जा सकतें हैं।

कमश पृष्ठ 11 पर

- 12.5 फाटक की बत्तियां निरन्तर प्रज्वलित रहनी चाहिये, इसे सुनिश्चित कर ले।
- 12.6 यदि आपातस्थिति में उसे फाटक छोड़ना पड़ जाये तो सड़क यातायात को रोकने हेतु फाटक को बन्द कर ताला लगा देना आवश्यक है।
- 12.7 इसे सुनिश्चित करना चाहिये कि पहियों के पलैन्ज के पैनेल हमेशा साफ रहतें हैं।

- 12.8 फाटक या उससे सम्बन्धित यन्त्रों में यदि कोई खराबी दिखाई देती है तो शीघ्र से शीघ्र कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित कर देना चाहिये ।
- 12.9 यदि वह देखता है कि गाड़ी पार्ट हो गई है तो शोर मचाकर या हाव – भाव से ड्राइवर एवं गार्ड का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये ।
(उसे खतरे का सिगनल कतई नहीं दिखाना चाहिये)
- 12.10 उसे अपने कार्यभार के घण्टों में फाटक पर प्रत्येक दशा में उपस्थित रहना चाहिये । उसे समपार फाटक को तब तक नहीं छोड़ना चाहिये जब तक कि वह कार्यमुक्त न हो गया हो ।
- 12.11 कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये सभी वैध निर्देशों का पालन करना चाहिये ।
- 12.12 ड्यूटी पर कार्यरत रहने पर निर्धारित साफ सुथरी वर्दी धारण करेगा ।
- 12.13 अपने पर्यवेक्षक से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं होगा । रिलीफ द्वारा चार्ज ग्रहण किये बगैर ड्यूटी नहीं छोड़ेगा और न ही पर्यवेक्षक से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी बदलेगा ।

परिशिष्ट ई

स्टेशन पर उपलब्ध आवश्यक उपकरणों की सूची :-

क्रम	विवरण	स्टे.मा./आर.आर.आई	स्टे.मा./इनडोर	या.मा. कार्यालय
1	बटन कालर्स	12	—	—
2	पावर ब्लॉक बटन कालर्स	12	—	—
3	हाथ सिगनल झण्डी	5 जोड़ा (लाल/हरा)	6 जोड़ा (लाल/हरा)	8 जोड़ा (लाल/हरा)
4.	हैण्ड सिगनल लैम्प (ट्राई कलर बैट्री आपरेटेड)	5	6	8
5	संरक्षा जंजीर	6	12	16
6	क्लैम्प	8	20	20
7	पैड लाक चाभी सहित	18	36	40
8	अग्निशामक यन्त्र	2	2	2
9	अग्निशामक बाल्टियाँ	6	6	6
10	वूडेन स्प्रेग	12	24	32
11	वी०एच०एफ० सेट 25 वाट	1	1	1
12	वी०एच०एफ० सेट 5 वाट	3	5	8
13	प्राथमिक उपचार पेटी	1	1	1
14	पटाखा सिगनल	—	50	—
15	व्हील चेयर	—	4	—

16	स्ट्रेचर	—	4	—
----	----------	---	---	---

